न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एम0पी0 / एम0एल0ए0, वाराणसी

पीठासीन अधिकारीः— अवनीश गौतम (एच0जे0एस0)

निर्णय तिथिः—05.06.2023

सत्र परीक्षण संख्याः—265 / 2007

मु0अ0सं0—229 / 1991
अंतर्गत धारा—148 तथा 302
सपठित धारा 149 भा0दं0सं0।
थाना—चेतगंज,
जिला—वाराणसी।

शिकायतकर्ता	अजय राय
प्रस्तुतकर्ता	श्री आलोक कुमार शुक्ल (तत्कालीन जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी), श्री मुनीब सिंह चौहान (प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी) श्री विनय कुमार सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), श्री अनुज यादव, एड0 (वादी अधि0) तथा श्री विकास सिंह, एड0 (वादी अधि0)।
अभियुक्त	मुख्तार अंसारी
प्रस्तुतकर्ता	श्री ताराचंद गुप्ता, एड0 तथा श्री श्रीनाथ त्रिपाठी एड0 तथा श्री आदित्य वर्मा, एड0।

घटना की तिथि	03.08.1991
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	03.08.1991
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	12.10.1991
आरोप विरचित करने की तिथि	10.09.2007
साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	16.11.2007
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	22.05.2023
निर्णय की तिथि	05.06.2023
दण्डादेश की तिथि, यदि कोई हो	05.06.2023

<u>अभियुक्त का विवरण</u>

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा होने की तिथि	आरोपित आरोप	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश	धारा—428 दं0प्र0सं0 के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान की गयी निरोध की अवधि
1.	मुख्तार अंसारी	.....	18.05. 1995	148 व 302 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0	दोषसिद्ध दोषसिद्ध	3 वर्ष व आजीवन कारावास	

अभियोजन / बचाव / अदालत के गवाहों की सूची

अ. अभियोजन के गवाह

पद	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य साक्षी)
पी0डब्लू0–1	अजय राय	वादी मुकदमा
पी0डब्लू0–2	विजय कुमार पाण्डेय	अन्य साक्षी
पी0डब्लू0–3	उदय भान सिंह	पुलिस साक्षी
पी0डब्लू0–4	कृपाशंकर शुक्ल	पुलिस साक्षी
पी0डब्लू0–5	डॉ0 एस0के0 त्रिपाठी	चिकित्सक साक्षी
पी0डब्लू0–6	चन्द्रभूषण राय	अन्य साक्षी

ब. बचाव पक्ष के गवाह

पद	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य साक्षी)
डी0डब्लू0–1	सिबगतुल्ला अंसारी	अन्य साक्षी
डी0डब्लू0–2	राम जी राय	अन्य साक्षी
डी0डब्लू0–3	एच0सी0 विक्रान्त सिंह	पुलिस साक्षी
डी0डब्लू0–4	नन्हक सिंह	पुलिस साक्षी
डी0डब्लू0–5	हे0कां0 राजेश्वर पाण्डेय	पुलिस साक्षी
डी0डब्लू0–6	हे0मो0 रणजीत यादव	पुलिस साक्षी

स. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो।

पद	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य साक्षी)
निल		

अभियोजन / बचाव / अदालत के प्रदर्शों की सूची

अ. अभियोजन प्रदर्श

क.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श क–1	लिखित प्रार्थना पत्र
2.	प्रदर्श क–2	पंचायतनामा
3.	प्रदर्श क–3	फर्द बरामदगी सफेद रंग मारूती
4.	प्रदर्श क–4	नक्शा नजरी
5.	प्रदर्श क–5	फर्द खून आलूदा मिट्टी
6.	प्रदर्श क–6	फर्द 4 अदद खोखा कारतूस 0.32
7.	प्रदर्श क–7	फर्द 9 एम.एम. का खोखा कारतूस
8.	प्रदर्श क–8	आरोप पत्र
9.	प्रदर्श क–9	चिक एफ0आई0आर0

10.	प्रदर्श क–10	एक्सरे परीक्षण हेतु रिपोर्ट
11.	प्रदर्श क–11	पोस्ट मार्टम रिपोर्ट
12.	प्रदर्श क–12	फोटोनाश
13.	प्रदर्श क–13	पुलिस प्रपत्र सं0–33
14.	प्रदर्श क–14	पुलिस प्रपत्र सं0–13
15.	प्रदर्श क–15	रिपोर्ट थाना लंका
16.	प्रदर्श क–16	रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर पोस्टमार्टम कराने हेतु

ब. बचाव प्रदर्श

क.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श ख–1	थाना सिगरा का नई पोखरी रमाकान्त नगर का रजिस्टर नं0–8
2.	प्रदर्श ख–2	थाना सिगरा का नई पोखरी रमाकान्त नगर का रजिस्टर नं0–8
3.	प्रदर्श ख–3	थाना शिवपुर, वाराणसी का ग्राम अपराध पुस्तिका कस्बा शिवुपर
4.	प्रदर्श ख–4	थाना कैण्ट, वाराणसी का ग्राम खजुरी का अपराध रजिस्टर सं0–8
5.	प्रदर्श ख–5	गोसवारा दुराचारी थाना चेतगंज, वाराणसी का मूल रजिस्टर
6.	प्रदर्श ख–6	थाना चेतगंज ग्राम अपराध रजिस्टर नं0–8 मुहल्ला सेनपुरा का मूल रजिस्टर
7.	प्रदर्श ख–7	थाना चेतगंज ग्राम अपराध रजिस्टर नं0–8 मुहल्ला सेनपुरा का मूल रजिस्टर
8.	प्रदर्श ख–8	मूल रजिस्टर नं0–8 मुहल्ला धूपचण्डी थाना चेतगंज, वाराणसी वर्ष 1991
9.	प्रदर्श ख–9	मूल रजिस्टर नं0–8 मोहल्ला चेतगंज, थाना–चेतगंज वर्ष 1995
10.	प्रदर्श ख–10	मोहल्ला क्वींस कालेज लहुराबीर थाना चेतगंज का मूल रजिस्टर नं0–8 पेज 1
11.	प्रदर्श ख–11	मोहल्ला क्वींस कालेज लहुराबीर थाना चेतगंज का मूल रजिस्टर नं0–8 पेज 2
12.	प्रदर्श ख–12	मोहल्ला क्वींस कालेज लहुराबीर थाना चेतगंज का मूल रजिस्टर नं0–8 पेज 3
13.	प्रदर्श ख–13	मोहल्ला क्वींस कालेज लहुराबीर थाना चेतगंज का मूल रजिस्टर नं0–8 पेज 4

स. न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल		

द. वस्तु प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल		

UPVR010005982007

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एम0पी0/एम0एल0ए0, वाराणसी

पीठासीन अधिकारीः—अवनीश गौतम (एच0जे0एस0)

न्यायिक अधिकारी कोड—यू0पी0 1682

सत्र परीक्षण संख्या—265/2007

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन।

बनाम

मुख्तार अंसारी पुत्र स्व0 श्री शुभानअल्ला अंसारी, उम्र—60, निवासी—युसुफपुर दर्जी मुहाल, थाना—मोहम्मदाबाद, जिला—गाजीपुर।

.....अभियुक्त।

मु0अ0सं0—229/1991
धारा—147,148,149,302 भा0दं0सं0।
थाना—चेतगंज, जिला—वाराणसी।

निर्णय

1. अभियुक्त मुख्तार अंसारी के विरूद्ध थाना—चेतगंज, जिला—वाराणसी, मुकदमा अपराध सं0—229/1991, धारा—147, 148, 149, 302 भा0दं0सं0 के तहत आरोप पत्र दिनांक—12.10.1991 को न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा अजय राय द्वारा दिनांक 03.08.1991 को थाना चेतगंज, वाराणसी में इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 03.08.1991 को दिन में करीब एक बजे अपने घर पर अपने बड़े भाई अवधेश राय व विजय कुमार पाण्डेय तथा कतवारू चौहान के साथ खड़े थे कि इतने में एक सफेद रंग की मारूती वैन बिना नम्बर की आकर रूकी, जिसमें से मुख्तार अंसारी, कमलेश सिंह, भीम सिंह, राकेश कुमार श्रीवास्तव, अब्दुल कलाम व एक अन्य व्यक्ति जिसे देखकर पहचान सकता हूँ। उक्त सभी लोग मारूती वैन से उतरे और अपने—अपने हाथों में लिये असलहों से हमारे भाई अवधेश राय के ऊपर ललकारते हुए जाने मारने की नियत से फायर करने लगे। गोली लगने से मेरे भाई वहीं गिर गये। मै भी बचाव में अपनी निजी लायसेंसी

पिस्टल से फायर किया जो मारूती वैन में लगी है। बदमास गाड़ी छोड़कर भाग गये। उसी समय थाना चेतगंज की पुलिस भी मुल्जिमानों का पीछा किया। मै अपने भाई अवधेश राय को मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उसी मारूती वैन से कबीर चौरा अस्पताल ले गये, जहॉ डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इनलोगों की हमारे भाई अवधेश राय से पुरानी रंजिश थी। रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना–चेतगंज, जिला–वाराणसी में अभियुक्तगण मुख्तार अंसारी, कमलेश सिंह, भीम सिंह, राकेश कुमार, अब्दुल कलाम व एक अन्य व्यक्ति के विरूद्ध मु0अ0सं0–229/1991, अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 302 भा0दं0सं0 पंजीकृत किया गया।

4. विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण राकेश कुमार श्रीवास्तव व अब्दुल कलाम के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–147,148,149,302 भा0दं0सं0 न्यायालय में अभियोग चलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया तथा शेष अभियुक्तगण मुख्तार अंसारी, कमलेश सिंह तथा भीम सिंह के विरूद्ध मफरूरी में उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. आरोप पत्र प्राप्त होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.1991 द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

6. फरार अभियुक्त मुख्तार अंसारी के विरूद्ध कार्यवाही अं0 धारा 82/83 दं0प्र0सं0 अमल में लाये जाने के उपरान्त उसकी गिरफ्तारी हुई। पुनः सत्र न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.1995 द्वारा अभियुक्त जमानत पर रिहा किया गया।

7. अभियुक्त अब्दुल कलाम की मृत्यु उपरान्त उसके विरूद्ध कार्यवाही आदेश दिनांक 01.03.2007 द्वारा उपशमित की गयी। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2007 के अनुक्रम में अभियुक्त मुख्तार अंसारी की पत्रावली शेष अभियुक्तगण से पृथक की गयी तथा शेष अभियुक्तगण की पत्रावली विचारण हेतु सत्र सुपुर्द की गयी।

8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी के सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांक–29.06. 2007 द्वारा राज्य बनाम मुख्तार अंसारी की पत्रावली सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी।

9. अभियुक्त मुख्तार अंसारी के विरूद्ध अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट) वाराणसी द्वारा दिनांक–10.09.2007 को धारा–148 व 302 सपठित धारा–149 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की याचना की।

10. दौरान विचारण यह पत्रावली मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 01.10.2018 को पत्रावली के अंतरण हेतु प्रशासनिक पत्र प्राप्त हुआ, जिसके अनुसरण

में यह पत्रावली जनपद इलाहाबाद स्थित विशेष न्यायालय एम0पी0/एम0एल0ए0 को स्थानांतरित की गयी तथा पुनः माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह पत्रावली जनपद न्यायालय, इलाहाबाद से अंतरित होकर जनपद वाराणसी में दिनांक 07.01.2022 को प्राप्त हुयी तथा मा0 जनपद न्यायाधीश वाराणसी के आदेशानुसार विशेष न्यायालय एम0पी0/एम0एल0ए0 वाराणसी को प्राप्त हुयी।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिये पी0डब्लू0–1 अजय राय, पी0डब्लू0–2 विजय कुमार पाण्डेय, पी0डब्लू0–3 उदय भान सिंह, पी0डब्लू0–4 कृपाशंकर शुक्ल, पी0डब्लू0–5 डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी, पी0डब्लू0–6 चन्द्रभूषण राय को परीक्षित किया गया है।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किया गया।

क0सं0	**कागज**	**प्रदर्श**	**कागज सं0**	**साबितकर्ता साक्षी**
1.	लिखित तहरीर	**प्रदर्श क–1**	कागज सं0 63	पी0डब्लू0–1 अजय राय
2.	पंचायतनामा	**प्रदर्श क–2**	कागज सं0 143ब/7 लगायत 143ब/9	पी0डब्लू0–2 विजय कुमार पाण्डेय
3.	फर्द बरामदगी सफेद रंग मारूती	**प्रदर्श क–3**	143ब/18	पी0डब्लू0–3 उदय भान सिंह
4.	नक्शा नजरी	**प्रदर्श क–4**	143ब/30 लगायत 31	पी0डब्लू0–3 उदय भान सिंह
5.	फर्द खून आलूदा मिट्टी	**प्रदर्श क–5**	143ब/17	पी0डब्लू0–3 उदय भान सिंह
6.	फर्द 4 अदद खोखा कारतूस 0.32	**प्रदर्श क–6**	143ब/20	पी0डब्लू0–3 उदय भान सिंह
7.	फर्द 9 एम.एम. का खोखा कारतूस	**प्रदर्श क–7**	143ब/16	पी0डब्लू0–3 उदय भान सिंह
8.	आरोप पत्र	**प्रदर्श क–8**	143ब/26	पी0डब्लू0–4 कृपा शंकर शुक्ल
9.	चिक एफ0आई0आर0	**प्रदर्श क–9**	.....	पी0डब्लू0–4 कृपा शंकर शुक्ल
10.	एक्सरे परीक्षण हेतु रिपोर्ट	**प्रदर्श क–10**	.....	पी0डब्लू0–5 डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी
11.	पोस्ट मार्टम रिपोर्ट	**प्रदर्श क–11**	143ब/28	पी0डब्लू0–5 डॉ0 एस0के0 त्रिपाठी
12.	फोटोनाश	**प्रदर्श क–12**	143ब/5	पी0डब्लू0–3 उदय भान सिंह
13.	पुलिस प्रपत्र सं0–33	**प्रदर्श क–13**	143ब/10	पी0डब्लू0–3 उदय भान सिंह
14.	पुलिस प्रपत्र सं0–13	**प्रदर्श क–14**	143ब/12	पी0डब्लू0–3 उदय भान सिंह
15.	रिपोर्ट थाना लंका	**प्रदर्श क–15**	172ख/1	पी0डब्लू0–3 उदय भान सिंह

16.	रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर पोस्टमार्टम कराने हेतु	**प्रदर्श क–16**	172ख / 3	पी0डब्लू0–3 उदय भान सिंह

13. अभियुक्त मुख्तार अंसारी का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 दिनांक–16.01.2023 को अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक से इन्कार किया। अभियुक्त ने अभियोजन साक्षियों द्वारा गलत तथा विरोधाभाषी साक्ष्य देने, गलत विवेचना करने, चिकित्सक एवं तथ्य के साक्ष्य में गंभीर विरोध होने का कथन किया तथा यह भी कथन किया कि तथ्य के साक्षी एक ही आपराधिक गिरोह के हैं। सही अपराधियों को छोड़कर बदले की भावना से राजनैतिक विरोधी को इस मुकदमें में झूठा फंसा दिया है। मृतक अपराधी था, उनकी तमाम आपराधिक गिरोहों से रंजिश थी। सुबह के समय एक अपराधी ने उन्हें गोली मार दी। वादी मुकदमा जब बाहर से देर से आये तो उसके बाद का समय बताकर राजनीतिक रंजीशन फर्जी व झूठा मुकदमा लिखवा दिया। पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट फर्जी कार्यवाही को स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं।

अभियुक्त मुख्तार अंसारी द्वारा अतिरिक्त कथन अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मृतक अवधेश राय पर थाना चेतगंज, थाना सिगरा, थाना कैण्ट, थाना शिवपुर, थाना चौक व थाना रोहनियां वाराणसी में लगभग 21 मुकदमें सन् 1980 से ले करके सन् 1989 में लम्बित रहें जिनमें से धारा 307, धारा 302, गुण्डा एक्ट अधिनियम व गैंगेस्टर एक्ट के मामले प्रमुख है। सत्र परीक्षण सं0–2 सन् 1990, अपराध संख्या 5 सन् 1989 थाना सिगरा, वाराणसी के प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोस्टेट प्रति एफ0आई0आर0 व चार्जशीट में उक्त समस्त मामलों का उल्लेख है। सबसे प्रमुख विषय यह है कि अपराध सं0–195 सन् 1987, धारा 302, 307 आई0पी0सी0 थाना शिवपुर, वाराणसी में दिनांक 24.08.1987 को श्रीमती मधु राय ने इस अपराध के मृतक और अपने देवर अवधेश राय के विरूद्ध अपने पति की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया जिससे स्पष्ट है कि घर में ही भाईयों में एक–दूसरे पर हत्या करने का विरोध मौजूद था। उक्त आपराधिक लिहाज से सम्बन्धित एफ0आई0आर0 व चार्जशीट की प्रति तथा सगे भाई के हत्या में शरीक होने की एफ0आई0आर0 इस अतिरिक्त कथन के साथ संलग्न है। प्रार्थी कथित घ ाटनास्थल पर घटना के दिन मौजूद नही था बल्कि वह वाराणसी जिले में ही मौजूद नही था बल्कि अपने पैतृक आवास युसुफपुर, मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर पर मौजूद था। इस मुकदमें के आर्डरशीट के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि बहुत पहले इस मुकदमें की केस डायरी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पुलिस गलत ढंग से प्रार्थी को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है।

14. मैने अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

15. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–1 अजय राज** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतक स्व0 अवधेश राय मेरे सगे बड़े भाई थे। इस मुकदमे के मुल्जिमान मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह एवं राकेश कुमार श्रीवास्तव को घटना के पहले से जानता हूँ। ये सभी मुल्जिमान आपस में एक गोल के हैं। इस मुकदमें के अन्य मुल्जिम अब्दुल कलाम थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इनको भी मै घटना के पहले से जानता था। मुल्जिमान मेरे भाई अवधेश राय से रंजिश रखते थे।

इस मुकदमें के मुल्जिम राकेश कुमार श्रीवास्तव के अतिरिक्त अन्य कोई न्यायालय में इस समय मौजूद नही है। मुल्जिम मुख्तार अंसारी की ऊँचाई लगभग 6 फिट 3–4 इंच की है। मेरे मृतक भाई अवधेश राय की ऊँचाई लगभग 5 फिट 3–4 इंच की थी।

थाना चेतगंज लहुराबीर से नई सड़क जाने वाली सड़क पर स्थित है। थाना चेतगंज के भवन के सामने से जो सड़क पश्चिम को गयी है, उस पर लगभग 150 मीटर जाने पर मेरा मकान है। पश्चिम जाने वाली इस सड़क के उत्तर तरफ मेरा मकान स्थित है। मेरे मकान का निकास दक्षिण दिशा में है। इस सड़क के दूसरे तरफ पल्लवी होटल व हचुआ मार्केट की चहार दीवारी है।

घटना के समय मेरे मकान का मुख्य दरवाजा जहां घटना घटी थी मेरे मकान के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर स्थित था। घटना के पश्चात मैने दरवाजे को, हटवा कर कुछ दिन बाद मैने अपने मकान का मुख्य दरवाजा मकान के पूर्वी दक्षिणी कोने पर लगा दिया है तथा पूर्व के मुख्य दरवाजे को दीवार बनवा कर बन्द कर दिया गया है।

घटना 03.08.1991 समय लगभग 1.00 बजे दिन की है। मै व मेरे भाई मृतक अवधेश राय, विजय कुमार पाण्डेय तथा कतवारू चौहान अपने दरवाजे पर खड़े थे। इतने में एक सफेद रंग की मारूति वैन जिसमें नम्बर प्लेट नहीं था और शीशों में काली फिल्म चढ़ी थी, वहॉ आकर रूकी। उस मारूति वैन से मुल्जिमान मुख्तार अंसारी, राकेश कुमार श्रीवास्तव, कमलेश सिंह, भीम सिंह तथा स्व0 अब्दुल कलाम तथा एक अन्य व्यक्ति जिसको मै जानता नही हूँ, जिसको देखकर मै पहचान सकता हूँ अपने हाथों में रिवाल्वर व पिस्टल लेकर उतरे तथा ललकारते हुये मेरे भाई अवधेश राय के ऊपर जान मारने की नियत से गोली चलाने लगे। गोलियों की चोट मेरे भाई अवधेश राय को लगी व चोट खाकर वह वहीं गिर गये। मैने बचाव में अपने निजी लाईसेन्सी पिस्टल से फायर किया। मेरे फायर की गोलियॉ उक्त मारूति वैन में

लगी थी। तब मुल्जिमान मारूति वैन छोड़कर भागे, उसी समय थाना चेतगंज की पुलिस ने भी मुल्जिमान का पीछा किया था।

मुल्जिमान के भाग जाने के बाद मुल्जिमान द्वारा छोड़ी गयी मारूति वैन जिसमें चाभी लगी मुल्जिमान छोड़ गये थे, मे लोगों की मदद से अपने घायल भाई अवधेश राय को लादा और उन्हें मै खुद गाड़ी चलाकर कबीरचौरा अस्पताल ले गया। कबीरचौरा अस्पताल में डॉक्टरों ने मेरे भाई अवधेश राय को देखकर मृत घोषित कर दिया। तब मैने कबीरचौरा सरकारी अस्पताल में राजेन्द्र कुमार से बोलकर घटना के बारे में एक प्रार्थना पत्र लिखवाया, जो कुछ मैने बोला था वही राजेन्द्र कुमार ने मेरे सामने लिखा था। प्रार्थना पत्र लिखने के बाद राजेन्द्र प्रसाद ने बतौर लेखक अपना पता अंकित कर अपने दस्तखत बनाये थे। उस प्रार्थना पत्र को पढ़कर मैने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। कबीरचौरा अस्पताल में मेरे द्वारा बोलकर राजेन्द्र कुमार से लिखवाया गया सम्बन्धित प्रार्थना पत्र संलग्न पत्रावली मेरे सामने है, इस पर मेरे हस्ताक्षर है, मै इसकी शिनाख्त करता हूँ, इस प्रार्थना पत्र पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। इस प्रार्थना पत्र के लेखक राजेन्द्र कुमार की इस घटना के बाद मृत्यु हो गयी है। अपने भाई के शव को कबीरचौरा अस्पताल में छोड़कर मै इस प्रार्थना पत्र को लेकर थाना चेतगंज गया था और थाने पर प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करवाया था। उसके बाद मै पुनः कबीरचौरा अस्पताल जहां मेरे भाई की लाश थी, लौटकर वापस आ गया। कबीरचौरा अस्पताल में ही चेतगंज थाने के इंस्पेक्टर साहब ने आकर मेरा बयान लिया था। बयान देने के बाद मैने इंस्पेक्टर साहब को वह गाड़ी जिसे मुल्जिमान छोड़ गये थे और जिस पर मै अपने मृतक भाई को लेकर कबीरचौरा अस्पताल गया था को उन्हें दिखाया था। तब इन्सपेक्टर साहब ने कबीरचौरा अस्पताल में ही फर्द तैयार करके उक्त मारूति वैन को मय चाभी कब्जा पुलिस में लिया था। कबीरचौरा अस्पताल में पुलिस ने मेरे भाई अवधेश राय की लाश का पंचनामा करने के उपरान्त लाश को सील मुहर कर पोस्ट मार्टम के लिये बी0एच0यू0 चीरघर भेजवाया और फिर इंस्पेक्टर साहब मुझे अपने साथ लेकर मुझे अपने घर के दरवाजे पर स्थित घटनास्थल पर ले आये, जहां मैने दरोगा जी को घटनास्थल का निरीक्षण कराया। घटनास्थल से इंस्पेक्टर साहब ने खून लगी मिट्टी व सादी मिट्टी, मुल्जिमान के फायर किये हुये गिरे खोखे तथा मेरे फायर से गिरे खोखे को घ टनास्थल से कब्जा पुलिस लिया था।

16. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–1 अजय राज** ने **जिरह** में कथन किया है कि प्रश्नगत मकान नं0–सी 21/94 सी मेरा पैतृक मकान है। इस समय हमलोग 5 भाई है। इनके नाम राकेश राय, राजेश राय, सुरेश राय, चन्द्रेश राय व मै स्वयं हूँ। प्रश्नगत घटना से पहले हम सभी पांचो भाई तथा मेरे मृतक भाई श्री अवधेश राय उक्त मकान में रहते आये हैं। ग्राम सुद्धीपुर अंतर्गत थाना शिवपुर में हमलोगों की

जूट फैक्टरी है जिसमें हमलोगों का मकान भी है। वह जायदाद भी हमारी पैतृक सम्पत्ति है। जूट फैक्टरी वाले मकान में हम भाईयों में से किसी का परिवार नहीं रहता है। घटना के समय भी जूट फैक्टरी वाले मकान में हम भाईयों में से किसी का परिवार नहीं रहता था। यह मुझे इस समय ध्यान नही है कि घटना के जमाने में उपरोक्त जूट वाली फैक्टरी चलती थी या नहीं। उक्त फैक्टरी पिताजी के समय से थी। जब वह फैक्टरी चलती थी तो दिन में चलती ही थी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर रात में भी चलती थी। हम सब भाई मिलकर खेती तथा पैतृक कारोबार देखते थे।

हम सभी भाई शिक्षित हैं। घटना के जमाने मे मै ग्रेजुएशन कर रहा था तथा मेरे अन्य भाई ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके थे। हमसब भाई शिक्षित होते हुए घटना की रिपोर्ट हम भाईयों में से किसी ने स्वयं नहीं लिखी। घटना के समय हम भाईयों के बच्चे छोटे–छोटे थे। हम भाईयों में से बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा लगभग 10–12 वर्ष का रहा होगा। हम भाईयों के बच्चे उस समय स्कूल जाया करते थे। बच्चों में लड़के भी थे व लड़कियॉ भी थी। घटना के समय हमारे घर की महिलायें भी शिक्षित थी। मेरे भाई राजेश का कोई पुत्र नहीं है। मेरे भाईयों के परिवार के किसी भी सदस्य से घटना की रिपोर्ट मैने नहीं लिखवायी बल्कि जो उस समय मौजूद था उसी से लिखवायी। घटना की रिपोर्ट का लेखक राजेन्द्र कुमार घ ाटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। रिपोर्ट का लेखक राजेन्द्र कुमार सेनपुरा का रहने वाला था। रिपोर्ट का लेखक राजेन्द्र कुमार पड़ोस के मुहल्ले का रहने वाला था और मै उसे कुछ वर्षो से जानता था। निश्चित अवधि मुझे ध्यान नही है। घटना वाले दिन लेखक राजेन्द्र कुमार थे, जब घटना की जानकारी हुयी तो वह स्वयं आये थे, मैने उन्हें बुलवाया नही था। उक्त राजेन्द्र कुमार से घटना वाले दिन मेरी मुलाकात अस्पताल में लगभग सवा, डेढ़ बजे (दोपहर) के आस–पास हुयी थी। मुझे ध्यान नही है कि उक्त राजेन्द्र कुमार के साथ कोई और व्यक्ति था या नही। उक्त राजेन्द्र कुमार मेरे अस्पताल पहुॅचने के बाद आया था, पहले से मौजूद नही था। उक्त राजेन्द्र कुमार से अस्पताल में मुलाकात होने के बाद वह मेरे साथ लगभग आधा घण्टा रहा होगा। वह मेरे साथ थाना चेतगंज नही गया था। मै अपने भाई के लाश के पास उक्त राजेन्द्र कुमार को छोड़कर थाना चेतगंज चला गया था। चेतगंज थाने से मै पुनः अस्पताल सीधे वापस आया था। अस्पताल से थाने पर मै वाहन से गया था, जो वाहन मेरे साथ घटनास्थल से अस्पताल जाते समय थी उस वाहन से मै थाने नही गया था। घर से अस्पताल जाते समय मै मारूति वैन से गया था तथा अन्य कोई वाहन अपने साथ नही ले गया था। जब मै मारूति वैन से मृतक को लेकर अस्पताल गया था तो वहॉ पर मै 30–40 मिनट तक रूका था उसके बाद फिर मै थाने गया था। अस्पताल से थाने साथ जाने वाले मेरे बड़े भाई राजेश राय, सुरेश

राय व अन्य कई लोग थे जो तीन–चार की संख्या में थे। अन्य लोगों के नाम मुझे ध्यान नही है। मुझे यह ध्यान नही है कि अन्य लोगो में विजय कुमार पाण्डेय व कतवारू चौहान शामिल थे कि नही। उपरोक्त दोनों गवाहान मुकदमा विजय कुमार पाण्डेय व कतवारू चौहान मेरे साथ कबीरचौरा अस्पताल में थे यह मुझे याद है।

मेरे निवास स्थान से थाना चेतगंज वाराणसी मात्र 100–150 कदम दूरी पर है। मेरे मकान से अस्पताल कबीरचौरा जाने के लिए कई रास्ते हैं, जिनमें से एक मुख्य रास्ता थाना चेतगंज होते हुए भी है। कबीरचौरा अस्पताल थाना कोतवाली सीमाक्षेत्र में स्थित है। थाना कोतवाली कबीरचौरा अस्पताल से नजदीक स्थित है। जब मै वैन में मृतक को घर से ले गया तो अस्पताल जाते समय मै सीधा अस्पताल गया। मैने अस्पताल जाने के पहले घटना की सूचना थाने पर नही दिया। घटना के सम्बन्ध में मेरे द्वारा थाना चेतगंज पर रिपोर्ट लिखवायी गयी थी इसलिए मेरे भाईयों व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कहीं भी कोई रिपोर्ट अथवा शिकायत घटना के बारे में दर्ज नही करायी गयी। घटना के समय घटनास्थल पर क्योंकि मै मौजूद था, इसलिए घटना की जानकारी मुझे होने के कारण घटना की रिपोर्ट मेरे द्वारा दर्ज करायी गयी थी। घटना के जमाने में हम भाईयों के पास घर पर एक, दो चार पहियों वाली गाड़ियॉ थी।

जब मै थाने पर रिपोर्ट लिखाने गया तब मै अकेला था और थाने पर दरोगा जी मौजूद थे। दरोगा जी से मेरा मतलब थानाध्यक्ष चेतगंज से है, उनके नाम की इस समय मुझे जानकारी नही है। थानाध्यक्ष चेतगंज ने इस मुकदमें की विवेचना शायद नही की थी।

प्रश्न– थाना पर पहुॅचने के बाद आपकी थानाध्यक्ष से बातचीत हुई या नही।

उत्तर–थाना पहुॅचने के बाद मै जो रिपोर्ट लिखकर ले गया था वह रिपोर्ट थाने के मुंशी को दी, थानाध्यक्ष से मेरी कोई बात चीत नही हुयी।

घटना की रिपोर्ट थाने पर मुंशी को देने के बाद मुंशी ने वह रिपोर्ट थाने पर दर्ज कर ली। रिपोर्ट रजिस्टर में दर्ज होने के बाद मुझे सम्बन्धित मुंशी ने एक कॉपी दिया था। वह कागज चिक एफ0आई0आर0 की कार्बन कॉपी थी। मुझे यह ध्यान नहीं है कि कार्बन कॉपी देते समय मेरे हस्ताक्षर प्रति प्राप्त करने के बाबत कराये थे अथवा नही। यह मुझे ध्यान नही है कि किसी भी कागज पर मुझसे थाने पर हस्ताक्षर कराये गये थे कि नही। एफ0आई0आर0 दर्ज हुयी। मुकदमा दर्ज किया गया।

थाने पर मुकदमा कायम होने के बाद विवेचक द्वारा मेरा बयान थाने पर अंकित नही किया गया। थाने से मेरे साथ थानाध्यक्ष या अन्य कोई दरोगा अस्पताल नही गया था। जब मै थाने से अस्पताल वापस पहुॅचा तो उस समय दरोगा जी अस्पताल में मौजूद नहीं थे। थाने से अस्पताल पहुॅचने के करीब 5–7 मिनट बाद मेरी दरोगा जी से मुलाकात हुयी। मुझे यह ध्यान नही है कि थाने से अस्पताल

पहुॅचने के दरमियान दरोगा जी ने मुझे घटनास्थल दिखाने के लिए कहा कि नही। थाने से अस्पताल पहुॅचने के दरमियान मैने दरोगा जी को घटनास्थल नही दिखाया था। कबीरचौरा अस्पताल पहुॅचने के बाद मै लगभग 1.30–2 घण्टे तक अस्पताल में लगातार रहा, जिसमें मेरी दरोगा जी से अस्पताल में मुलाकात हुयी, उस समय मेरे मृतक भाई की लाश वार्ड नं0–5 के सामने सेफ्टी टैंक स्ट्रेचर पर रखी थी। यह मुझे ध्यान नही है कि उनकी लाश स्ट्रेचर पर उस जगह वार्ड नं0–5 से लायी गयी थी या इमरजेंसी वार्ड से लायी गयी थी।

दरोगा जी के अस्पताल पहुॅचने के बाद सर्वप्रथम पंचनामें की कार्यवाही की गयी थी। जब पंचनामा हुआ था, उस समय मै अपने मृतक भाई की लाश से 15 कदम दूर पर खड़ा था। जिस स्थान पर मेरे मृतक भाई की लाश रखी गयी उसी स्थान के आस पास पंचनामें की कार्यवाही हुयी थी। जिस स्थान पर मेरे मृतक भाई की लाश रखी हुयी थी उस स्थान के आस पास ही पंचनामें की कार्यवाही हुयी थी लेकिन मै इसका निश्चित स्थान अथवा दिशा नही बता सकता। यह मुझे ध्यान नहीं है कि पंचनामा करने वाले दरोगा जी कबीरचौरा के क्षेत्रीय थाना कोतवाली के थे अथवा नही। मुझे दरोगा जी ने पंचायतनामा में पंच मुकर्रर नही किया था। पंचायतनामा की पूरी कार्यवाही के दौरान मै उस स्थान पर आस पास इधर उधर टहल रहा था, कहीं गया नही था। पंचायतनामा शुरू होने व समाप्त होने का समय मुझे इस समय याद नही है। पंचायतनामा के पंच मेरे बड़े भाई श्री राजेश राय, श्री हर्षवर्धन सिंह, श्री गोवर्धन यादव, श्री विजय पाण्डेय थे, अन्य का नाम मुझे याद नही आ रहा है। ये सभी पंच आस पास के मोहल्ले के हैं। पंचायतनामा के अभिलेख पर मेरे हस्ताक्षर नही हुए थे। उस दिन अस्पताल में किसी अन्य कागज पर भी मेरे हस्ताक्षर नही कराये गये थे।

घटनास्थल से मेरे मृतक भाई को उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में मेरे अलावा श्री विजय कुमार पाण्डेय एवं कतवारू सिंह चौहान ने उठाकर लादा था। मेरे मृतक भाई को घटना के बाद गाड़ी में लादने वाले केवल उपरोक्त व्यक्ति ही थे कोई अन्य व्यक्ति नही था। उस समय मेरे मृतक भाई के शरीर से काफी खून बह रहा था। घटना के समय मेरे मृतक भाई ने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहने हुए था तथा कन्धे पर गमछा था तथा दाहिने बाह में धागे के अन्दर चार–पॉच ताबीज पहिने था। घटना होने पर मेरे मृतक भाई के शरीर पर जो कपड़े थे, वे खून से बायी तरफ के, जिस तरफ गोली लगी थी खून से भीग गये थे। मेरे मृतक भाई को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाने के क्रम में हमारे हाथ पर खून लग गया था लेकिन हमारे कपड़ो पर खून नही लगा था। मुझे यह ध्यान नही है कि मेरे अलावा जो अन्य व्यक्ति थे, जिन्होने मेरे मृतक भाई को गाड़ी में लादने में सहायता की थी, उनके कपड़ो पर खून लगा था कि नही। मुझे ध्यान नही है कि पूरी विवेचना के दौरान मेरे

सामने या मौजूदगी में विवेचनाधिकारी ने मेरा कोई कपड़ा या उपरोक्त नामित दोनों व्यक्तियों विजय कुमार पाण्डेय व कतवारू चौहान का कोई कपड़ा कब्जे में लिया या नही।

घटना घटित होने के बाद जब मेरे मृतक भाई को गाड़ी में लादकर अस्पताल ले जाया गया तो उस गाड़ी में मेरे अलावा उपरोक्त नामित दोनों व्यक्ति ही थे अन्य कोई व्यक्ति नही था। पंचानाम होने के पश्चात मेरे मृतक भाई की लाश को पुलिस वाले अस्पताल से चीरघर बी0एच0यू0 ले गये थे। पंचायतनामा की कार्यवाही पूरी होने के बाद लगभग 5–10 मिनट के बाद मेरे मृतक भाई की लाश चीरघर बी0एच0यू0 ले जायी गयी। मै या मेरे साथ जो उपरोक्त नामित दो व्यक्ति थे, हम तीनों में से कोई भी व्यक्ति मेरे मृतक भाई की लाश के साथ नहीं गया था जब वह लाश पंचनामा पूरा होने के पश्चात अस्पताल से चीरघर बी0एच0यू0 ले जायी गयी थी। जिस दिन घटना घटी थी, उस दिन मै चीरघर बी0एच0यू0 नही गया था। मुझे यह ठीक से ध्यान नही है कि उस दिन मेरे मृतक भाई का पोस्ट मार्टम हुआ था कि नही। शायद दूसरे दिन हुआ। यह घटना 3 अगस्त सन 1991 की है। सम्भवतः घटना शायद सावन महीने की थी।

(इस स्तर पर न्यायालय में अचानक सीरियल बम ब्लास्ट के कारण कार्यवाही बीच में ही स्थगित करनी पड़ी)

मैने यह बात रिपोर्ट में लिखवाया है कि मै इस घटना के पहले से मुल्जिमान मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह एवं राकेश कुमार श्रीवास्तव को जानता पहचानता हूॅ। गवाह को तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श क–1 दिखायी गयी, जिसको पढ़ने के बाद गवाह ने कहा कि उक्त लोगों को पहले से जानने वाली बात इसमें नही लिखी है लेकिन उसके अन्दर मैने यह लिखा है कि मेरी उनके पहले से रंजिश चल रही थी। मेरे हिसाब से इसका मतलब यही निकलता है कि मै पहले से उनको जानता था। उक्त रिपोर्ट में यह नही लिखा है कि मेरी उनसे पहले से रंजिश चल रही थी बल्कि यह लिखा है कि मेरे भाई की उनसे पहले से रंजिश चल रही थी। मैने रिपोर्ट में यह लिखाया है कि मुल्जिमान एक गोल के हैं, ध्यान नही है। यह बात मैने लिखित तहरीर में उस समय इसलिए नही लिखायी थी क्योंकि उस समय मुझे यह जानकारी नही थी कि वह एक ही गोल के है, यह जानकारी मुझे बाद में हुयी। यह जानकारी मुझे घटना के दूसरे दिन हुयी थी कि वे एक ही गोल के है। मुझे यह जानकारी चर्चा के द्वारा हुयी। किसके द्वारा हुयी यह नही बता सकता। यह चर्चा पोस्ट मार्टम हाउस पर हुयी।

मैने दरोगा जी को बयान देते वक्त यह बता दिया था कि मै घटना होने के पहले से ही मुल्जिमान मुख्तार अंसारी, कमलेश सिंह, भीम सिंह व राकेश कुमार श्रीवास्तव को जानता पहचानता हूॅ। यदि दरोगा जी ने मेरे बयान में उक्त बाते न

लिखी हो तो इसके बाबत दरोगा जी ही बता सकता है, मै नही बता सकता। यह मुल्जिमान एक ही गोल के है, यह बाते मैने दरोगा जी बयान देते वक्त बता दी थी। दरोगा जी ने यह बात मेरे बयान में क्यों नही लिखी इसका मै कोई कारण नही बता सकता। इस बारे में वह जाने, मैने अपने लिखित रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी की लम्बाई लगभग 6 फुट 3 या 4 इंच होना तथा मृतक भाई अवधेश राय की उॅचाई 5 फिट 3 या 4 इंच होना नहीं लिखाया था लेकिन बयान देते समय उक्त दोनों की उॅचाई दरोगा जी को बता दी थी। दरोगा जी ने उनकी उंचाई मेरे बयान में क्यों नही लिखी, इस बारे में वे ही बता सकते है, मै नही बता सकता। मुझे यह ध्यान नही आ रहा है कि मैने अपने लिखित तहरीर में यह लिखवाया था कि नही कि घ ाटना में प्रयुक्त मारूति वैन के शीशे पर काली फिल्म चढ़ी थी। घटना में प्रयुक्त मारूति वैन में काली फिल्म चढ़े होने वाली बात मैने अपने लिखित तहरीर मे नही लिखवाया था क्योंकि उस समय मै अपने मृतक भाई की घटना में हुयी मृत्यु के कारण परेशान था। मुझे इस समय यह ध्यान नही आ रहा है कि मैने अपने लिखित तहरीर में यह लिखवाया कि नही कि मुल्जिमान अपने हाथों में रिवाल्वर व पिस्टल लेकर उतरे क्योंकि मै लिखित तहरीर लिखाते समय घटना को लेकर परेशान था इसलिए मैने अपनी लिखित तहरीर में रिवाल्वर व पिस्टल शब्दों का प्रयोग नही किया केवल असलहा लिखा। दरोगा जी को मैने यह बात बतायी थी कि मुल्जिमानों के हाथ में रिवाल्वर व पिस्टल थी, दरोगा जी ने यदि मेरे बयान में उक्त बातें नही लिखी हो तो मै इसकी कोई वजह नही बता सकता। मुझे ध्यान नही है कि मुल्जिमान के भाग जाने के बाद मुल्जिमान द्वारा छोड़ी गयी मारूति वैन जिसमें चाभी लगी मुल्जिमान छोड़ गये थे। मै लोगों की मदद से अपने घायल भाई अवधेश राय को लादा और उन्हें खुद गाड़ी चलाकर कबीरचौरा अस्पताल ले गया। यह बात मैने अपनी तहरीरी रिपोर्ट में लिखवायी थी कि नहीं। गवाह को तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श क–1 दिखायी गयी, जिसे पढ़कर गवाह ने कहा कि लिखित तहरीर में उपरोक्त बातों में से केवल यह बात नहीं लिखी गयी है कि अभियुक्तगण गाड़ी में चाभी लगी छोड़ गये तथा गाड़ी को मै स्वयं चलाकर अस्पताल ले गया था लेकिन बाकी बातें लिखित रिपोर्ट में लिखी गयी हैं। मै घटना घटित होने के कारण परेशान था इसलिये लिखित रिपोर्ट में मैने उक्त बात नहीं लिखा है लेकिन उक्त बात मैने दरोगा जी को बयान देते समय बता दिया था। दरोगा जी ने उक्त बात को मेरे बयान में क्यों नही लिखा, इसका कारण दरोगा जी ही बता सकते हैं, मै नहीं बता सकता।

मेरे मकान का मुख्य गेट जो बाउण्ड्री से लगा है वह घटना के जमाने में दक्षिण पश्चिम कोने पर स्थित था। इस समय यदि न्यायालय घटनास्थल का निरीक्षण करे तो वह गेट नहीं मिलेगा। मुझे ध्यान नही है कि घटना के समय स्थित गेट को बंद करने व उसके स्थान को परिवर्तित करने के सम्बन्ध में किसी पुलिस

अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या अन्य किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र दिया था कि नहीं अथवा उनको सूचित किया कि नहीं। वाराणसी विकास प्राधिकरण के कार्यालय से मैने अपने मकान के गेट की स्थित बदलने के बाबत कोई अनुमति इसलिये प्राप्त नहीं की, क्योंकि ऐसा करना आवश्यक नही था। यह मकान नगर महापालिका वाराणसी एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। मकान में कोई तब्दीली करने की सूचना विकास प्राधिकरण को देना आवश्यक था व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था, इस बारे में मै कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इन कामों को मेरे पिता जी देखते थे। यह ध्यान नही है कि घटनास्थल अर्थात मेरे घर के गेट की स्थिति परिवर्तन करने से पूर्व कोई फोटोग्राफी गेट की स्थित को लेकर की गयी या नही। यह बात मेरे पिता जी को मालूम रही होगी। इस बारे में मैने कोई फोटोग्राफी नही की। मुझे इसबात की आज तक जानकारी नही हुई कि मेरे मकान के गेट की स्थिति के परिवर्तित करने हेतु विकास प्राधिकरण से कोई अनुमति मेरे पिता जी द्वारा ली गयी अथवा नही तथा गेट की स्थिति बदलने से पूर्व कोई फोटोग्राफी बतायी गयी थी कि नहीं। मेरे पिता जी की मृत्यु सन् 1994 में हुयी थी।

मुझे पिस्टल का लाईसेंस मेरे विद्यार्थीकाल में ही मिल गया था। मै उस समय स्नातक के किस वर्ष में पढ़ रहा था, यह मुझे याद नही है। पिस्टल का लाईसेंस मुझे 89 या 90 में मिल गया था। लाईसेंस मुझे नागालैण्ड से जारी हुआ था और उसका रजिस्ट्रेशन मैने वाराणसी में करा लिया था। वाराणसी में मेरे उक्त लाईसेंस का रजिस्ट्रेशन किस सन में हुआ था यह मुझे याद नही है। प्रश्नगत घटना से कितने दिन पहले मैने कारतूस अपने लाईसेंस पर issue कराये थे, यह मुझे याद नही है। यह भी ध्यान नही है कि मैने अपने लाईसेंस पर कितने कारतूस issue कराये थे। मेरा उक्त लाईसेंस अभी तक continue कर रहा है। मुझे इसका ध्यान नही है कि मेरी पिस्टल विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा कब्जा पुलिस में लेने के बाद में कोई कागज लिखा कि नही। मुझे ध्यान नहीं है कि विवेचक ने मेरी पिस्टल सुपुर्दगी में देने के सम्बन्ध में कोई कागज लिखा की नही। विवेचक ने देखने के बाद उसे मुझको वापस लौटा दिया और यह कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से इसे आप अपने पास रखिये। विवेचक व मेरे बीच पिस्टल के सम्बन्ध में जो बातचीत हुयी वह लिखित रही अथवा मौखिक रही, यह मुझे ध्यान नही है।

प्रश्न—कागज सं0—151ख/1 दिनांकित 21.01.2022 जिसके द्वारा मैने इस सत्र परीक्षण की सुनवायी सत्र परीक्षण सं0—201/2007 जिसमें इस पत्रावलियां की मूल पत्रावलियां है जिसके द्वारा मैने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ट्रांसफर एप्लीकेशन सं0—27/2022 प्रस्तुत किया है, में दिनांकित 21.01.2022 के आवेदन पत्र के द्वारा मूल पत्रावली आने तक प्रार्थी साक्षी का साक्ष्य अंकन न किये जाने का आवेदन किया गया है आप द्वारा हस्ताक्षरित या आवेदन पत्र है या नहीं?

उत्तर—मैने अधिवक्ता के माध्यम से एप्लीकेशन दिया है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

प्रश्न—मूल पत्रावलियों के साथ संलग्न पत्रावली इस न्यायालय को ट्रांसफर किये जाने हेतु ट्रांसफर एप्लीकेशन क्रिमीनल नम्बर 27/2022 आपने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रस्तुत किया है जिसमें दिनांक 16.02.2022 दिनांक 15.03.2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने विभिन्न आदेश पारित किये हैं और कम्प्यूटर स्टेटस के मुताबिक 31 मई 2022 सुनवायी हेतु नियत है?

न्यायालय द्वारा इस प्रश्न की सुसंगता पर विद्वान अधिवक्ता से पूछा गया तो विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अगले प्रश्न पर बताउंगा।

प्रश्न—वादी स्वयं मूल प्रपत्रों के बगैर लिखित रूप से और माननीय उच्च न्यायालय जाकर ट्रांसफर एप्लीकेशन के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में अनिच्छुक है जिसके द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन के लंबित रहते हुये और बिना मूल पत्रावली के आहूत हुये वादी मुकदमा का साक्ष्य न्यायसंगत नहीं है?

न्यायालय द्वारा इस प्रश्न की सुसंगता पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता से पूछा गया तो विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अभिकथित किया गया कि वादी के द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन के लंबित रहने तथा मूल पत्रावली के अभाव में साक्ष्य नहीं हो सकता। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उक्त प्रश्न पर न्यायालय द्वारा विचारण के सम्बन्ध में विस्तृत पारित आदेश दिनांकित 26.04.2022 पारित किया गया है। उक्त प्रतिपरीक्षा के स्तर पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रश्न को allow व Disallow करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कथन करते हुए बाहर निकल गये। इस स्तर पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 157ख प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश पारित किया गया।

मैंने अपने चुनावी घोषणापत्र/शपथपत्र में अपने खिलाफ लंबित मुकदमों का जिक्र किया है। मेरी चुनावी घोषणापत्र/शपथपत्र में लगभग 25 मुकदमों का जिक्र है जिसमें न्यायालय द्वारा काफी छोड़े जा चुके हैं। न्यायालय द्वारा छोड़े गये मुकदमों में 302, 307 आई.पी.सी., गुण्डा एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे हैं। मैंने छात्र जीवन से राजनीतिक शुरुआत की। मैं दलगत राजनीति में किस वर्ष से आया वर्ष का ध्यान मुझे नहीं है। थाना चेतगंज ने मुझे हिस्ट्रीशीटर घोषित किया था या नहीं मेरी जानकारी में नहीं है। मृतक अवधेश राय पर कितने मुकदमे चले थे इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। मृतक अवधेश राय को थाना चेतगंज ने हिस्ट्रीशीटर घोषित किया था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं पांच बार विधायक रहा हूँ। एक बार मैं 11 महीने मंत्री भी रहा हूँ।

प्रश्न—भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार आप जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते सवालों का जवाब अदालत में ध्यान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते।

उत्तर– अभी मेरे ध्यान में नहीं है। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं कोर्ट को गुमराह करूँ।

घटनास्थल पर जिस पिस्टल से फायर किया था विवेचक को दिखाया था। विवेचक को मैंने पिस्टल दिया था सुरक्षा के दृष्टिगत पिस्टल विवेचक ने वापस कर दिया। विवेचक को मैंने अपना पिस्टल का लाइसेंस दिखाया था। घटना के दिन मै घटनास्थल पर अपने बड़े भाई मृतक अवधेश राय के साथ बाहर से आया था घर के अंदर से नहीं आया था। मुझे इस समय ध्यान नहीं है कि घटना होने के कितने देर पहले मैं घटनास्थल पर अपने भाई के साथ आ गया था। घटनास्थल पर मैं अपने भाई के बायी तरफ पांच–छः फीट की दूरी पर खड़ा था। जब अवधेश राय के ऊपर गोली चली उसके कितने देर बाद मैंने गोली चलायी मुझे ध्यान नहीं है। मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि मैं भी बचाव में अपनी निजी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया जो मारुति वैन में लगी है। मुझे इस समय ध्यान नहीं है कि मैंने चार फायर किये थे। फायरशुदा कारतूस मैंने विवेचक को नहीं दिया था मौके पर आकर विवेचक ने खुद लिया था। मुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि फायर किये गये अपने चार खोखों को विवेचक को दिखाया था या नहीं। मैंने जो फायर किया वो सारे फायर मारुति वैन में जाकर लगे। जो मैंने मारुति वैन पर फायर किया वो फायर मारूति वैन के पीछे लगे। मैंने फायर करने वाले पर फायर किया वह फायर मारुति वैन में लगा। अवधेश राय पर फायर करने वालों ने मारुति वैन से उतरकर फायर किया था। मुझे यह ध्यान में नहीं है कि जब फायर करने वालों ने मारुति वैन से उतरकर फायर किया, फायर करने के कितने देर बाद फायर करने वालों ने मारुति में बैठे। जब फायर करने वालों ने मारुति वैन में बैठने का प्रयास किया तब मैंने फायर किया। मुझे यह ध्यान नहीं है कि मारुति वैन में दोनों तरफ से मुल्जिमान बैठ रहे थे या नहीं। फायर करने वालों ने मारुति वैन घटनास्थल से लगभग 50–60 मीटर के आगे मारुति वैन छोड़ी। जहाँ से मारुति वैन छोड़ी वहां से मुल्जिमान पैदल उतरकर भाग गये। जिस समय अवधेश राय पर गोली चली उस समय मै थोड़ा आगे बढ़कर मुल्जिमानों पर गोली चलायी। उस समय कितना आगे बढ़ा था यह मुझे ध्यान नहीं है। मुल्जिमान मुझे क्रास करके गये थे। जब मुल्जिमान मुझे क्रास कर रहे थे तो मैंने फायर किया था। मुल्जिमानों ने मृतक पर गोली चलाने के बाद मुझे पैदल क्रास किया था। मुल्जिमान मुझे क्रास करने के कितने कदम बाद गाड़ी में बैठे मुझे ध्यान नहीं है। मुल्जिमान के आने व फायर करके भागने में कितना वक्त लगा मै सुनिश्चित समय नहीं बता सकता। अंदाज से भी मैं नहीं बता सकता। घटनास्थल कालोनी का रास्ता है व्यस्त सड़क नहीं है। यह सड़क आगे तीन–चार सड़कों में जाकर मिलती है। यह कहना गलत है कि घटनास्थल व्यस्त सड़क है। घटना के समय सवारियों का आना–जाना नहीं था। ऐसा नहीं है कि जब गोली चली तो मैं किसी गली में

जाकर के छिप गया था मैं घटनास्थल पर था। मुझे मुल्जिमान जानते पहचानते थे कि मै मृतक का छोटा भाई हूं। मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह बात नहीं है कि मैंने मुल्जिमानों का पीछा किया। मौके पर मारुति वैन चाभी लगी मिल गयी थी मुझे अपने भाई को हास्पिटल ले जाना था इसलिये मैंने अपने घर में रखी चार निजी गाड़ियों का प्रयोग नहीं किया। मेरे घर में चार गाड़ियां गेट के कितने अंदर खड़ी थी मुझे ध्यान नहीं है। मैं घटनास्थल पर घटना होने के बाद कितने समय तक घ ाटनास्थल पर रहा मुझे ध्यान नहीं है, तत्काल मैं अपने भाई को हास्पिटल ले गया। मैंने रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि थाना चेतगंज की पुलिस ने मुल्जिमानों का पीछा किया, कितने पुलिस वालों ने मुल्जिमानों का पीछा किया मुझे ध्यान नहीं है काफी पुलिस बल थी। मैंने अपने भाई को विजय पाण्डेय व कतवारू की मदद से गाड़ी में लादा। 60 मीटर की दूरी से मुल्जिमानों की मारुति वैन कौन लेकर आया मुझे ध्यान नहीं है। मै मारुति वैन को चलाकर हास्पिटल से गया था। गाड़ी चालू हालत में लोग लेकर के घटनास्थल पर आये थे, कौन यह बताया कि गाड़ी में चाभी लगी है मुझे ध्यान नहीं है। गाड़ी ले आने वालों ने बैक करके लायी थी या घुमाके लायी थी मुझे ध्यान नहीं है। गाड़ी में कबीरचौरा हास्पिटल मेरे साथ विजय व कतवारू गये थे। घटना के बाद अस्पताल जाने के पूर्व घटनास्थल पर थाना चेतगंज की पुलिस से मेरी बातचीत हुयी या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। मृतक की मृत्यु घटनास्थल पर हो गयी थी या नहीं में नहीं बता सकता। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित किया था। अस्पताल जाते समय मै थाना चेतगंज के सामने से गया था या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। कबीरचौरा अस्पताल में डॉक्टर ने कितने समय बाद मेरे भाई की मृत्यु घोषित किया मुझे ध्यान नहीं है। कबीरचौरा अस्पताल में डॉक्टर से देखने के तुरंत बाद ही मेरे भाई को मृत्यु घोषित कर दिया। अस्पताल में मै कितने देर रहा ध्यान नहीं है। जब मेरे भाई को मृत्यु घ ोषित किया उसके बाद लगभग आधे घंटे बाद मै थाना चेतगंज गया। मैं कितने बजे थाना चेतगंज पर पहुंचा मुझे ध्यान नहीं है। मैं थाना चेतगंज पर लगभग आधा घ ंटा या बीस मिनट रहा। वहां से फिर मै अस्पताल आ गया। दोबारा घटनास्थल पर मैं अस्पताल से पुलिस के साथ कितने देर बाद आया मुझे ध्यान नहीं है। जब मुल्जिमान आये तो मुझसे या मृतक से वाद–विवाद नहीं हुआ, ललकारते हुये गोली चला दी। मुल्जिमान साइड से कितनी गोलियां चली मुझे ध्यान नहीं है। सभी मुल्जिमानो के हाथ में पिस्टल थी, मैं यह नहीं बता सकता कि सभी मुल्जिमान गोली चला रहे थे मैंने मुख्तार को गोली चलाते देखा और अन्य मुल्जिमानों को भी गोली चलाते देखा कितनी गोली चलायी मुझे ध्यान नहीं है। सभी गोलियां मेरे भाई पर चलाई जा रही थी मेरे ऊपर नहीं चलायी जा रही थी। मुल्जिमानों के हाथों में रिवाल्वर व पिस्टल थे। मेरे पास पिस्टल का लाइसेंस था इसलिये मुझे रिवाल्वर व

पिस्टल में अंतर पता है। यह सही है कि अवधेश राय को खड़े रहने के अवस्था में गोली मारी गयी। अवधेश राय पांच फीट दो या तीन इंच लंबे थे। वह स्वस्थ थे, उनका वजन 100 किलो से अधिक था या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। कतवारू मेरे किस तरफ खड़े थे मुझे ध्यान नहीं है। विजय पाण्डेय मेरे किस तरफ खड़े थे यह भी मुझे ध्यान नहीं है। मुल्जिमान एक ही गोल के हैं यह मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिखायी है। मुल्जिमान को मैं घटना के पहले से जानता पहचानता हूं यह मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिखायी है। मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी नहीं लिखाया है कि मुल्जिमान मेरे भाई से रंजिश रखते थे। विवेचक ने मुझे पंचायतनामा में पंच बनने के लिये कहा या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। मैंने घटना के दिन अपनी तहरीर के अलावा किसी अन्य कागज पर कोई हस्ताक्षर नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मैं घटनास्थल पर घटना के वक्त मौजूद नहीं था, मै सीधे सूचना पाकर विलंब से कबीरचौरा अस्पताल पहुंचा। मै यह नहीं बता सकता कि मृतक की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी थी या नही, डॉक्टर ने अस्पताल में मृतक घोषित किया था। यह कहना गलत है कि जिस गाड़ी से मृतक को अस्पताल ले जाया गया उसी गाड़ी में बैठी अवस्था में घटनास्थल पर उन्हें गोली मारी गयी। यह भी कहना गलत है कि चूंकि उसी गाड़ी में गोली मारी गयी थी इसलिये उसी गाड़ी से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह कहना गलत है कि मृतक को एक व्यक्ति ने एक ही असलहे से गोली मारी थी। यह भी कहना गलत है कि मैंने उस गाड़ी पर बाद में फायर करके अपने को मौके पर रहना गलत ढंग से बताया। यह भी कहना गलत है कि मैं कबीरचौरा अस्पताल बहुत विलंब से पहुंचा इसलिये पंचायतनामा आदि कागजात पर मेरे हस्ताक्षर नहीं लिये जा सके। घटना वाले दिन मै घर से कितने बजे बाहर निकला था मुझे ध्यान नहीं है। मैं घर से बाहर अपने मृतक बड़ा भाई व कतवारु तथा विजय पाण्डेय के साथ निकला था। हम लोग चार पहिया गाड़ी से निकले थे। हम लोग कहां गये थे, किसके यहां गये थे ध्यान नहीं है, सिगरा से लौटे थे। उसी चार पहिया वाहन से हम लोग लौटे थे। जिस समय घटना हुयी उस समय मेरा चार पहिया वाहन जिससे मैं गया था घर के बाहर खड़ा था। मेरी चार पहिया वाहन कतवारू या मै चलाकर ले गया था मुझे ध्यान नहीं है। कतवारू मेरे ड्राइवर है जो इस मुकदमे के चश्मदीद साक्षी हैं। मैं सुबह निलकने के बाद कितने देर बाद लौटा मुझे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि लगभग घटना 10 बजे दिन की है। यह भी कहना गलत है कि मैं लगभग एक बजे दिन बाहर से लौट पाया था इसलिये घ टनासहित सारी कार्यवाही एक बजे और उसके बाद दिखायी गयी है। अस्पताल से घटनास्थल पर दूसरी बार जब मैं आया तो मै फिर कहां गया मुझे ध्यान नहीं है। यह भी कहना गलत है कि जैसा मैं बता रहा हूं वैसी कोई घटना नहीं हुयी है।

17. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–2 विजय कुमार पाण्डेय** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि इस मुकदमे के घटना का दिनांक 3 अगस्त 1991 समय 1.00 बजे दिन की है। अवधेश राय के घर के गेट पर घटना हुयी थी। जिस समय घटना घटी गेट पर मैं था, अजय राय थे, कतवारू और अवधेश भी थे। घ टनास्थल पर एक सफेद मारुती वैन आकर रुकी, फिर मारुती वैन से चार आदमी निकले जिसमें मुख्तार अंसारी, राकेश न्यायिक, कमलेश सिंह व भीम सिंह और एक आदमी अज्ञात थे। फिर अवधेश राय पर सभी लोगों ने लक्ष्य करके गोली चलायी, सभी के पास असलहे थे। गोली लगने पर अवधेश राय गिर गये फिर अजय राय ने पिस्टल से गोली चलायी। जब अवधेश राय गिर गये तो अजय राय ने मुल्जिमानों का पीछा किया उसके दस मिनट बाद हम लोग घटनास्थल पर आये तथा हम लोग अवधेश राय को घटनास्थल से उठाकर कबीरचौरा हास्पिटल ले गये। अवधेश राय को मै व अजय राय हास्पिटल लेकर गये थे। हम लोग अवधेश राय को हास्पिटल मारुती वैन से लेकर गये थे। अभियुक्तगण जिस मारुती वैन से आये थे उसी मारुती वैन से हम लोग अवधेश राय को हास्पिटल ले गये। जब हम लोग अवधेश राय को हास्पिटल ले गये तो डाक्टर ने अवधेश राय को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में ही मृतक का पंचनामा हुआ उसके बाद हम लोग थाने गये। पत्रावली में सलंग्न पंचायतनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या 143ब/7 लगायत 143ब/9 पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया और बताया कि पंचनामा पढ़ने के बाद मैने उसपर हस्ताक्षर बनाया। इस स्तर पर बचाव पक्ष के तरफ से यह आपत्ति की गयी कि सिर्फ मूल प्रपत्र पर ही प्रदर्श डाला जा सकता है, प्रमाणित प्रतिलिपि पर प्रदर्श नहीं डाला जा सकता। इस आपत्ति का निस्तारण जजमेंट के स्तर पर किया जायेगा। गवाह ने पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श क 2** डाला गया। घटनास्थल पर पुलिस मेरे सामने आयी थी। पुलिस ने इस घटना के बाबत उसका बयान लिया था।

18. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–2 विजय कुमार पाण्डेय** ने **जिरह** में कथन किया है कि यह सही है कि मैं अ०सं० 76/2010 थाना चेतगंज वाराणसी से इस मुकदमे के वादी मुकदमा अजय राय के साथ गैंगेस्टर एक्ट का अभियुक्त रहा हूँ। मेरा नाम विजय कुमार पंडित भी है। मुझे विजय गुरु के नाम से भी जाना जाता है। मेरे ऊपर कोई हत्या का मुकदमा नहीं चला है। मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर गैंगेस्टर एक्ट के कुल कितने मुकदमे दर्शाये गये थे। मैं बी.ए. पास हूँ। मुझ पर सिर्फ एक गैंगेस्टर का मुकदमा चला है और कोई मुकदमा नहीं चला है। यह कहना गलत है कि मेरे ऊपर हत्या सहित कई अन्य मुकदमे चले हैं। घटनास्थल से मेरा घर 500 मीटर दूर पश्चिम दिशा में है। मेरे घर से घटनास्थल दिखायी नहीं पड़ता। घ टनास्थल पर मेरे आने का कारण अवधेश राय के साथ बातचीत करना था और कोई

कारण नहीं था। घटना के पहले ठीक–ठाक बारिश हुयी थी, घटना के समय बारिश नहीं हुयी थी। थोड़ा बहुत सड़कों पर पानी लगा था। घटना से डेढ़–दो घंटा पहले बारिश हुयी थी। घटनास्थल पर घटना से 10–15 मिनट पहले मै पहुंचा था। जब मै घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पहले से अवधेश राय खड़े थे। कतवारू व अजय राय भी पहले से खड़े थे। अवधेश राय अपने दरवाजे से सटे खड़े थे और मैं उनसे एक–दो फीट दाहिने खड़ा था। अजय राय अवधेश राय के बायें एक–दो फीट की दूरी पर खड़े थे। मैं नहीं बता सकता कि कतवारू अजय राय के दाहिने या बायें खड़े थे, बगल में खड़े थे। घटना के समय बदरी थी। जब मै पहुंचा तो 10–15 मिनट तक मेरी बात अवधेश राय से चल रहे थी। उस बातचीत में अजय राय व कतवारू भाग नहीं ले रहे थे। बातचीत किस विषय पर हो रही थी मुझे याद नहीं है। मेरा मुंह अवधेश राय से बातचीत करते समय सामने नहीं था बगल में था। सड़क की चौड़ाई 10–15 फीट होगी। मुझे नहीं पता कि घटना से पहले अभियुक्तगण से अवधेश राय से कहासुनी हुयी या नहीं। अभियुक्तगण के आने तथा गोली चलने के बीच में चार–पांच मिनट लगा होगा। अभियुक्तगण के गोली चलाने के बाद अजय राय ने गोली चलायी। अजय राय ने मुल्जिमान पर गोली चलायी थी परंतु वह गोली गाड़ी पर लगी। अजय राय ने कितने फायर किये मुझे ध्यान नहीं है। जब मुल्जिमान भागने लगे तब अजय राय ने फायर किया था। जब अजय राय ने मुल्जिमान का पीछा किया तो मैं पीछे–पीछे नहीं गया मै खड़ा रहा। जब अजय राय मुल्जिमान के पीछे–पीछे गये तो मै अवधेश राय को उठाने की कोशिश किया तथा अवधेश राय इतने भारी थे कि मुझसे नहीं उठे। कतवारू अजय राय के पीछे–पीछे गये थे या घ टनास्थल पर खड़े थे मुझे ध्यान नहीं है। मै यह भी नहीं बता सकता कि कतवारू ने अवधेश राय को उठाने की कोशिश की या नहीं। अजय राय जब तक मुल्जिमानों का पीछा करके नहीं लौटे तब तक अवधेश राय घटनास्थल पर ही पड़े रहे। अवधेश राय पूरी तरह लेट गये थे। अवधेश राय जीवित थे या नहीं मै नहीं बता सकता। जब तक अजय राय नहीं लौटे थे तब तक आम पब्लिक दो तीन सौ मीटर की दूरी पर खड़ी थी कोई करीब नहीं आया था। अवधेश राय व अजय राय की गाड़ी घर के अंदर थी। जब तक अजय राय मुल्जिमानों का पीछा करके वापस नहीं आये तब तक घर के अंदर से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आया। अजय राय के पीछा करके वापस आने तक मै अवधेश राय के पास अकेले लड़ा था और कोई वहॉ नहीं आया। मैंने अजय राय के घर से गाड़ी मंगाकर अवधेश राय को हास्पिटल ले जाने की कोई कोशिश नहीं की। गोली चलने के दस मिनट के बाद घटनास्थल पर पुलिस आ गयी थी। घटनास्थल से थाना चेतगंज की दूरी 300 मीटर है। घटनास्थल से थाना चेतगंज दिखायी पडता है। घटनास्थल पर बुलेट से दो–तीन की संख्या में पुलिस वाले आये थे। जब पुलिस वाले आये तो घटनास्थल पर अवधेश राय पड़े हुये थे।

पुलिस वालों ने भी अवधेश राय को हास्पिटल ले जाने की कोशिश नहीं की। पुलिस वालों के आने के पांच–सात मिनट बाद मुल्जिमानों का पीछा कर अजय राय वापस आये। मुल्जिमान की मारुति वैन थाने के सामने के रास्ते से आयी थी। मुल्जिमान की मारूति वैन अवधेश राय के घर के ठीक सामने हथुआ मार्केट की बाउंड्री से दो–तीन फीट की दूरी पर सड़क के उस पार खड़ी हुयी। मारुति वैन के दोनों दरवाजे स्लाइडिंग से खुले थे। मारुति वैन कौन चला रहा था मै नहीं बता सकता। मारुति वैन से चार–पांच लोग उत्तरे थे। मारुति वैन से चार–पांच लोग उतरने के बाद उस मारुति वैन में अन्य कोई बैठा था अथवा नहीं मुझे ध्यान नहीं है। मैं चार–पांच मुल्जिमानों को मारूति वैन से उतरने के बाद दोबारा किसी अन्य को मारूति वैन से उतरते नहीं देखा। मारूति वैन में कितनी सीट थी मुझे ध्यान नहीं है। मारुति वैन में ड्राइवर को लेकर दो सीट आगे तथा एक लंबी सीट पीछे थी। मुल्जिमान मारुति वैन के दोनों दरवाजे से उतरे या एक दरवाजे से उतरे, मुल्जिमान इतने झटके से उतरे कि मैं नहीं बता सकता कि एक दरवाजे से उतरे या दोनों दरवाजों से घटनास्थल वाला मार्ग बहुत चालू वाला रास्ता है। यह सही है कि मारुति वैन का मुह पितरकुण्डा (पिशाचमोचन) की तरफ था और बैक चेतगंज थाने की तरफ था। मारुति वैन जहां रूकी थी वहीं घटना के दौरान रुकी रह गयी, घटना के दौरान मारुति वैन जरा सा भी आगे पीछे नहीं चली। घटना के बाद मुल्जिमान मारुति वैन में बैठकर भागे थे और आगे जाकर मारूति वैन टेलीफोन के लोहे के पीलर से टकरा गयी। घ ाटना अवधेश राय के लोहे के गेट के ठीक सामने हुयी थी। मुल्जिमान की मारुति वैन अवधेश राय के लोहे के गेट के ठीक सामने आकर खड़ी हुयी थी। जहां मै व अवधेश राय खड़े हुये थे, उसके पांच–सात फीट की दूरी पर मारुति वैन आकर खड़ी हुयी। जहां मारुति वैन खड़ी हुयी थी घटना के बाद जब मारुति वैन से मुल्जिमान भाग रहे थे तो 100–150 मीटर की दूरी पर मारुति वैन टेलीफोन के लोहे के पीलर से टकरायी थी। मारुति वैन सड़क के दाहिने तरफ टकरायी थी। मारुति वैन के टकराने के बाद मुझे ध्यान नहीं है कि मारुति वैन रुक गयी या नहीं और मुल्जिमान उतर कर भागे या नहीं। जब मुल्जिमानों द्वारा फायरिंग की जाने लगी तो मै गली में भाग गया। गली घटनास्थल से दाहिने तरफ है मै उसी गली में एक–दो कदम भाग गया। जब मुल्जिमानों द्वारा फायरिंग की जा रही थी तो मैं, अजय राय व कतवारू भाग गये। मुझे इतना ध्यान नहीं है कि मै, अजय राय व कतवारू एक ही तरफ भागे या अलग–अलग भागे। जब मैं गली में भागा था तो देखा कि वही अजय राय व कतवारू भी भाग कर आ गये। जब मै गली में भाग गया तो मै यह नहीं देख पाया कि पीलर से टकराने के पश्चात मारुति वैन रूकी या नहीं और मुल्जिमान भागे या नहीं। मुल्जिमान जब मारुति वैन में बैठ गये तब अजय राय ने फायर किया। फायर मुल्जिमान को लगा या गाड़ी में लगा मुझे नहीं पता। अजय राय ने मुल्जिमान पर घ

ाटनास्थल से फायर किया था। मुल्जिमान ने अजय राय पर, कतवारू पर और मेरे ऊपर कोई फायर नहीं किया था। जब अजय राय ने फायर किया तो वे अपने गेट पर थे और मै गली में छिपा था। प्रदर्श क–2 पंचायतनामा पर मेरे हस्ताक्षर के नीचे न तो कोई संलग्नक लिखा है और न ही लगा है। प्रदर्श क–2 पंचायतनामा के मुख्य पृष्ठ पर सरकार बनाम मुख्तार वगैरह मुल्जिमान का नाम नहीं लिखा है। अवधेश राय पर कितनी गोलियां चली मै नहीं बता सकता। मारुति वैन में आये मुल्जिमान के अलावा अन्य कोई घटना में शामिल नहीं था। घटनास्थल से पिशाचमोचन कुण्ड जाने में पिशाचमोचन कुण्ड के पास एक सड़क दाहिने जाती और एक बाये जाती है, इस बीच में दाहिने तरफ तीन रास्ते निकलते है और बायी तरफ एक रास्ता निकलता है। दाहिने तरफ जो रास्ते निकलते है वो सब मलदहिया और लहुराबीर की तरफ निकलते हैं। मुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि अजय राय ने मुल्जिमान के द्वारा फायर करते समय फायर किया गया या मुल्जिमान के फायरिंग करने के बाद में किया गया। अजय राय ने कितना फायर किया मै नहीं बता सकता। अवधेश राय बहुत मोट व तगड़े थे तथा 100 किलो से अधिक वजन के थे। जब मुल्जिमान ने गोली चलायी तो अवधेश राय के घर का बड़ा गेट बंद था और छोटा गेट खुला था। मै व अजय राय व कतवारू अवधेश राय के घर के छोटे गेट से घर के अंदर भागने की कोशिश नहीं की। छोटे वाले गेट के सटे ही हम लोग खड़े थे। मुझे ध्यान नहीं है कि अवधेश राय के घर के अंदर गाड़ी थी या नहीं। मुल्जिमान की गाड़ी अजय राय चलाकर लाये। मारुति वैन को देखने से लगा कि मारुति वैन का एक्सीडेंट हो गया है, फिर भी वह चालू हालत में थी। अजय राय गाड़ी मोड़कर खम्भे से लेकर आये। जब अजय राय मुल्जिमान की गाड़ी लेकर आये तो मै व अजय राय तथा अन्य चार–पांच जनता के लोग जिनका नाम मै नहीं जानता, अवधेश राय को गाड़ी की पिछली लम्बी सीट पर उठाकर लादे। मुल्जिमात की गाड़ी को अजय राय चला रहे थे, मै दो अनजान लोगों के साथ अवधेश राय को लेकर पिछली सीट पर बैठा था। जब मैं मुल्जिमान की गाड़ी से अवधेश राय को लेकर चला तो चेतगंज के थाने के सामने से ही होकर अस्पताल के लिये निकला। मैं इसकी वजह नहीं बता सकता कि अपने घर की गाड़ी या सार्वजनिक वाहन को छोड़कर मजरुब को ले जाने के लिये मुल्जिमान की गाड़ी क्यों प्रयोग में लायी गयी। यह कहना सही है कि अवधेश राय को सभी गोली की चोट शरीर के बायें तरफ पहुंचायी गयी है और इसीलिये पंचायतनामा के चोट के कालम में बाये सीने पर, बायें कमर के ऊपर, बायें कान के ऊपर, बायें तरफ गर्दन व कंधे के जोड़ पर गोली की चोट पहुंचाने का उल्लेख है। सभी मुल्जिमान को मै घटना के पहले से जानता पहचानता था। मै किसी भी मुल्जिमान से इस घटना से पहले से मिला–जुला नहीं था। मुल्जिम मुख्तार अंसारी से इस घटना से पहले मेरी कभी मुलाकात नहीं हुयी। मै अभियुक्त मुख्तार अंसारी से

कभी मिला नहीं था लेकिन मै जानता और पहचानता था। घटना के पहले मैंने मुख्तार अंसारी को चेतगंज में देखा था। घटना से कितने दिन पहले देखा था यह याद नहीं है। घटना के पांच साल पहले या दस साल पहले देखा था मै नहीं बता सकता। एक–दो बार देखा था। मै मुख्तार अंसारी को घटना के पहले किस अवसर पर देखा था यह नहीं बता सकता। मैंने घटना के पहले मुख्तार अंसारी को राकेश न्यायिक के घर के पास मोहल्ला चेतगंज में देखा था। राकेश न्यायिक ने घ टना के कितने दिन पहले मोहल्ला चेतगंज छोड़ दिया था मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैं घटना के पहले से मुल्जिम मुख्तार अंसारी को जानता पहचानता नहीं था। घटनास्थल पर घटना के समय अवधेश राय कहीं से आये थे। शहर में कहीं से आये थे। मैं यह नहीं बता सकता कि अवधेस राय को घर में जाना था या कहीं और जाना था। मुझे नहीं पता कि अवधेश राय के ऊपर बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे और थाना चेतगंज के हिस्ट्रीशीटर थे। घटना के वक्त अवधेश राय इतने मोटे हो गये थे कि ये बहुत दौड़–भाग पैर से नहीं कर पाते थे। अवधेश राय मोटे थे, चलते–फिरते थे, सवारी से चलते–फिरते थे इतने मोटे नहीं थे कि कहीं बैठ जायें। ऐसा नहीं है कि जिस गाड़ी में मुल्जिमान का आना बता रहा हूँ उसी मारूति वैन में मुल्जिमान के बजाये अवधेश राय कहीं से पिछली सीट पर बैठकर आये हो। ऐसा भी नही है कि उस मारुति वैन में पिछली सीट पर अवधेश राय गाड़ी से उतरने वाले हो ड्राइवर घर का गेट खोलने गया हो और कोई व्यक्ति हथुआ वाली मार्केट वाली बाउंड्री और गाड़ी के बीच से आकर के अवधेश राय को एक ही असलहे से कई गोली मारकर चला गया हो। ऐसा भी नहीं है कि मारने वाले की कम लंबाई हो और वे दो की संख्या में हो। ऐसा नहीं कि गोली की चोट खाने के बाद अवधेश राय का पैर उस मारुति वैन में रह गया हो ऊपर का धड़ लुढ़ककर सड़क पर गिर गया हो। ऐसा भी नहीं है ऐसी किसी घटना के वक्त मै, अजय राय और कतवारू वहां नहीं थे, बाद में सूचना मिलने पर अजय राय वहां आये हो। ऐसा नहीं है कि चूंकि उसी गाड़ी में चोट आयी थी इसलिये उसी गाड़ी से उन्हें कबीरचौरा अस्पताल ले जाया गया। "मैंने 161 दं0प्र0सं0 के बयान में यह सही बयान दिया है कि भागते समय चेतगंज थाना की पुलिस पीछा किया" मेरी मुख्य परीक्षा में यदि उक्त बयान नहीं है तो मै इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने 161 दं0प्र0सं0 के बयान में यह बयान नहीं दिया है कि अजय राय ने मुल्जिमानो का पीछा किया। यदि दरोगा जी ने यह बात मेरे बयान में नहीं लिखी है तो मै इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह सही है कि मैंने अदालत में यह पहली बार बात बतायी है कि "अजय राय ने मुल्जिमानों का पीछा किया।'' यह कहना गलत है कि मैंने विधिक राय से यह बयान दिया है। मैं यह नहीं बता सकता कि सभी मुल्जिमानों द्वारा चलायी गयी गोली अवधेश राय को लगी। मै यह भी नहीं बता सकता कि

अवधेश राय को एक असलहे की गोली लगी या कई असलहों की गोली लगी। मुझे ध्यान नहीं है कि मुल्जिमानों ने कितनी गोलिया मौके पर चलायी। में अंदाज से बता सकता हूँ कि मुल्जिमानों ने पांच से छः गोलियां चलायी थी। मै यह नहीं बता सकता कि यह समझा जाये कि हर मुल्जिम ने एक गोली चलायी क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है। सभी मुल्जिमानों ने गाड़ी से उतरकर गोली चलायी थी। ऐसा नहीं है कि मुल्जिमानों ने गाड़ी में बैठे–बैठे गोली चला दी हो। यह कहना गलत है कि जितने मुल्जिमान का मै मारुति वैन से आना कहता हूँ वे मुल्जिमान लंबाई, चौडाई और तंदुरुस्ती के हिसाब से मारूति वैन में समाहित ही नहीं हो सकते। यह कहना गलत है कि मारुति वैन का टेलीफोन के खंभे से लड़ने वाली बात मै विधिक राय से बता रहा हूं जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुयी थी। मुझे ध्यान नहीं है कि मारुति वैन का टेलीफोन के खंभे से जाकर टकराने वाली बात मैंने विवेचक को 161 दं0प्र0सं0 के बयान में बताया था या नहीं। यदि विवेचक ने घटना के बाद मुल्जिमान मारुति वैन में बैठकर भागे थे और आगे जाकर मारुति वैन लोहे के पीलर में जाकर टकरा गयी, वाली बात विवेचक ने यदि मेरे बयान में नहीं लिखा है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने विवेचक को अपने 161 दं0प्र0सं0 के बयान में यह बात बतायी थी या नहीं कि घटना के बाद मुल्जिमान मारुति वैन में बैठकर भागे थे, विवेचक ने यदि मेरे बयान में उक्त बात नहीं लिखी है तो मै इसकी वजह नहीं बता सकता। मुझे ध्यान नहीं है कि विवेचक को मैंने घटनास्थल दिखाया था या नहीं क्योकि बहुत पुरानी बात है। मुझे ध्यान नहीं है कि जहां अवधेश राय गिरे थे वहां बहुत सारा खून गिरा था। मुझे ध्यान नहीं है कि जहां अवधेश राय को गोली लगी थी वहां जमीन पर खून गिरा था या नहीं। गोली लगने के बाद अवधेश राय का शरीर घटनास्थल पर पांच से दस मिनट तक पड़ा रहा। घटना के बाद घटनास्थल पर मै उसी दिन दो–तीन घंटे बाद गया था। जब मै दो–तीन घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचा था तो वहां ज्यादा संख्या में पुलिस थी। जब मैं दो तीन घंटे बाद घ टनास्थल पर गया था वहां अजय राय मुझे नहीं मिले, थाना चेतगंज में मिले। घटना के दो–तीन घंटे बाद जब मै घटनास्थल से होते हुये थाना चेतगंज गया तो वहां अजय राय से मिला और थाने पर मै दस–पंद्रह मिनट रहा, फिर मै थाना चेतगंज से कबीरचौरा अस्पताल गया तब मै वहां कबीरचौरा अस्पताल में तीन से चार घंटे रहा, फिर वहां से मै रात में बी.एच.यू. चीरघर गया। पंचायतनामा को देखकर गवाह ने कहा इस पर सरकार बनाम अंकित नहीं है तथा इस पर किसी मुल्जिमान का नाम नहीं है। फोटोनाश को देखकर गवाह ने कहा कि इस पर सरकार बनाम अंकित नहीं है तथा इस पर किसी मुल्जिमान का नाम नहीं है। चाालाननाश को देखकर गवाह ने कहा कि इस पर सरकार बनाम अंकित नहीं है तथा इस पर किसी मुल्जिमान का नाम नहीं है। फर्द लेने कब्जा 9 एम.एम. कारतूस को देखकर गवाह ने कहा कि इस

पर सरकार बनाम अंकित नहीं है तथा इस पर किसी मुल्जिमान का नाम नहीं है। फर्द लेने कब्जा सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी को देखकर गवाह ने कहा कि इस पर सरकार बनाम अंकित नहीं है तथा इस पर किसी मुल्जिमान का नाम नहीं है। फर्द लेने कब्जा मारुति वैन को देखकर गवाह ने कहा कि इस पर सरकार बनाम अंकित नहीं है तथा इस पर किसी मुल्जिमान का नाम नहीं है। फर्द लेने कब्जा चार अदद कारतूस 32 बोर को देखकर गवाह ने कहा कि इस पर सरकार बनाम अंकित नहीं है तथा इस पर किसी मुल्जिमान का नाम नहीं है। फर्द पर मेरे हस्ताक्षर हैं, फर्द कब बनायी गयी, कब लिखी गयी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। थाने पर मैने हस्ताक्षर किया। यह कहना गलत है कि जैसा मैं बता रहा हूं वैसी कोई घटना नहीं हुयी। यह भी गलत है कि मैंने ऐसी कोई घटना नहीं देखी थी। यह भी कहना गलत है कि मै ऐसे किसी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।

19. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–3 निरीक्षक उदयभान सिंह** ने सशपथ **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि मैं दिनांक 03.08.2091 को थाना चेतगंज में प्रभारी के तौर पर नियुक्त था। मु०अ०सं० 221/1991 धारा–147,148,149,302 आई.पी.सी. बनाम मुख्तार वगै0। मुख्तार के अलावा त्रिभुवन सिंह फिर कहा कि कमलेश सिंह, दीपक सिंह, राकेश कुमार श्रीवास्तव, अब्दुल कलाम के नाम से एफ.आई.आर दर्ज हुयी। एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के नाम भी था जिसको यह देखकर के पहचान सकता है। 03.08. 1991 को विवेचना ग्रहण किया। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात् नकल चिक, नकल रपट, पंचायतनामा से संबंधित सम्पूर्ण पेपर लेकर कबीरचौरा अस्पताल के लिये रवाना हुआ। उसके बाद कबीरचौरा अस्पताल पहुंचा तो मृतक अवधेश राय की डेड बाडी वार्ड नम्बर 5 के सामने रखी थी। मैंने एस. एस. आई. राजेन्द्र सिंह को पंचायतनामा मुरतब करने का निर्देश दिया। वहां काफी भीड़ लगी थी। वहां काफी पुलिस के कर्मचारी आ गये। पुलिस के उच्चाधिकारी ने मुझको वहां से कुछ दूर जाने के लिये कहा। फिर उसके बाद मैंने मारुति वैन को कब्जा पुलिस में लिया। बयान वादी लिया। गवाह ने पत्रावली में मौजूद कागज संख्या 143ब/18 सफेद रंग मारुति वैन फर्द बरामदगी को देखकर गवाह ने कहा कि यह फर्द बरामदगी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–3** अंकित किया गया। मारुति वैन को जरिये कां0 राजेन्द्र सिंह के द्वारा थाना चेतगंज भिजवाया। एस.एस.आई. राजेन्द्र सिंह द्वारा पंचायतनामा तैयार किया गया तथा लाश को कां0 राकेश सिंह व राजेश सिंह के द्वारा बी.एच.यू. पोस्टमार्टम हेतु भेजा। वादी को साथ लेकर घटनास्थल पर आया। वादी के निशानदेही पर घटनास्थल पर आकर नक्शा नजरी तैयार किया। गवाह ने पत्रावली में मौजूद कागज संख्या 143ब/30 लगायत 31 नक्शा नजरी को देखकर गवाह ने कहा कि यह नक्शा नजरी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श**

क–4 अंकित किया गया। घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी लिया और उसका फर्द बनाया। गवाह ने पत्रावली में मौजूद कागज संख्या 143ब/17 फर्द खून आलूदा मिट्टी को देखकर गवाह ने कहा कि यह फर्द खून आलूदा मिट्टी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया। मौके से चार अदद खोखा कारतूस 32 जिसको अजय राय ने अपना बताया उनका फर्द बनाया। गवाह ने पत्रावली में मौजूद कागज संख्या 143ब/20 को देखकर गवाह ने कहा कि यह फर्द मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श क–6** अंकित किया गया। इसके बाद 9 एम.एम के 4 खोखा कारतूस का फर्द मौके पर तैयार किया गया। गवाह ने पत्रावली मे मौजूद कागज संख्या 143बी/16 को देखकर गवाह ने कहा कि यह फर्द मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श क–7** अंकित किया गया। 9 एम.एम. का खोखा लेने के बाद फर्द गवाहान का बयान लिया, फिर हे0कां0 रमाशंकर का बयान लिया, उसके बाद मुल्जिमान की तलाश किया। दूसरे पर्चे दिनांक 04.08.1991 में शत्रुधन मिश्रा से सूचना मिली कि नामजद अभियुक्त अब्दुल कलाम कैण्ट थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है जो कैण्ट थाना में मौजूद है। कैण्ट थाना पहुंचकर अब्दुल कलाम का बयान लिया। अब्दुल कलाम ने जुर्म से इंकार किया। पर्चा नम्बर 3 दिनांक 06.08.1991 मे एस.एस. आई. राजेन्द्र सिंह को मुल्जिमान की तलाश में गाजीपुर रवाना किया। फिर एस. एस. आई राजेन्द्र सिंह का बयान लिया। खाना तलाशी की फर्द मेमो जो एस. एस. आई राजेन्द्र सिंह द्वारा लिखी गयी संलग्न सी. डी. किया गया। उसी दिन मुल्जिमान की 82 व 83 की रिपोर्ट की गयी। पर्चा नम्बर 4 दिनांक 07.08.1991 को किता किया। उसमें ज्ञात हुआ कि राकेश श्रीवास्तव गिरफ्तार होकर थाना कैंट में है। वहां जाकर राकेश श्रीवास्तव का बयान लिया जिसने जुर्म से इंकार किया। पर्चा नम्बर 5 मे अभियुक्त कमलेश सिंह का वारण्ट व 82 व 83 के लिये किसी अन्य को भेजा था मै स्वयं अभियुक्त मुख्तार अंसारी के विरुद्ध वारंट 82, 83 तामील करने के लिये दीगर फोर्स के साथ मोहम्मदाबाद गाजीपुर गया था। उसके बाद पोस्टमार्टम की नकल किया। पोस्टमार्टम कराने का आदेश का नकल किया तथा संलग्न सी. डी. किया। पर्चा नम्बर 5 में ही पोस्टमार्टम की कार्बन कापी का अवलोकन किया। पर्चा नम्बर 6 दिनांक 11.08.1991 को एस.आई. आर. पी. सरोज को मारुति का पता लगाने के लिये गुड़गांव भेजा। एस. आई. आर. पी. सरोज जब लौट के आये तो मैने उनका बयान लिया। मारुति वैन से संबंधित कागजात संलग्न सी.डी. किया। पर्चा 7 दिनांक 15.08.1991 भीम सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट व 82, 83 व कुड़की के आदेश संलग्न सी.डी. किया। एस.एस. आई राजेन्द्र सिंह जो अभियुक्तों की तलाश में गये थे

फिर वापस आये तो बताये कि कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मेरा स्थानांतरण हो गया।

20. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–3 निरीक्षक उदयभान सिंह ने जिरह** में कथन किया है कि यह बात सही है कि केस डायरी एक मूल तैयार होती है और उसी के साथ एक कार्बन जिल्द प्रति तैयार होती है। मेरे सामने न मूल केस डायरी है न ही कार्बन जिल्द वाली सी.डी. है। मूल केस डायरी व जिल्द केस डायरी कहॉ है मुझे नहीं पता। आज मै फोटो स्टेट केस डायरी से बयान दे रहा हूँ। प्रदर्श क 3 लगायत प्रदर्श क 7 जो मैने साबित किया है वो फोटोस्टेट प्रति के रूप में है। मूलप्रति कहां है मुझे नहीं मालूम। अदालत में होगी। यह मुझे याद नहीं है कि मृतक अवधेश राय पर थाना चेतगंज में कई मुकदमे दर्ज थे। मुझे यह याद नहीं है कि मृतक अवधेश राय थाना चेतगंज के हिस्ट्रीशीटर थे शोहरत अच्छी नहीं थी। मुझे नही याद है कि मृतक अवधेश राय की रंजिश कई और लोगों से थी। उनकी रंजिश पूर्व डिप्टी मेयर से थी। यह मुझे याद नहीं है कि पूर्व डिप्टी मेयर से रंजिश के कारण कई बार मारपीट, गोलीबारी हुयी थी। यह मुझे याद नहीं है कि मृतक अवधेश राय पर छिनैती, चौरी के कई आरोप थे। इस घटना के पहले मैंने मृतक अवधेश राय के घर पर दबिश दिया था। कुछ सूचना पर उनकी तलाशी लिया था पंचायतनामा पर मैंने हस्ताक्षर नहीं बनाया है। भीड़भाड़ थी पंचायतनामा मुरत्तब करार दिये। मुझसे दस्तखत नहीं कराये। दस्तखत न करने की कोई खास वजह नहीं थी। पंचायतनामा मेरे निर्देशन में हुआ। मैंने बोल–बोलकर पंचायतनामा नहीं लिखाया। पंचायतनामा को देखकर गवाह ने कहा कि प्रदर्श क–2 पर सरकार बनाम किसी मुल्जिम का नाम अंकित नहीं है और न ही किसी मुल्जिम का नाम इस पर है। पंचायतनामे में चिक एफ. आई. आर संलग्न नहीं है। यह कहना गलत है कि उस समय मेरे पास चिक एफ. आई. आर उपलब्ध नहीं थी। चालाननाश, फोटोनाश पर भी सरकार बनाम मुल्जिमान का नाम नहीं है। पंचायतनामा की कार्यवाही 14.30 से शुरु हुयी और 16. 30 पर खत्म हुयी। थाना चेतगंज से कबीरचौरा अस्पताल लगभग 3 किमी है। पंचायतनामा में वादी अजय राय पंच नहीं है। पंचायतनामा में चोट के कालम में तीनो चोटें बायी तरफ है। पंचायतनामा का साक्षी पंच सं0–4 विजय कुमार पाडेय इस मुकदमे का चश्मदीद साक्षी है। मैंने अपनी विवेचना के दौरान 03.08.1991 से 15.08. 1991 के बीच विजय कुमार पाण्डेय का बयान नहीं लिया था क्योंकि उपलब्ध नहीं था। केस डायरी में मैने इस बात का इन्द्राज नहीं किया है कि दिनांक 03.08.1991 से 15.08.1991 के बीच विजय कुमार पाण्डेय उपलब्ध नहीं था। फर्द लेने सादी मिट्टी प्रदर्श क–5 का साक्षी विजय कुमार पाण्डेय है। प्रदर्श क 6 का भी साक्षी विजय कुमार पाण्डेय है। केस डायरी के पर्चा नम्बर 1 में मैंने सिर्फ फर्द के गवाह आशीष कुमार सिंह का बयान लिया विजय कुमार पाण्डेय का बयान नहीं लिया। केस डायरी

में मैंने पंचायतनामा की नकल नहीं किया। केस डायरी में मैंने पोस्टमार्टम की नकल नहीं किया और यह लिखा कि जो साफ पढ़ने में नहीं आ रहा है। मैंने अपनी विवेचना में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि मृतक अवधेश राय व वादी अजय राय से मुख्तार अंसारी की क्या रंजिश थी। नक्शा नजरी में प्रदर्श क–4 का खसरा संख्या 6 यह उल्लिखित है कि डबल तीर से पुलिस पार्टी द्वारा बदमाशों का पीछा किया जाना बताया जाता है। मैंने अपनी विवेचना के दौरान पीछा करने वाले किसी भी पुलिस का बयान नहीं लिया। दौरान विवेचना कोई पुलिस वाला चिन्हित नहीं हो पाया कि किस पुलिस कर्मी ने मुल्जिमान का पीछा किया। वादी मुकदमा ने मुझे 161 के बयान में यह नहीं बताया था कि उसने मुल्जिमान का पीछा किया था। वादी मुकदमा के फायरशुदा कारतूस को मैने खुद बरामद किया था वादी मुकदमा ने नहीं दिया था कि अभियुक्त अब्दुल कलाम की गिरफ्तारी थाना कैंट की पुलिस ने किया था मैंने नहीं किया था। पर्चा नम्बर 1 में सी. ओ. साहब के हस्ताक्षर के नीचे तारीख अंकित नहीं है। यह कहना गलत है कि पर्चा 1 पर मुल्जिम अब्दुल कलाम का रिमांड मैंने इसलिये नहीं लिया क्योंकि पर्चा नम्बर 1 दिनांक 03.08.1991 व 04.08.1991 को पर्चा नम्बर 1 तैयार नहीं था। पर्चा नम्बर 2 में केवल मुल्जिम अब्दुल कलाम का बयान लिया और कोई कार्यवाही नहीं किया। वादी मुकदमा अजय राय ने मुझे इस रूप में व शब्दों में मुझे यह नहीं बताया कि इस घटना को विजय कुमार पाण्डेय और कतवारू चौहान ने भी देखा। कबीरचौरा अस्पताल के प्रपत्र के अनुसार मृतक अवधेश राय की मृत्यु 1.35 पी. एम. पर हुयी। इस मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना चौतगंज पर 14.10 पर दर्ज करा दी गयी। यह कहना गलत है कि कबीरचौरा अस्पताल में तहरीर लिखवाकर के तीन किमी. शहर की दूरी तय करके 35 मिनट के अंदर चिक एफ. आई. आर तैयार होना संभव नहीं है। यह भी कहना गलत है कि इसीलिये पंचायतनामा के समय चिक एफ. आई. आर उपलब्ध नहीं हो पायी। यह भी कहना गलत है कि 3 किमी शहर की दूरी तय करके चिक एफ.आई.आर कबीरचौरा अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पायी इसलिये पंचायतनामा में चिक एफ. आई. आर में इन्द्राज नहीं है। यह कहना गलत है कि पंचायतनामा की कार्यवाही 16.30 तक समाप्त होने तक चिक एफ. आई. आर पंचायतनामा कुनिंदा को उपलब्ध नहीं हो पायी इसीलिये चिक एफ. आई. आर. का इन्द्राज पंचायतनामा में नहीं है। यह सही है कि सी.ओ. चेतगंज ने 05.08.1991 की तिथि में चिक एफ.एफ.आई. पर सेन्ट टू कन्सर्न कोर्ट का आदेश पारित किया है। यह कहना गलत है कि 05.08.1991 के पहले चिक एफ. आई. आर तैयार नहीं थी। घटना स्थल के निरीक्षण के समय वादी मुकदमा ने ही मुझे बताया था कि जो मैंने असलहे से फायर किया था वो वही चार खोखे ये हैं। मैंने वादी के असलहे को जांच के लिये अपने कब्जे में नहीं लिया कि वह किस असलहे से फायर किया था। चूंकि मैंने वादी मुकदमे के असलहे को कब्जे में नहीं

लिया इसलिये मैंने यह तसदीक नहीं किया कि उनके बताये हुये खोखे उन्हीं के असलहे के थे या नहीं। मैं इस बारे में यह नहीं बता सकता कि वह चार खोखा मुल्जिमान के ही हों जिसे वादी अपने असहले का होना बता रहा है। मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता कि वादी मुकदमा ने अपनी मौजूदगी घटनास्थल पर फर्जी ढंग से बताने के लिये चार खोखा को फर्जी ढंग से घटनास्थल पर रख दिया हो। मुझे इतना याद नहीं है कि वादी मुकदमे के चार खोखे में से एक गोली आगे, तीन गोली दायें मारुति वैन में लगी थी। फर्द प्रदर्श क–3 में इस बात का उल्लेख है कि गाड़ी में दायें तीन गोली, सामने एक गोली लगी है और इसी का उल्लेख मैंने केस डायरी में किया है। मैंने वादी मुकदमे के बयान में इस बात का उल्लेख किया है कि बचाव में अपनी निजी लाइसेंसी पिस्टल से वादी मुकदमे ने फायर किया जो उपरोक्त मारुति वैन में लगी। लिखा पढ़ी से स्पष्ट है कि यह चार खोखे वही थे जो मारुति वैन में वादी मुकदमा ने फायर किये थे। मैंने इस बात की कोई फारेंसिक जांच नहीं करायी थी कि मारुति वैन में लगे निशान उन्हीं चार खोखे के आउटकम थे जिसको वादी मुकदमा ने फायर किया था। मारुति वैन के अंदर जो खून लगा था उसकी मैंने उसकी कोई वैज्ञानिक जांच नहीं करायी। मैंने मारुति वैन का कोई टेक्नीकल मुआयना नहीं कराया कायमी मुकदमा के अनुसार मुकदमा मेरी मौजूदगी में लिखा गया। मैंने वादी मुकदमा से यह बात नहीं पूछी कि मुल्जिमानों की मारुति वैन का प्रयोग क्यों घायल को अस्पताल पहुंचाने में किया। फर्द प्रदर्श क–3 में मारुति वैन की चाबी का उल्लेख नहीं है। वादी मुकदमा से मैंने यह नहीं पूछा कि चाबी क्या हुयी। दौरान विवेचना मुझे मारुति वैन की चाबी नहीं मिली। फिर कहा कि चाबी मिली थी परंतु विवेचना मे इसका उल्लेख नहीं है और कहा कि चाबी मिली होगी तभी थाने में राजेन्द्र सिंह से भिजवाया था। इस घटना की पहली सूचना मुझे थाना चेतगंज के आवास पर मिली थी। बारिश हो रही थी बारिश कम या ज्यादा हो रही थी याद नहीं है। लगभग दस बजे दिन में मुझे इस घटना की सूचना मिली। मैंने दस बजे दिन में सिपाही को नहीं भेजा खुद दौड़ के गये पहले सिपाही चले गये थे फिर सिपाही ने सूचना दी तब मौके पर गया। जब मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने वहां पर किसी को नहीं देखा। उस समय बारिश बंद हो गयी थीं। वहां पर लोगो ने बताया कि कबीरचौरा गये। मैंने मुख्तार अंसारी को तब देखा था जब वह 12–13 साल के थे, थाना मोहम्मदाबाद के बाहर देखा था। उस समय में वहां सेकेंड अफसर था, उसके बाद कब देखा याद नहीं है। मैंने मुख्तार अंसारी को देखा था वह 6 फीट के है। वह स्वस्थ है या नहीं यह नहीं बता सकता। मैं यह नहीं बता सकता कि इस मुकदमे के मुल्जिमान काफी लंबे चौड़े और तंदुरुस्त थे। मैं यह नहीं बता सकता कि मारुति वैन में ड्राइवर को लेकर कितने लोगों के बैठने की क्षमता है। छः मुल्जिमान मारुति वैन में बैठ सकते हैं या नहीं मैं इस बारे में नहीं बता सकता। यह संभव नहीं

है कि मृतक अवधेश राय को मारुति वैन के अंदर गोली मारी गयी हो। अवधेश राय 100 किलो के थे या अधिक थे मैंने तौला नहीं था स्वस्थ थे। काफी तंदुरुस्त और मोटे थे। गवाहान से तस्दीक किया था कि घटना मारुति वैन के बाहर हुयी। मैंने विवेचना में यह लिखा है कि घटना मारुति वैन के बाहर हुयी और मारुति वैन में घायल को लादकर ले गये। मारुति वैन में कौन–कौन लादा यह विवेचना में मैंने उल्लेख नहीं किया है, वादी ने बताया कि मैं मौके से उठाकर मारुति वैन में लेकर गया। घायल को वादी मुकदमा अकेले नहीं ले जा सकते थे किसी की मदद लिया होगा। वादी मुकदमा ने मुझे बताया रहा होगा कि मारुति वैन कौन चलाकर घ ाटनास्थल से अस्पताल ले गया, पर मैंने विवेचना में यह नहीं लिखा है। दौरान विवेचना, मुझे इस बात की जानकारी नहीं मिली कि मारुति वैन कौन चलाकर घ ाटनास्थल से कबीरचौरा अस्पताल ले गया। घटनास्थल थाना चेतगंज से सीधे दिखायी नहीं पड़ता है आवास से दिखायी पड़ता है। आवास से मेरा मतलब थानाध्यक्ष/इस्पेक्टर के आवास से है। घटना की पहली सूचना मिलने पर मै 10–15 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंच गया था। घटनास्थल से कबीरचौरा अस्पताल जब पहुंचा तो मैं कबीरचौरा अस्पताल में 1.30 से 2 घंटा रहा। घायल को घटनास्थल से अस्पताल ले जाने वाले किसी व्यक्ति ने मुझे खून आलूदा कपड़ा नहीं दिया। वादी के तहरीर लेखक राजेन्द्र कुमार का बयान मैंने दौरान विवेचना नहीं लिया। दौरान विवेचना मुझे पता चल गया था कि मारुति वैन किसकी थी। मारुति वैन जौनपुर से लूटी गयी थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं हो पायी कि मारुति वैन किसने लूटी और कब लूटी। मारुति वैन लखनऊ के रहने वाले व्यक्ति की थी। केस डायरी में इसका उल्लेख नहीं है और मुझे याद भी नहीं है कि मुल्जिम अब्दुल कलाम को थाना कैंट पुलिस द्वारा दिनांक 03.08.1991 को गिरफ्तार हुये थे या नहीं। मैंने विवेचना में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि मारुति वैन की लूट की एफ. आई. आर इस घटना के पहले हुयी थी या बाद में हुयी थी, अगले विवेचक इस बात को बता सकते हैं। यह कहना गलत है कि मैंने सही विवेचना नहीं किया और अधिकारियों के दबाव में गलत विवेचना किया। जी.डी. की कार्बन कापी मेरे सामने नहीं है इसलिये मैं नहीं बता सकता कि वह किस रूप में है। यह भी कहना गलत है कि बिना मूल वैधानिक प्रपत्रों के मूल वैधानिक विचारण संभव नहीं है।

इस साक्षी को न्यायालय में द्वितीयक साक्षी के रूप में प्रस्तुत किये जाने पर सशपथ बयान दिया कि मैं एस.एस.आई राजेन्द्र सिंह के साथ थाना चेतगंज में तैनात रहा हूँ। मैंने उनको लिखते–पढ़ते व हस्ताक्षर करते देखा है। पंचायतनामा प्रदर्श क–2 पुलिस प्रपत्र संख्या–33. पुलिस प्रपत्र संख्या–13 कागज संख्या 143ब/12 रिपोर्ट थाना लंका पी.एम. कराने हेतु कागज संख्या 172ख/1 रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर पी.एम. कराने हेतु कागज संख्या 172ख/3 व फोटोनाश कागज संख्या

143ब/5 एस.एस.आई. राजेन्द्र सिंह द्वारा तैयार किया गया है, मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। फोटोनाश को देखकर एस.एस.आई राजेन्द्र सिंह के लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श क 12** डाला गया। पुलिस प्रपत्र संख्या 33 को देखकर एस.एस. आई राजेन्द्र सिंह के लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श क–13** डाला गया। पुलिस प्रपत्र संख्या 13 काराज संख्या 143ब/12 को देखकर एस.एस.आई राजेन्द्र सिंह के लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श क–14** डाला गया। रिपोर्ट थाना लंका पी.एम. कराने हेतु कागज संख्या 172ख/1 को देखकर एस. एस. आई राजेन्द्र सिंह के लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श क–15** डाला गया। रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर पी. एम. कराने हेतु कागज संख्या–172ख/3 को देखकर एस.एस.आई राजेन्द्र सिंह के लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श क–16** डाला गया।

द्वितीयक साक्षी के रूप में प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि इस मुकदमे में मेरा पहले विवेचक के रूप में बयान हो चुका है। पंचायतामा प्रदर्श क–2 में वादी अजय राय पंच नहीं है। पंचायतनामा में चिक एफ. आई. आर और कायमी मुकदमा की जी.डी. संलग्नक नहीं है। पंचायतनामा की कार्यवाही शाम 16.30 बजे तक हुयी। शाम 16.30 बजे तक चिक एफ.आई.आर. और कायमी मुकदमा की जी.डी. क्यों सलग्न नहीं की गयी मैं इसका कारण नहीं बता सकता। प्रदर्श 14 में मृत्यु का समय 1.00 बजे दिन दिनांक 03.08.91 अंकित है। यह सही है कि पंचायनामा, पुलिस प्रपत्र 33, पुलिस प्रपत्र 13 कागज संख्या 143ब/12, 172ख/1, 172ख/3, 143ब/5 प्रदर्श क–12, प्रदर्श क 13, प्रदर्श 14. प्रदर्श क–15, प्रदर्श क–16, किसी में भी राज्य प्रति मुल्जिमान का नाम अंकित नहीं है। हो सकता है कि पंचायतनामा की कार्यवाही पूरी होने तक चिक एफ. आई. आर और जी.डी. तैयार न हो और मुल्जिमान का नाम न पता हो इसलिये पंचायतनामा सहित उक्त प्रपत्रों पर राज्य प्रति मुल्जिमान का नाम अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि अजय राय वादी मुकदमा ने अपने 161 दं0प्र0सं0 के बयान में मुझे यह नहीं बताया है कि इस मुकदमे के मुल्जिमान मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह एवं राकेश श्रीवास्तव को घटना के पहले से जानता पहचानता हूँ। यह सही है कि वादी मुकदमा ने अपने 161 दं0प्र0सं0 के बयान में मुझे यह नहीं बताया है कि ये सभी मुल्जिमान एक ही गोल के हैं। यह सही है कि वादी मुकदमा ने अपने 161 दं0प्र0सं0 के बयान में मुझे यह नहीं बताया है कि इस मुकदमे के अन्य मुल्जिम अब्दुल कलाम थे, इनको भी मैं घटना के पहले से जानता था। यह सही है कि वादी मुकदमा ने अपने 161 दं0प्र0सं0 के बयान में मुल्जिम मुख्तार अंसारी की ऊंचाई लगभग 6 फीट 3–4 इंच की थी और मेरे भाई मृतक अवधेश राय की ऊंचाई लगभग 5 फीट 3–4 इंच की थी यह नहीं बताया

है। यह सही है कि वादी मुकदमा ने अपने 161 दं0प्र0सं0 के बयान में यह बात अंकित नहीं है कि घटना के समय मेरे मकान का मुख्य दरवाजा जहां घटना घटी थी मेरे मकान के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर था। यह सही है कि वादी मुकदमा के अपने 161 दं0प्र0सं0 के बयान में अपने–अपने हाथ में रिवाल्वर व पिस्टल लेकर उतरे नहीं है बल्कि असलहा लेकर उतरने की बात अंकित है। यह सही है कि वादी मुकदमा के अपने 161 दं0प्र0सं0 के बयान में यह बात अंकित नहीं है कि मैं (वादी मुकदमा) खुद गाड़ी चलाकर कबीरचौरा अस्पताल ले गया। वादी मुकदमा के 161 दं0प्र0सं0 के बयान में यह बात अंकित नहीं है कि (अजय राय) वादी मुकदमा मृतक अवधेश राय को गाड़ी मे लादते समय उनके कपड़ो में खून लगा था।

21. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0–4 कृपाशंकर शुक्ल, तत्कालीन विवेचक ने सशपथ मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि वर्ष 1991 में माह अगस्त से प्रभारी निरीक्षक थाना चेतगंज के पद पर कार्यरत था। इस मुकदमे की विवेचना दिनांक 18.08.1991 को मैंने ग्रहण किया। विवेचना के मध्य पंचायतनामा के गवाहान हर्षवर्धन, गोवर्धन यादव, विजयकुमार पाण्डेय व चन्द्रभूषण राय दिनांक 17.09.1991 को बयान लिया था। घटना में प्रयुक्त मारुति वैन की चोरी के संबंध में दर्ज मुकदमा अपराध सं0–432/1991, धारा 379 भा०दं०वि०, थाना केराकत, जनपद जौनपुर में दर्ज मुकदमे का विवरण प्राप्त किया, जिसका उल्लेख सी.डी. के पर्चा नम्बर 11 में किया था तथा पर्चे में प्रथम सूचना रिपोर्ट की नकल किया। दिनांक 28.09.1991 को पर्चा नम्बर 12 में गवाहान विजय कुमार पाण्डेय व श्री कतवारू चौहान का बयान लिया। विवेचना के उपरांत इस मुकदमे से संबंधित अभियुक्तगण राकेश कुमार श्रीवास्तव तथा अब्दुल कलाम जो जेल में निरुद्ध थे। इन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र तथा अभियुक्तगण मुख्तार अंसारी एवं कमलेश सिंह तथा भीम सिंह के विरुद्ध मखरूरी में आरोप पत्र पेश किया। पत्रावली पर रक्षित आरोप पत्र को गवाह ने देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। दिनांक 04.11.1991 को इस मुकदमे से संबंधित खून आलूदा वस्तुओं को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ को भेजा गया। प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति रसीद का उल्लेख केस डायरी में किया। इस मुकदमे की चिक, चिक राईटर राजकुमार यादव द्वारा मूल तहरीर के आधार पर चिक किता किया है। चिक लेखक राजकुमार यादव के लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैंने लिखते पढ़ते देखा है उन्हीं के लेख व हस्ताक्षर में चिक है जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया।

22. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–4 कृपाशंकर शुक्ल ने जिरह** में कथन किया है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस मुकदमे में दो एस.सी.डी. के पर्चे काटे गये थे या नहीं। बाद में कहा कि दिनांक 04.11.1991 को इस मुकदमे की एस.सी.डी. 1 मैंने किता की है, एस.सी.डी. 2 किसी अन्य विवेचक ने किता की है। एस.

सी.डी. 1 मे मैंने खून आलूदा वस्तुएं विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा। अपने आखिरी पर्चे दिनांक 12.10.1991 में मैंने विवेचना प्रचलित होने का उल्लेख किया है। इस समय मेरे सामने मुकदमे की मूल सी.डी. साक्ष्य के दौरान नहीं है। जिल्द केस डायरी भी मेरे सामने नहीं है। जो मैंने प्रदर्श क 8 व प्रदर्श क 9 साबित किया है यह भी मूल नहीं है। यह कहना गलत है कि मूल प्रपत्रों के अभाव में वैधानिक विधारण नहीं हो सकता। मैंने विवेचना प्रारंभ करते समय पर्चा 1 से पर्चा नम्बर 7 तक का अवलोकन किया। विवेचना में मैंने केस डायरी में अजय राय द्वारा बचाव में किये गये फायर के पिस्टल को वैज्ञानिक परीक्षण के लिये मैंने प्राप्त करने के प्रयास का उल्लेख नहीं किया। मैंने अजय राय से वैज्ञानिक परीक्षण हेतु पिस्टल की बहुत मांग की और पूर्व विवचेक उदयभान से भी पिस्टल प्राप्त करने का प्रयास किया परंतु अजय राय द्वारा वैज्ञानिक परीक्षण हेतु पिस्टल उपलब्ध नही कराया। मैंने घटनास्थल पर अजय राय द्वारा अपनी पिस्टल से फायर किये गये 4 खोखो को वैलिस्टिक परीक्षण हेतु असलहे के अभाव में नहीं भेजा। वैलिस्टिक परीक्षण की रिपोर्ट के बिना मैं यह नहीं पता सकता कि अजय राय के पिस्टल से ही वो चार खोखे फायर किये गये थे या नहीं। मारुति वैन जिस पर अजय राय ने चार फायर किया था उसको (मारुति पैन) भी वैज्ञानिक परीक्षण हेतु नहीं भेजा। वैज्ञानिक परीक्षण के अभाव में मै यह नहीं बता सकता कि वही चार खोखे अजय राय के पिस्टल से मारुति वैन पर फायर किये गये थे या नहीं। प्रदर्श क 9 चिक एफ.आई.आर में इस बात का उल्लेख नहीं है कि वादी मुकदमा अजय राय ने मुल्जिमान का पीछा किया। प्रदर्श क–9 चिक एफ आई आर में इस बात का उल्लेख नहीं है कि मैं मुक्जिमान को घटना से पहले जानता पहचानता हूँ और ये मुल्जिम एक ही गोल के हैं। प्रदर्श क 9 चिक एफ.आई. आर में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अभियुक्तगण अपने–अपने हाथों में रिवाल्वर व पिस्टल लेकर उतरे। प्रदर्श क 9 चिक एफ. आई. आर में इस बात का उल्लेख नहीं है कि मारुति वैन जिसमें चाबी लगी थी। प्रदर्श क 9 चिक एफ.आई.आर में सिर्फ इस बात का उल्लेख है कि थाना चेतगंज की पुलिस ने मुल्जिमानों का पीछा किया। मैंने विवेचना ग्रहण करने के लगभग 1 महीना 10 दिन बाद विजय कुमार पाण्डेय का बयान लिया। मैंने वादी अजय राय का कोई बयान नहीं लिया। मारुति वैन की चोरी की एफ. आई. आर दिनांक 23.08.1991 को दर्ज हुयी थी। मैंने पंचायतनामा के पांचवे पंच राजेश राय का बयान अंकित नहीं किया। विजय कुमार पाण्डेय ने अपने 161 दं0प्र0सं0 के बयान में मुझे यह नहीं बताया है कि वादी मुकदमा अजय राय ने मुल्जिमान का पीछा किया बल्कि यह बताया है कि चेतगंज पुलिस ने मुल्जिमान का पीछा किया। किन पुलिस वालों ने मुल्जिमान का पीछा किया मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मुझे दौरान विवेचना अभियुक्त मुख्तार अंसारी व मृतक अवेधश राय के मध्य विशेष रंजिश की जानकारी नहीं हो पायी। मुझे यह स्मरण नहीं

है कि अवधेश राय व अजय राय थाना चेतगंज के हिस्ट्रीशीटर थे। मैंने पंचायतनामा करने वाले दरोगा राजेन्द्र सिंह का बयान नहीं लिया। मै यह भी नहीं बता सकता कि पंचायतनामा में चिक एफ. आई. आर इन्क्लोजर क्यों नहीं की गयी। यह कहना गलत है कि मैंने सही विवेचना नहीं किया और मुल्जिमान के खिलाफ गलत आरोप पत्र लगा दिया।

23. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–5 डॉ0 एस0के0 त्रिपाठी ने सशपथ मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि मैं दिनांक 03.08.1991 को वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर विधि चिकित्सा शास्त्र विभाग, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दु विश्वविद्यालय वाराणसी में कार्यरत था। उस दिन मैंने रात्रि 11.00 बजे पोस्टमार्टम पंजीयन संख्या 874/91 के तहत मृतक अवधेश राय, उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र सुरेन्द्र राय, निवासी सी–21/94 सी महामण्डल नगर थाना चेतगंज, वाराणसी का शव विच्छेदन व परीक्षण किया था जिसे थाना चेतगंज वाराणसी द्वारा भेजा गया था। शव सीलबन्द दुरुस्त हालत में कुल 13 पुलिस कागजात समेत मेरे समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। संबंधित शव सिपाही 1048 राजेश सिंह और राकेश सिंह, थाना चेतगंज, वाराणसी द्वारा लाया गया था। संबंधित शव परीक्षण रात्रि में जिलाधिकारी के आदेशपत्र संख्या 2441/एस कैम्प तारीख 03.08.1991 के अनुसार रात्रि में किया गया। सीलबंद शव के सील को खोलने के पश्चात् एक नवयुवक पुरुष लगभग 30 वर्षीय एक अच्छे कदकाठी का और अच्छे स्वास्थ्य का मिला था। शव पर एक पयजामा, एक लंगोट, एक कुर्ता, एक गमछा, दाहिने भुजा पर एक गण्डा ताबीज मिला था। इस सभी को निकालकर व शील करके संबंधित साथ आये सिपाही को सुपुर्द किया। शव पर मृत्यु पश्चात् की अकड़न शरीर पर हर तरफ मौजूद थी और अकड़न स्थापित हो चुकी थी। शरीर पर सड़न के कोई भी लक्षण नहीं थे। शरीर पर पोस्टमार्टम लिमिडिटी स्थापित व फिक्स्ड अवस्था में थी। आंखे व मुह बंद थे। बायें कान व बायें नासाछिद्र से रक्तस्राव के लक्षण मौजूद थे। शरीर के अन्य छिद्र सामान्य थे।

<u>मृत्यु पूर्व की चोटें</u>

1. <u>चोट नम्बर 1</u>– आग्नेयास्त्र द्वारा कारित प्रवेश घाव 3/4 सेमी० डायमीटर का सामने छाती पर ऊपरी 1/2 भाग में सामने मध्य लाइन से 9 सेमी० बाहर की तरफ बायी छाती पर मिला था जो बाये एडी से 138 सेमी० ऊपर स्थित था।

<u>चोट नम्बर 2</u>– आग्नेयास्त्र द्वारा कारित निकासी घाव अण्डाकार 2.50 सेमी० X 3/4 सेमी० का गले पर बायीं तरफ पीछे मध्य लाइन से गले की जड़ पर 5 सेमी0 बाहर की तरफ था और यह बायी एडी से 260 सेमी0 ऊपर मिला यह निकासी घाव सरवाइकल वर्टीबरली नम्बर 2 के लेवल पर था।

टिप्पणी–चोट सं0–1 व 2 एक दूसरे से जुड़े हुये थे। घाव मार्ग सामने से पीछे की तरफ बायें से दायें तरफ तथा नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ मिला था। घाव मार्ग में सामने के छाती के चमड़ी व मांस तथा वहां स्थित पसली तथा बायां क्लेविकल 1/3 जैक्शन पर फैक्चर था। बायां एस्टनोक्लीडो मैस्टोवाएड तथा गले की पीछे व बायें तरफ की आउटर वाल चोटग्रसित थी। घावमार्ग में जमा हुआ रक्त मिला था।

चोट नम्बर 3– एक खरासयुक्त नीलगू चोट (एब्रेडेड कंटीयूजन) लाल रंग का 3.50 सेमी0 X 1/2 सेमी0 का दाहिने ललाट पर सामने दाहिने भौह से 1 सेमी0 ऊपर तथा सामने मध्य लाइन से 5 सेमी बाहर की तरफ मिला था। संबंधित चोट केवल चमड़ी की गहराई तक मिला था।

2. चोट नम्बर 4–आग्नेयास्त्र द्वारा कारित प्रवेश घाव 3/4 सेमी0 डायमीटर का पेट की बाहरी दीवार बायें तरफ नाभि से 25 सेमी० बाहर मिला था। यह घाव कूल्हे की हड्डी बायें तरफ की सुपीरियर इंटीरियर इलियर स्पाइन के स्थान पर था। यह बायें एडी से 100 सेमी0 ऊपर मिला था। पेट को खोलने के पश्चात् सतही घाव एक घाव मार्ग द्वारा पेट व पेडू के भीतरी भाग तक गया था जिसका दिशा प्रवाह बायें से दायें ऊपर से नीचे तथा सामने से पीछे की तरफ जाता हुआ पाया गया था। मार्ग में पेट की दीवार व उससे संबंधित मांसपेशियां तथा बायें एलियक बोन का एलियम में एक फैक्चर व छेद मिला था, जो इंटीरियर सुपीरियर इलियर स्पाइन के नजदीक था बायें तरफ पैल्विक मसल्स व कैविटी में रोट्रोपैरीटोनियल झिल्ली के नीचे तक वहां स्थित दायें एस्चियल बॉडी तक पहुंचा हुआ था। वहां पर एक डिफार्म्ड बुलेट पायी गयी थी जिसका 1/2 भाग उसी हड्डी में घुसा हुआ था। सभी चोटग्रसित साफ्ट टिसू व रोट्रोपेरीटोनियल हिस्से में कंटीयूजन व जमा रक्त मिला था।

3. चोट संख्या 5–आग्नेयास्त्र द्वारा कारित प्रवेश घाव 3/4 सेमी0 डायमीटर का बायीं कनपटी पर बायें कान की जड़ से 6.50 सेमी0 ऊपर व सामने की तरफ बायें भौह से 8 सेमी0 ऊपर स्थित था। घाव को खोलने के पश्चात् सिर में घाव का दिशा प्रवाह बायें से दायें ऊपर से नीचे तथा कुछ सामने से पीछे की तरफ जाता हुआ मिला था। संबंधित घाव मार्ग बायें टैम्पल (कनपटी) एरिया, बायें टेम्पोरल हड्डी में से होता हुआ खोपड़ी के भीतर बायें मिडिल क्रेनियल फोसा (बेस ऑफ स्कल्प) तक पहुंचा था। वहॉ पर बुलेट के फ्रेगमेंटेड मैटेलिक पीसेस मिले थे, जो सर्वाइकल हड्डी नं0–2 मे उसके बॉडी में घुसे हुए मिले थे। वहॉ पूरे घाव मार्ग में कंटीयूजन व जमा रक्त मौजूद था। संबंधित चोटिल रीड सी 2 के लेवल में स्पाइनल कार्ड भी कंटीयूज्ड मिला था।

टिप्पणी–दिनांक 03.08.1991 को पोस्टमार्टम परीक्षण के दौरान शरीर में घुसी हुयी गोलियों को खोजा नहीं जा सका। अतः शव को सील करके जिला अस्पताल

एस. एस. पी. जी. हास्पिटल वाराणसी में एक्सरे परीक्षण हेतु भेजा गया। इससे संबंधित पत्र/रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसको मैं तसदीक करता हूं जिस पर **प्रदर्श क 10** डाला गया। एक्सरे रिपोर्ट व एक्सरे प्लेट 57–91–94 के आधार पर शव परीक्षण पूर्ण किया। शव से निकाले दो डिफार्म्ड मैटेलिक बुलेट/मिसाइल एक सीलबंद लिफाफे में एस.एस.पी. वाराणसी को भेजा गया।

<u>आंतरिक परीक्षण</u>

सिर में स्कैल्प व खोपड़ी में आयी चोट जो आग्नेयाश्त्र द्वारा कारित हुयी थी उक्त चोटों का वर्णन ऊपर चोट संख्या 1 लगायत 5 के रूप में की जा चुकी है। मस्तिष्क व उसकी झिल्ली चोटिल थी और जमा रक्त था। गले में रीड की हडडी नम्बर 2 टूटी थी और वहां जमा रक्त था जो चोट संख्या 5 में वर्णित है। छाती में फेफडे व उस पर की झिल्लियां रक्त कमी युक्त लक्षण pale थे। उदर में बायें इलियक बोन में फ्रैक्चर व चोटें व दाहिने इस्चियल हड्डी में आयी फ्रैक्चर व चोटें तथा पैलविक एवडोमेन में रेट्रोपेरीटोनियल जमे रक्त के थक्के पाये गये थे, जो चोट संख्या 4 में विस्तृत वर्णन है। यकृत पाचन रस की थैली दोनों गुर्दे व तिल्ली ये सभी अत्यधिक रक्तस्राव युक्त लक्षण pale आमाशय में 100 मिली० पचा हुआ भोजन था। छोटी आंतों में पचा भोजन व गैस थी। बड़ी आंतों में मल व गैस थी। आंतों की म्यूकस मैम्ब्रेन सामान्य थी।

मृत्यु का कारण

Coma as a result of firearm injury to head and brain and contributted too by haemorrhagic shock due to other firearm injuries to pelvic abdomen area and chest-

मृत्यु का समय–

एस. एस. पी. जी. हास्पिटल की मृत्यु सर्टिफिकेट के अनुसार (पुलिस संलग्नक पत्र संख्या 7 मे) दिनांक 03.08.1991 को अपरान्ह 1 बजकर 35 मिनट पर होना अंकित था तथा मेरी राय में मृत्यु अंतराल में शव पर पाये गये लक्षणों के आधार पर मृत्यु रिपोर्ट में अंकित समय में कोई बदलाव नहीं पाया। गवाह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर अपन लेख व हस्ताक्षर पहचान किया जिसा गयपर **प्रदर्श क–11** डाला गया।

24. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–5 डॉ0 एस0के0 त्रिपाठी** ने जिरह में कथन किया है कि मजरूब के ऊपर आये हुये तीनों प्रवेश घाव 3/4 सेमी० डायमीटर के हैं इसलिए इस बात की संभावना बनती है कि या तो एक ही अस्त्र से आये हो या एक ही प्रकार के अस्त्र से आये हों। तीनों प्रवेश घाव शरीर के बायें हिस्से पर थे।

प्रश्न–मृतक के आमाशय में डायजस्टिड फूड व गैस और बड़ी आंत में फिकल मैटल व गैस मिला। अन्य डायजस्टिड फूड नहीं मिला इसलिये मृतक की मृत्यु सुबह 10.00 बजे के आस–पास हो सकती है।

उत्तर– आमाशय में सिर्फ पचा भोजन था अतः मात्रा कम होने की वजह से यह निष्कर्ष बनता है कि मृत्यु से लगभग 4 घंटे पहले तक उसने कुछ भी नहीं लिया होगा, ठोस पदार्थ को छोड़कर। फिकल मैटल व गैसेस सामान्य तौर पर छोटी व बड़ी आंतो में 12 घंटे के अंतराल के बाद से मिलने शुरू हो जाते हैं। मृतक की मृत्यु लगभग समय 10 बजे दिन की कुछ हद तक बनती है यदि हास्पिटल का मृत्यु सर्टिफिकेट को कंसीडर न किया जाये तब। मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे सामने नहीं है। एक्सरे के लिये मैंने जो रेफरेंस दिया है वह भी मूल रूप में नहीं है।

25. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–6 चन्द्रभूषण राय** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतक अवधेश राय के पंचायतनामा की कार्यवाही कबीरचौरा अस्पताल में हुयी थी उस समय मै वहां मौजूद था। पंचायतनामा की कार्यवाही 03.08. 1991 को हुयी थी। पंचायतनामा की कार्यवाही में मुझे तीन व्यक्तियों का नाम याद है जिसमें हर्षवर्धन सिंह, विजय कुमार पाण्डेय और मैं खुद था। पंचायतनामा की कार्यवाही दो बजकर दस मिनट पर शुरू हुयी थी। पंचायतनामा की कार्यवाही साढ़े चार बजे तक चली थी। पंचायतनामा की कार्यवाही किस दरोगा ने की थी मुझे नाम याद नहीं है। पंचायतनामा पर मेरा दस्तखत बनवाया गया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न पंचायतनामा जिसमें पूर्व से प्रदर्श क–2 पड़ा है को देखकर उस पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। पंचायतनामा के बाद मुझे एक बार बुलाया गया था क्या पूछा गया था मुझे ध्यान नहीं है।

26. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–6 चन्द्रभूषण राय ने जिरह** में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि पंचायतनामा की कार्यवाही अत्यंत विलंब से की गयी। मैं यह नहीं बता सकता कि पंचायतनामा के साथ क्या–क्या दस्तावेज उपलब्ध थे।

27. **<u>बचाव साक्ष्य–</u>**

प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से भी मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

28. बचाव पक्ष के साक्षी **डी0डब्लू0–1 सिबगतुल्ला अंसारी** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं तीन भाई हूँ सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे बाद अफजाल अंसारी सांसद गाजीपुर है और तीसरे भाई इस मुकदमे के मुल्जिम मुख्तार अंसारी है। हम तीनों भाईयों का मूल निवास स्थान युसुफपुर मोहम्मदाबाद ही है। दिनांक 03.08. 1991 को सुबह मेरे वृद्ध पिता सुभानुल्लाह अंसारी की तबीयत खराब हो गयी तो हम और हमारे भाई मुख्तार अंसारी परिवार के अन्य लोग उनके दवा इलाज में मसगुल हो गए। मैने अपने चचेरे भाई मंसूर अंसारी को डा0 सिन्हा को बुलाने भेजा। उस

समय मेरे भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद से विधायक थे। पिता जी के आस–पड़ोस के शुभचिन्तक मेरे घर पर आ गए। मेरे पिताजी की अस्वस्थता सुनकर रामजी राय, अब्दुल अजीज और फेकू सिंह यादव, गोपाल शरण राय भी आ गए। लगभग दिन के 11.00 बजे खबर आयी कि बनारस में नामी आदमी अवधेश राय की हत्या किसी ने कर दी है। उसमें से गोपाल शरण राय जब अपने गांव परसा से आ रहे थे वहां अवधेश राय के रिश्तेदार रो–धो रहे थे तो उनसे भी यह जानकारी हुई कि अवधेश राय की हत्या वाराणसी में हो चुकी है। अवधेश राय अपराधी किस्म के बदनाम व्यक्ति थे उनकी काफी लोगों से रंजिश थी। उनके ऊपर हत्या आदि के अनेकों मुकदमें थे। वे चेतगंज थाने के हिस्ट्रीशीटर थे। अवधेश राय की हत्या बनारस के चेतगंज में हुई थी। दिनांक 03.08.1991 को इस मुकदमें के मुल्जिम मुख्तार अंसारी मेरे साथ ही मेरे युसुफपुर मोहम्मदाबाद आवास पर पिता जी के तीमारदारी में सुबह 6.00 बजे से लेकर देर रात तक मौजूद थे। वे कहीं आए गए भी नहीं। मुझे यह जानकारी दूसरे दिन सुबह के छपे समाचार पत्रों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि अवधेश राय की हत्या में मुख्तार अंसारी को भी मुल्जिम बना दिया गया है। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को गलत ढंग से मुल्जिम बनाया गया जबकि वह घटना स्थल से लगभग 100 किमी0 दूर मेरे घर पर मौजूद थे। अवधेश राय की हत्या के बारे में यह जानकारी हुई कि उनको किसी एक व्यक्ति ने गोली मार दी थी। अजय राय वादी मुकदमा भी कई केस में मुल्जिम रहे हैं वे रासुका में भी जेल में रहे है। अवधेश राय के साथ वह मुल्जिम रहे हैं। यह जानकारी हुई थी कि अवधेश राय अपने घर के सामने थे जहां उनकी हत्या हुई थी।

29. बचाव पक्ष के साक्षी **डी0डब्लू0–1 सिबगतुल्ला अंसारी ने अभियोजन द्वारा की गयी जिरह** में कथन किया है कि हम लोग पिता जी के समय से तीनों लोग अलग–अलग रह रहे हैं। मोहल्ला शेखटोला युसुफपुर में मेरे परिवार के कुल दो मकान है एक मेरा है और एक मेरे भाई अफजाल का है तथा इन दोनों को छोड़कर एक हिस्से का मकान माता–पिता का है। हमारे और अफजाल साहब के मकान आपस में सटे हुए हैं केवल बीच में माता–पिता के मकान का हिस्सा है। मुख्तार अंसारी का मकान मेरे मकान से लगभग 500 मीटर दूर एक दूसरे मोहल्ले दर्जी टोला सिनेमा रोड पर स्थित है। पिता जी का दवा इलाज घर पर ही हुआ था। उसका कोई चिकत्सकीय प्रपत्र 31 साल पुराना रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। जो डाक्टर दवा इलाज किए थे उनका पूरा नाम बी.जे.पी. सिन्हा था जिनका अब देहान्त हो गया है। यह डाक्टर साहब सरकारी अस्पताल मोहम्मदाबाद में थे। यह अस्पताल राजकीय चिकित्सालय मोहम्मदाबाद है। पिता जी की इलाज हेतु राजकीय अस्पताल के डाक्टर साहब ही इलाज किए थे वे सुबह 6.00 बजे आए थे उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था। अतः उनका कोई भी सरकारी

अभिलेखों में कोई रिकार्ड नहीं होगा। यह कहना गलत है कि दिनांक 03.08.1991 को मेरे पिता जी का कोई दवा इलाज नहीं हुआ था इसलिए मैं प्रपत्र नहीं लाया हूँ। मेरे भाई के विरुद्ध नामित एफ.आई.आर. होने पर मैने स्वयं कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था लेकिन अपने छोटे भाई अफजाल अंसारी जी जो उस समय तत्कालीन विधायक को बताया जो उस समय लखनऊ में थे। वो अपने राजनीतिक दल उदल जी के साथ तत्कालीन विधायक बनारस के साथ मिलकर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी से मुलाकात की और इस संबंध में मेरे भाई को झूठा फंसाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर शासन द्वारा सी.बी.सी.आई.डी. से निष्पक्ष जांच कराये जाने हेतु सी.बी.सी.आई.डी. को आदेशित किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई प्रपत्र हैं अथवा नहीं मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरे भाई को झूठा फंसाने के सम्बन्ध में न तो शासन के द्वारा कोई कार्यवाही की गयी न तो जांच की गयी। चूंकि मेरा छोटा भाई अफजाल अंसारी तत्कालीन विधायक मामले में पैरवी कर रहे थे इसलिए रामजी राय, अब्दुल अजीज, फेकू सिंह यादव, गोपाल शरण राय तथा चचेरे भाई का शपथ–पत्र बनवाकर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना उचित नहीं समझा। यह कहना सही है कि अपने भाई के निर्दोष होने के सम्बन्ध में मैं किसी न्यायालय मे पहली बार बयान दे रहा हूं क्योंकि पहली बार सफाई का अवसर मिला है। घटना के बाद पुलिस कभी आयी थी कि नहीं यह मुझे याद नहीं है बल्कि मुझे यह याद है कि दिनांक 07.08.1991 को पुलिस कुर्की की कार्यवाही हेतु आयी थी। दिनांक 06.08.1991 को पुलिस ने मेरे भाई मुख्तार अंसारी के आवास पर छापा मारा था या नहीं और वह फरार थे या नहीं चूंकि पुरानी घटना होने के कारण मुझे याद नहीं।

यह कहना गलत है कि अभियुक्त मुख्तार अंसारी मेरे सगे भाई हैं जिन्हे बचाने हेतु मैं न्यायालय में आज झूठी गवाही दे रहा हूँ। यह भी कहना गलत है कि दिनांक 03.08.1991 को मेरे भाई मुख्तार अंसारी प्रातः 6.00 से रात्रि तक पैतृक आवास पर घर में मौजूद नहीं थे। यह भी कहना गलत है कि दिनांक 03.08.1991 को मेरे पिता जी बीमार नहीं थे और न उनकी तीमारदारी में मैं व मेरे भाई मुख्तार अंसारी मौजूद थे। यह भी कहना गलत है कि दिनांक 03.08.1991 को मेरे पैतृक आवास पर रामजी राय, अब्दुल अजीज, फेकू सिंह यादव, गोपाल शरण राय व मंसूर अंसारी मौजूद नहीं थे।

30. बचाव पक्ष के साक्षी **डी0डब्लू0–2 रामजी राय** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 03.08.1991 को मै अपने घर से मोहम्मदाबाद बाजार गया था। वहां पर कुछ लोगों से पता चला कि विधायक अफजाल अंसारी के पिता की तबियत अचानक खराब हो गयी थी। जब मुझे यह जानकारी हुई तो मै भी विधायक जी के आवास पर पहुॅचा। जब मै वहां पहुंचा तो मैने देखा कि पहले से ही वहां

काफी लोग मौजूद थे। वहां विधायक अफजाल अंसारी के बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी थे और वहां अफजाल अंसारी के छोटे भाई मुख्तार अंसारी व उनके चचेरे भाई मंसूर अंसारी और अब्दुल अजीज फेकू सिंह यादव और गोपाल राय मौजूद थे। वहां पर और लोगों का आना–जाना लगा हुआ था। बाजार से यह हल्ला होकर आया कि ग्राम मलसा गाजीपुर के अपराधी अवधेश राय की बनारस में किसी ने हत्या कर दी है। मुझे बाकी कोई जानकारी नहीं हुयी। मुझे यह जानकारी उसी दिन लगभग 11.00 बजे दिन में हुयी थी। दूसरे दिन अखबार से मुझे यह मालूम हुआ कि विधायक अफजाल अंसारी के छोटे भाई मुख्तार अंसारी को अवधेश राय की हत्या में झूंठा फंसा दिया गया है।

31. बचाव पक्ष के साक्षी **डी0डब्लू0–2 रामजी राय** ने अभियोजन द्वारा की गयी **जिरह** में कथन किया है कि मेरे निवास वाले गांव वीरपुर से मोहम्मदाबाद की दूरी लगभग 17–18 किलोमीटर है। मै अपने गांव से मोहम्मदाबाद अपने साधन मोटरसाईकिल से गया था। मै उस मोटरसाईकिल का नम्बर नहीं बता सकता जिस मोटरसाईकिल से मोहम्मदाबाद बाजार गया था। वह मोटरसाईकिल मेरे नाम से थी फिर कहा कि दहेज में मेरे लड़के के शादी में मेरे नाम से मिली थी। मै उक्त मोटरसाईकिल के सम्बन्ध में कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि बहुत पुराना मामला है। वह मोटरसाईकिल वर्ष 1995–96 में बेची थी। वह मोटरसाईकिल मेरे पास कब से कब तक रही, यह मै नही बता सकता। मोटरसाईकिल जिसको बेचा था कोई गुप्ता जी थे, उनका पूरा नाम नहीं बता सकता उनके पिता का नाम व पता नहीं बता सकता। इतना पुराना हो गया है इसलिए बेचीनामा का दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकता। मै दिनांक 03.08.1991 को ही अपने घर से मोहम्मदाबाद जाने के लिए निकला लगभग 8.00 बजे चला था। मै मोहम्मदाबाद बाजार करने के लिए गया था। मै अपने घर से मोहम्मदाबाद के लिए चला था तो बीच में दस–पॉच मिनट के लिए रूका था। मै घर से अकेले ही गया था। मोटरसाइकिल मेरे लड़के के शादी में दहेज के रूप में मिली थी। मेरे उस लड़के का नाम अखिलेश राय है। अखिलेश राय की शादी किस तिथि को थी, यह मुझे याद नही है। उनकी शादी 20–25 वर्ष पहले हुयी थी इसलिए सन् भी नहीं बता सकता हूॅ। मेरे दो लड़के हैं। मेरे दूसरे लड़के का नाम अरूण कुमार राय है। इनका विवाह 2016 में हुआ था। इनका विवाह 24.11. 2016 में हुआ था। जिस समय अखिलेश की शादी कराया था उस समय उनकी उम्र 20–25 वर्ष रही थी। मुझे विधायक जी के पिता के बीमारी की सूचना शंभु सिंह यादव, बलिराम पटेल, लालचन्द्र यादव, श्रीनारायण ने बताया था। जब मुझे सूचना मिली तो मै उनके आवास शेखटोला पर सवा नौ बजे पहुॅचा। मै वहां पहुंच कर देखा कि विधायक जी के पिता जी लेटे थे। वहां पर डाक्टर आए थे लेकिन चले गए थे। विधायक जी के पिता जी इसलिए बोल नहीं रहे थे। मुझे सिगबतुल्ला अंसारी ने

बताया कि डाक्टर आए थे और इलाज करके चले गए। मै वहां दो बजे दिन तक था तब तक कोई डाक्टर आए–गए नहीं। मैने पूछा ही नहीं कि कौन डाक्टर आए थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अवधेश राय अपराधी थे या नहीं। शोर सुनकर जाना था। अखबार में दूसरे दिन जब यह खबर छपी की मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकाण्ड में मुल्जिम बना दिया गया है तब मै आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि मै एक दिन पहले मैने उनको सगबतुल्ला अंसारी के आवास पर देखा था। मैने अभियुक्त मुख्तार अंसारी को झूंठा फंसाए जाने के सम्बन्ध में किसी भी अधिकारी को कोई प्रार्थना नहीं दिया क्योंकि सिगबतुल्ला अंसारी ने पूछने पर बताया कि कार्यवाही हो रही है। यह कहना सही है कि मुख्तार अंसारी के निर्दोष होने के सम्बन्ध में आज मै पहली बार किसी न्यायालय में बयान दे रहा हूॅ। मै अफजाल अंसारी से सन् 1984 से परिचित हूॅ। मुख्तार अंसारी पिछले 17 सालों से जेल में है। यह कहना सही है कि अफजाल अंसारी, सिगबतुल्ला अंसारी व अभियुक्त मुख्तार अंसारी विधायक रहे हैं और वर्तमान समय में भी अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद है। हां यह सही है कि आज तक भी अफजाल अंसारी व उनके परिवार के लोगों के यहां आना–जाना लगा रहता है, वह हम लोगों के नेता हैं। यह कहना गलत है कि दिनांक 03.08.1991 को अफजाल अंसारी के पिता न बीमार थे न उनका कोई दवा इलाज चल रहा था। यह भी कहना गलत है कि मै दिनांक 03.08.1991 को समय सवा नौ बजे से दिन के दो बजे तक उनके आवास पर मौजूद था और न ही उनको देखने गया था और यह भी कहना गलत है कि अफजाल अंसारी के प्रभाव व दबाव के कारण मुल्जिम मुख्तार अंसारी को हत्या जैसे जघन्य अपराध से बचाने के लिए और उनके कहने पर आज न्यायालय में मै झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

32. बचाव पक्ष के साक्षी **डी0डब्लू0–3 एच.सी. विकान्त सिंह** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं आज थाना सिगरा का नई पोखरी रमाकान्त नगर का रजिस्टर नम्बर 8 मूल रजिस्टर लेकर न्यायालय में आया हूँ। वर्ष 1985 के भाग दो के आखिरी क्रमांक 571 पर धारा 307 भा.दं.वि. का मुकदमा वादिनी कुमारी गुड़िया श्रीवास्तव के आधार पर अभियुक्त अवधेश राय व दो अन्य के विरुद्ध दर्ज हुआ था और जिसमें आरोप पत्र ए–348 दिनांकित 31.12.1985 प्रेषित किया गया था। मूल रजिस्टर का प्रमाणित प्रति न्यायालय में अपने हस्ताक्षर से दाखिल कर रहा हूँ। जिस पर **प्रदर्श ख 1** डाला गया। वर्ष 1989 के प्रथम इंद्राज के रुप में अ.सं. 9/1998, धारा–304,506 भा0दं0वि0 वादी गिरीश कुमार मिश्रा के आधार पर अवधेश राय पुत्र सुरेन्द्र राय निवासी सी 21/1994 पिशाच मोचन महामण्डल नगर थाना चेतगंज जिला वाराणसी के विरुद्ध दर्ज हुआ था। इसमें भी आरोप पत्र ए–89 दिनांकित 20.03.1998 को प्रेषित किया गया था। मूल रजिस्टर की प्रमाणित फोटो

प्रति अपने हस्ताक्षर में आज न्यायालय में दाखिल कर रहा हूँ जिस पर **प्रदर्श ख 2** डाला गया।

33. बचाव पक्ष के साक्षी **डी0डब्लू0–3 एच.सी. विकान्त सिंह** ने अभियोजन द्व ारा की गयी **जिरह** में कथन किया है कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि जिन मुकदमों का विवरण आज मैने न्यायालय में प्रस्तुत किया है उसमें न्यायालय द्व ारा क्या निर्णय पारित किया गया है।

34. बचाव पक्ष के साक्षी **डी0डब्लू0–4 हे0कां0 नन्हक सिंह** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज मैं थाना शिवपुर वाराणसी का ग्राम अपराध पुस्तिका कस्बा शिवपुर क्षेत्र प्रथम मूल रुप से न्यायालय में लेकर आया हूँ। वर्ष 1987 में अ.सं. 195/1987 चिक संख्या 140, धारा 302, 307 भा.दं.वि. वादिनी श्रीमती मधु राय पत्नी श्री रमेश कुमार राय निवासी भरलाई थाना शिवपुर वाराणसी अभियुक्तगण अवधेश राय ग्राम भरलाई थाना शिवपुर वाराणसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें आरोप पत्र दिनांक 17.02.1988 को प्रेषित किया गया। मूल रजिस्टर की प्रमाणित व हस्ताक्षरित फोटो प्रति आज न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा हूँ जिस पर **प्रदर्श ख 3** डाला गया।

35. बचाव पक्ष के साक्षी **डी0डब्लू0–4 हे0कां0 नन्हक सिंह** ने अभियोजन द्व ारा की गयी **जिरह** में कथन किया है कि न्यायालय द्वारा उक्त मुकदमें में क्या निर्णय हुआ, मै यह नहीं बता सकता हूँ।

36. बचाव पक्ष के साक्षी **डी0डब्लू0–5 हे0कां0 राजेश्वर पाण्डेय** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि थाना कैण्ट वाराणसी का ग्राम खजुरी का अपराध रजिस्टर संख्या 8 मूल रुप से न्यायालय में लेकर आया हूँ। वर्ष 1989 में अ.सं. 35/1989 चिक संख्या 304, अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा0दं0वि0 अभियुक्तगण अवेधश राय, अजय राय निवासी लहुराबीर व एक अन्य के विरुद्ध कायम हुआ था। जिसमें आरोप पत्र दिनांक 16.09.1989 को प्रेषित किया गया। एक अन्य मुकदमा अ. सं. 396/1989, धारा–147,323,336,307,504 भा0दं0वि0 अभियुक्त अवधेश राय पुत्र सुरेन्द्र नाथ राय व 9 अन्य के विरुद्ध दर्ज किया गया जिसमें आरोप पत्र 06.07.1990 को प्रेषित किया गया। मूल रजिस्टर की छाया प्रति अपने हस्ताक्षर में प्रमाणित करके दाखिल कर रहा हूँ, जिस पर **प्रदर्श ख 4** डाला गया।

37. बचाव पक्ष के साक्षी **डी0डब्लू0–5 हे0कां0 राजेश्वर पाण्डेय** ने अभियोजन द्वारा की गयी **जिरह** में कथन किया है कि इस मुकदमे में न्यायालय से क्या निर्णय हुआ, यह मै नहीं बता सकता हूँ।

38. बचाव पक्ष के साक्षी **डी0डब्लू0–6 हेड मोहर्रिर रणजीत यादव** ने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज मैं गोसवारा दुराचारी थाना चेतगंज वाराणसी का मूल रजिस्टर लेकर न्यायालय में आया हूँ। इसके पृष्ठ संख्या 15 पर हिस्ट्रीशीट

संख्या 32ए पर अवधेश राय पुत्र सुरेन्द्र नाथ राय निवासी महामण्डल नगर दर्ज है। जिनके बारे में किस जुर्म का आदि है, के कालम में गुण्डई करना ठेका लेकर जमीन पर कब्जा करना प्रतिरोध करने पर गोली मार देना अंकित है। इनके विरुद्ध 10 मुकदमों का विवरण इस पर अंकित है। इनकी मृत्यु दिनांक 03.08.1991 को होने के बाद हिस्ट्रीशीट नष्ट किए जाने का उल्लेख है। मूल रजिस्टर की फोटो प्रति अपने लेख व हस्ताक्षर प्रमाणित करके आज न्यायालय में दाखिल कर रहा हूँ जिस पर **प्रदर्श ख 5** डाला गया। थाना चेतगंज ग्राम अपराध रजिस्टर नम्बर 8 मुहल्ला सेनपुरा का मूल रजिस्टर लेकर आया हूँ। वर्ष 1980 में अ.सं. 440/1980 धारा–323,147,380 भा0दं0वि0 में अभियुक्त अवधेश राय व पाँच अन्य के विरुद्ध दर्ज हुआ था। मूल रजिस्टर की फोटो प्रति अपने हस्ताक्षर में प्रमाणित करके दाखिल कर रहा हूँ। जिस पर **प्रदर्श ख 6** डाला गया। वर्ष 2010 में अ.सं. 236/2010 धारा–143,149,353 आदि भा0दं0वि0 व 7 क्रिमिनल एमेन्डमेन्ट ला एक्ट अभियुक्त अजय राय पुत्र सुरेन्द्र राय निवासी सी 21/94 महामण्डल नगर थाना चेतगंज वाराणसी व चार अन्य के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था। इसमें आरोप पत्र दिनांक 12.10.2010 को प्रेषित किया गया। मूल रजिस्टर की छाया प्रति अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करके दाखिल कर रहा हूँ जिस पर **प्रदर्श ख 7** डाला गया। मूल रजिस्टर नम्बर 8 मुहल्ला धूपचण्डी थाना चेतगंज वाराणसी वर्ष 1989 को देखकर गवाह ने कहा कि अ.सं. 216/1989 धारा 307 वगै0 भा0दं0वि0 बम गोली चलाकर मजरुब करना वादी अनिल कुमार सिंह पुत्र श्रीनाथ सिंह अभियुक्त अवधेश राय व चार अन्य के विरुद्ध कायम हुआ था। जिसमें आरोप पत्र दिनांकित 11.11.1989 को प्रेषित किया गया। मूल रजिस्टर की छाया प्रति अपने हस्ताक्षर में प्रमाणित करके दाखिल कर रहा हूँ। जिसपर **प्रदर्श ख 8** डाला गया। मूल रजिस्टर नम्बर 8 मोहल्ला चेतगंज थाना चेतगंज का वर्ष 1985 के मूल रजिस्टर को देखकर गवाह ने कहा कि अ.सं. 125/1985 पर वादी राकेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा अवधेश राय व चार अन्य के विरुद्ध मुकदमा कायम कराया गया था। जिसमें आरोप पत्र 20.05.1985 को प्रेषित किया गया था। मूल रजिस्टर की छाया प्रति अपने हस्ताक्षर में आज प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसपर **प्रदर्श ख 9** डाला गया। मोहल्ला क्वींस कालेज लहुराबीर थाना चेतगंज का मूल रजिस्टर नंबर 8 को देखकर गवाह ने कहा कि अ. सं. 72/89 गुँडा एक्ट अभियुक्त अवधेश राय पुत्र सुरेन्द्र राय निवासी सी 21/94 महामण्डल नगर थाना चेतगंज वाराणसी के विरूद्ध दर्ज हुआ। मूल रजिस्टर की छाया प्रति अपने हस्ताक्षर में दाखिल कर रहा हूँ। जिस पर **प्रदर्श ख 10** डाला गया। मूल रजिस्टर में अ.सं. 210/13, धारा–394 वगै0 भा0दं0वि0 अभियुक्तगण अजय राय पुत्र सुरेन्द्र राय, विजय पुत्र रामराज पाण्डेय, कतवारु चौहान पुत्र लालजी चौहान सहित सात अन्य के विरुद्ध कायम हुआ था। मूल रजिस्टर से प्रमाणित करके

छाया प्रति आज न्यायालय में दाखिल कर रहा हूँ जिस पर **प्रदर्श ख 11** डाला गया है। मूल रजिस्टर में अजय राय अभियुक्त हिस्ट्रीशीट संख्या 1ए दर्ज है दूसरे पृष्ठ पर विवरण अंकित है जिस पर **प्रदर्श ख 12 व प्रदर्श ख 13** डाला गया।

39. बचाव पक्ष के साक्षी **डी0डब्लू0–6 हेड मोहर्रिर रणजीत यादव** ने अभियोजन द्वारा की गयी **जिरह** में कथन किया है कि आज मेरे द्वारा प्रस्तुत रजिस्टरों में जिन मुकदमों का विवरण बताया गया, उसमें न्यायालय द्वारा क्या निर्णय पारित किया गया, यह मै नहीं बता सकता।

40. <u>बचाव पक्ष के तर्क–</u>

बचाव पक्ष द्वारा निम्न तर्क प्रस्तुत किये गये।

1. अभियुक्त के दोषसिद्धि के पूर्व तक उसके निर्दोष होने की उपधारणा की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **'सरवन सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब' A.I.R. 1957 सुप्रीम कोर्ट पेज 637'** में पारित विधि व्यवस्था प्रस्तुत की जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा है कि It is no doubt a matter of regret that a faul & cold blooded murder should be unpunished. There may also be an element of truth in the prosecution story against the accused, considered as a whole prosecution story "May be true" but between "May be true" and "Must be true" There is inevitably a long distance to travel and the whole of this distance must be covered by the prosecution by legal reliable and unimpeachable evidence before a man can be convicted.

बचाव पक्ष के अनुसार इसके पश्चात् सन् 2003 में पुनः उच्चतम न्यायालय ने **'आशीष बाथम बनाम स्टेट आफ म० प्र० 2003 ए० सी० सी० पेज 16'** में अपने उपरोक्त व्यवस्था की पुनः पुष्टि करते हुए यह कहा है कि "Innocence of the alleged accused basic presumption the court must remember that there is long distance between "May be true" and "Must be true"

इस सम्बन्ध में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने **''कैलाश गौड़ बनाम स्टेट आफ आसाम (2012) सी०आर० पेज –84 (एस० सी०)''** के केस में कहा है कि "Accused is presumed to be innocent till he is proved guilty presumption of innocence has been recognized as a human right which can not be washed away."

पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय ने **"Devi Lal Vs. State of Rajasthan** A.I.R. 2019 S. C. (Cri.) page – 446" पैरा 16 में सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि इन दो शब्दो 'May be true' & "Must be true" के मध्य काफी फासला है।

इसी सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जयकम खान बनाम स्टेट ऑफ यू० पी०** 2022 (1) J.I.C. 289 में स्पष्ट व्यवस्था दी है कि मुकदमा साबित करना सबूत पक्ष की जिम्मेदारी है। मुल्जिम की जिम्मेदारी अपने आपको निर्दोष साबित करने की नहीं है। उसे मात्र यह दिखाना है कि सबूत पक्ष की कहानी में सन्देह है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि –

> Criminal trial – Is not like a fairy tale wherein one is free to give flight to one's imagination or Phantasy – In arriving at conclusion about the guilt of the accused, the Court has to Judge the evidence by the yardstick of probabilities, its intrinsic worth and the animus of witnesses. [Para 75]
>
> Burden to prove guilt – Burden lies on the prosecution to prove the allegations beyond reasonable doubt – Accused has only to create a doubt about the prosecution case and the probability of defence – An accused is not required to establish or prove his defence beyond reasonable doubt, unlike the prosecution. [Para 82]

इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन कथानक की सत्यता की जॉच किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया।

बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं से यह न्यायालय सादर सहमत है। वर्तमान प्रकरण में भी अभियोजन को अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करना है न कि सम्भावनाओं के आधार मात्र पर। अतः न्यायालय को उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में साक्ष्य का विश्लेषण करना है।

2. बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि वर्तमान मुकदमें में प्रार्थी/अभियुक्त मुख्तार अन्सारी को झूठा व राजनैतिक रंजिश के कारण गलत तरीके से फॅसाया गया है। प्रार्थी ने तथाकथित अपराध कारित नहीं किया है। वास्तव में मृतक अवधेश राय एक खूंखार अपराधी तथा हिस्ट्रीशीटर था और उसका समाज में आतंक व्याप्त था एवं उसके कई दुश्मनान थे, जिनसे उसकी रंजिश थी, मरने से पूर्व उन दुश्मनान ने मृतक के विरूद्ध कई मुकदमें दर्ज कराये थे। प्रार्थी से तो उसकी कोई मुकदमेंबाजी भी नहीं थी। न तो मृतक अवधेश राय ने प्रार्थी के खिलाफ कभी कोई मुकदमा कायम करवाया था, न ही प्रार्थी ने कभी अवधेश राय के ऊपर कभी कोई मुकदमा दर्ज कराया था। प्रार्थी का कोई Immediate Motive उक्त घटना को कारित करने का नहीं था।

3. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि घटनास्थल से थाना चेतगंज वाराणसी की दूरी मात्र एक फर्लांग के लगभग है। वादी ने अपनी तहरीर में भी लिखवाया है

कि ''थाना चेतगंज की पुलिस ने भी मुल्जिमानों का पीछा किया। जिसका इन्द्राज जी० डी० में उसका होना चाहिये, वहीं Original version माना जायेगा तथा वही थाने में प्रथम सूचना मानी जायेगी। सबूत पक्ष द्वारा पुलिस वालों द्वारा मुल्जिमानों का पीछा करके थाना चेतगंज लौटकर दी गयी सूचना जो Original version थी उसे Supress किया गया है तथा उस तथ्य को सबूत पक्ष द्वारा दबाया गया है। उस बात को भी दबाया गया, जिस सूचना पर पुलिस वालों द्वारा मौके पर पहुॅच कर अभियुक्तों का पीछा किया। दिनॉक 03–08–1991 को कायमी मुकदमा के पूर्व इस घटना के सम्बन्ध में जनरल डायरी में किसी भी प्रकार की कोई सूचना दर्ज नहीं है। अभियोजन द्वारा पूर्व में मिलने वाली सूचनाओं को दबाने का कोई कारण भी नहीं दर्शाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है कि घटना के पश्चात मौके पर बुलेट से कुछ पुलिस कर्मियों के पहुॅचने का कथन किया गया है तथा उनके द्वारा अभियुक्तगण का पीछा किये जाने का भी साक्ष्य दिया गया परन्तु उन पुलिस कर्मियों का नाम किसी भी साक्षी द्वारा नही बताया गया। स्वाभाविक रूप से प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में वादी व अन्य का ध्यान सर्वप्रथम घायल का इलाज कराने पर होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में एफ0आई0आर0 घटना के मात्र 1 घण्टे 10 मिनट बाद वादी द्वारा दर्ज करा दी गयी। सामान्यतया पुलिस द्वारा प्रथमतः वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर भी एफ0आई0आर0 दर्ज की जाती है, जब तक कि तहरीर प्राप्त करने की सम्भावना क्षीण न हो। ऐसी दशा में बचाव पक्ष का यह तर्क बलहीन प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा मूल घटना को दबाया गया।

4. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बाद में राय मशविरा से तैयार करने का प्रयास उस समय की अन्य परिस्थितियों और तहरीर पढ़ने से साबित हो रहा है। वादी व अन्य चश्मदीद गवाहान मौके पर थे ही नहीं। यह इस बात से प्रमाणित हो रहा है कि तहरीर में वादी ने कहा है कि ''मुल्जिमानों ने अपने–अपने हाथों में लिये असलहों से मेरे भाई अवधेश राय के ऊपर फायर किया''। वादी द्वारा मुल्जिमानों के हाथ में लिये असलहों का विवरण नहीं दिया गया है कि किस मुल्जिम के पास कौन–कौन से असलहा था, बचाव पक्ष का कहना है कि क्योंकि वादी व चश्मदीद मौके पर थे ही नहीं,, उन्हें मालूम था कि पोस्टमार्टम होने के बाद ही निश्चित हो पायेगा कि किस असलहे से गोली चली थी और यदि वादी व चश्मदीद गवाह मृतक अवधेश राय के साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे, तब यदि सभी हमलावर मारूति से उतरकर फायरिंग करते तो वादी व चश्मदीद गवाहों को भी गोलियां अवश्य लगती, जबकि ऐसा नहीं हुआ, न तो वादी को और न ही किसी चश्मदीद को हमलावरों द्वारा की गयी फायरिंग से कोई गोली लगी। इससे साबित

होता है कि न तो वादी और न ही चश्मदीद मौके पर था। वादी का यह कहना कि उसने भी अपनी रिवाल्वर से हमलावरों पर फायरिंग किया, लेकिन किसी हमलावर को गोली नहीं लगी बल्कि मारूति वैन में गोली लगी। यह बात वादी द्वारा राय मशविरा करके मौके पर अपनी मौजूदगी साबित करने के लिये बाद में गढ़ी गयी है। घटना के समय वादी के पास लाइसेंसी रिवाल्वर थी, इसलिए वह पिस्तौल, रिवाल्वर, बन्दूक व रायफल के विषय में पूर्ण जानकार था। इसके बावजूद किसी असलहा का नाम दर्ज न करना यह स्पष्ट करता है कि उस समय तक किसी को यह जानकारी नहीं थी कि गोली किस असलहा से चलाई गई थी।

अभियोजन साक्ष्य के अनुसार मौके पर अभियुक्तगण द्वारा हत्या कारित करके भागने की घटना मात्र कुछ मिनटों में सम्पन्न हो गयी। अभियुक्तगण द्वारा की जा रही फायरिंग के दौरान स्वाभाविक रूप से चक्षुदर्शी साक्षियों का पहला प्रयास स्वयं को सुरक्षित करना होता है। ऐसी दशा में किस अभियुक्त के हाथ में कौन सा हथियार विशेष था, इसके सटीक विवरण के अपेक्षा चक्षुदर्शी साक्षी से नही की जा सकती। वादी द्वारा अपने बयान में अभियुक्तगण द्वारा पिस्टल व रिवाल्वर से मृतक अवधेश राय पर फायर करना बताया है। चिकित्सक साक्षी एस0 के0 त्रिपाठी पी0डब्लू0–5 द्वारा अपने बयान में यह कहा है कि उसकी राय में मृतक को आयी सभी चोटें एक ही अस्त्र आयी है या एक ही प्रकार के अस्त्र से आयी है। मृतक के शरीर से पोस्ट मार्टम के पश्चात डीफार्म्ड मैटेलिक बुलेट भी निकाला गया। फर्द घ ाटनास्थल से बरामद 9 एम0एम0 गोलियों के बाबत फर्द प्रदर्श क–7 से भी अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है।

5. अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया कि **F.I.R. Antitimed** इस बात से साबित होती है कि उपरोक्त मुकदमें में एफ० आई० आर० यदि दिनॉक 03–08–1991 को 14:10 बजे दर्ज हो गयी थी, तब पंचायतनामा भरते समय प्रपत्र में एफ० आई० आर० का विवरण लिखा जाता। एक ही लाइन में लिखा जाता, लिखावट ऊपर–नीचे न की गई होती। पंचायतनामा में राय पंचान में किसी भी पंच ने मुल्जिमान का नाम नहीं लिया। पंचायतनामा व सम्बन्धित प्रपत्रों फोटो नाश, चालान नाश व फर्दो पर सरकार बनाम (किसी अभियुक्त का नाम) अंकित नहीं है। साक्षी सं० 3 विवेचक ने भी माननीय न्यायालय में जिरह में बताया है कि प्रदर्श क–2 पर सरकार बनाम किसी मुल्जिम का नाम अंकित नहीं है और न ही किसी मुल्जिम का नाम इस पर है। जिरह में साक्षी सं० 3 ने यह भी कहा है कि पंचायतनामा प्रदर्श क–2 में चिक एफ० आई० आर० और कायमी मुकदमा की जी० डी० संलग्नक नहीं है। पंचायतनामा की कार्यवाही शाम 16:30 बजे तक हुयी। शाम 16:30 बजे तक चिक एफ० आई० आर० और कायमी मुकदमा की जी० डी० क्यों संलग्न नहीं की गयी है। इसका कारण नहीं बता सकता। आगे जिरह में साक्षी सं० 3 ने यह भी कहा है कि

''हो सकता है कि पंचायतनामा की कार्यवाही पूरी होने तक चिक एफ० आई० आर० और जी० डी० तैयार न हो और मुल्जिमान का नाम न पता हो, इसलिये पंचायतनामा सहित उक्त प्रपत्रों पर राज्य प्रति मुल्जिमान का नाम अंकित नहीं है। पंचायतनामा पुलिस प्रपत्रों में किसी में भी राज्य प्रति मुल्जिमान का नाम अंकित न होना स्पष्ट रूप से सिद्ध कर रहा है कि पंचायतनामा की कार्यवाही पूरी होने तक चिक एफ० आई० आर० और जी० डी० तैयार नहीं थी और मुल्जिमान का नाम भी तय न किया गया हो, इसलिये पंचायतनामा सहित उक्त प्रपत्रों पर राज्य प्रति मुल्जिमान का नाम अंकित नहीं है। पंचायतनामा पुलिस प्रपत्रों में किसी में भी राज्य प्रति मुल्जिमान का नाम अंकित न होना स्पष्ट रूप से सिद्ध कर रहा है कि पंचायतनामा की कार्यवाही पूरी होने तक चिक एफ० आई० आर० और जी० डी० तैयार नहीं थी और मुल्जिमान का नाम भी तय न किया गया हो, इसलिये पंचायतनामा सहित उक्त प्रपत्रों पर राज्य प्रति मुल्जिमान का नाम अंकित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **''थानेदार सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम० पी०** 2002 (1) J.I.C. 68 (S.C.) के केस में कहा है कि "No mention of F.I.R. either in inquest report or site plan- conviction not sustainable" इस स्तर पर साक्षी सं० 3 द्वारा माननीय न्यायालय में कही गई बातों से साबित होता है कि सबूत पक्ष का सम्पूर्ण कथन सफेद झूठ के अलावा और कुछ नहीं है।

6. बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि एफ० आई० आर० सबूत पक्ष द्वारा कहे गये समय पर दर्ज न होकर बहुत बाद में राय मशविरे से तैयार की गयी है, इस सम्बन्ध में **रामदौर पाठक बनाम राज्य** 1983 L. Cr. R. 15 के केस में कहा है कि Sec. 154 - F.I.R. Credibility of, Shakan, effect- once the F.I.R. becomes suspicious it is difficult to belive the prosecution case. (Para 14)

ब्रिजेन्द्र व रामबाबू बनाम स्टेट 1993 U. P. Cr. R. Page 209 इस केस में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि – F.I.R. – being ante timed the entire structure of prosecution case stand on murky foundation and no sancity – can be attached to statements of prosecution witnesses – Prosecution failed to prove its case against all accused – Appeal allowed.

7. बचाव पक्ष का एक अन्य तर्क यह है कि धारा 157 सी०आर०पी०सी० के अनुसार पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की यह ड्यूटी है कि जैसे ही थाने पर किसी संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज हो अविलम्ब इस एफ० आई० आर० की कापी सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को बिना कोई समय गॅवाये तुरन्त प्राप्त करवानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में यह भी नियम है कि यह एफ० आई० आर० पुलिस के उच्च अधिकारी सी० ओ० (डिप्टी एस० पी०) के माध्यम से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के यहॉ भेजी जाए। वर्तमान

मुकदमें में भी एफ० आई० आर० पर सी० ओ० के हस्ताक्षर पर 05–08–1991 की तारीख अंकित की गयी। इस प्रकार इस मुकदमें में यह साबित होता है पुलिस ने धारा 157 सी०आर०पी०सी० के प्राविधानों का खुला उल्लंघन किया है। तथाकथित घटना की रिपोर्ट दिनॉक 03–08–1991 समय 14:10 बजे दर्ज होना कहा है, और F.I.R., C.O. आफिस में ही 2 दिन बाद दिनॉक 05–08–1991 को पहुॅचती है। तब सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के यहॉ कैसे घटना की 24 घण्टे में पहुॅचेगी। न्यायालय में दाखिल चिक रिपोर्ट पर भी वादी के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है।

8. बचाव पक्ष का यह भी कथन है कि उपरोक्त मुकदमें में सबसे महत्वपूर्ण बात तथाकथित घटना के समय को लेकर है। वादी का कहना है कि घटना दिनॉक 03–08–1991 को करीब 01:00 बजे दिन की है, जबकि इसके विपरीत साक्षी सं० 3 विवेचक उदयभान सिंह ने माननीय न्यायालय में दिये गये दिनॉक 30–09–2022 के बयान/जिरह के पेज 2 में कहा है कि ''इस घटना की पहली सूचना मुझे थाना –चेतगंज के आवास पर मिली थी, बारिश हो रही थी। बारिश कम या ज्यादा हो रही थी, याद नहीं। लगभग 10:00 बजे दिन में मुझे इस घटना की सूचना मिली थी। मैंने 10:00 बजे दिन में सिपाही को नहीं भेजा, खुद दौड़ के गये, पहले सिपाही चले गये थे फिर सिपाही ने सूचना दी, तब मौके पर गया।'' ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का कहना है कि मुकदमा उपरोक्त में घटित तथाकथित घटना के समय वादी व साक्षी सं० 2 मौके पर थे ही नहीं, बाद में वादी मुकदमा को जब घटना की जानकारी हुयी, तब वह भाग कर अस्पताल गया और फिर कानूनी सलाह मशविरा से घटना का समय भी बदल दिया। पंचायतनामा होते समय तक यह तय नहीं हो पाया था कि किसको –किसको को मुल्जिम बनाया जाएगा। इसी कारणवश साक्षी सं० 2 पंचायतनामें के समय किसी मुल्जिमान का नाम नहीं बताया था। इस स्तर पर बचाव पक्ष का कहना है कि वास्तव में पंचायतनामा की कार्यवाही पूरी होने तक एफ० आई० आर० अपने वजूद में नहीं थी।

9. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि वादी मुकदमा घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार 6 व्यक्तियों को जिस छोटी मारूती वैन से उतरकर आने एवं सबके द्वारा अन्धाधुन्ध गोलियां चलाई चली गई या होती तो उस स्थिति में अजय राय व विजय पाण्डेय का बचना नामुमकिन था, यही नहीं यदि अवधेश राय के पास कोई भी व्यक्ति होता तो इस दशा में उसको भी चोट अवश्य लगी होती। वर्तमान मुकदमें में अब सूबत पक्ष का यह भी कथन है कि मुल्जिमान जिस मारूती वैन से आये थे, उसी मारूती वैन से गोलियॉ चलाने के बाद पुनः वापस भागे थे। वह वैन 100/150 मीटर दूर जाकर जब एक पोल से टकरा गयी तो मुल्जिमान गाड़ी छोड़कर पैदल ही भाग निकले।

सबूत पक्ष के अनुसार वह गाड़ी बिल्कुल चालू हालत में थी। चालू हालत वाली गाड़ी से उतरकर पैदल भागने की कहानी बिल्कुल ही झूठी प्रतीत हो रही है।

10. बचाव पक्ष का अगला तर्क यह है कि यह कहा जाता है कि घटनास्थल वाली जगह की रोड बहुत चालू हालत में रहती है और ऐसी जगह भीड़भाड़ वाले इलाके में पैदल भागना हास्याप्रद प्रतीत होता है। वादी द्वारा दर्ज कराई गई F.I.R. में भी इस बात का जिक्र है कि पुलिस वालों ने भी मुल्जिमान का पीछा किया था, उन पुलिस वालों का न तो नाम लिया गया, न उनकी गवाही करवाई गई, इस सन्दर्भ में यह कहना अनुचित न होगा कि मुकदमें के विवेचक ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि घटना 10:00 बजे दिन की है और मैं तुरन्त घटनास्थल पर पहुॅचा।

11. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि ने स्वयं द्वारा मुल्जिमान का पीछा करने की बात प्रारम्भ में कहीं नहीं कही। F.I.R. और बयान अन्तर्गत धारा 161 Cr.P.C. की स्टेज तक वादी मुकदमा का यह केस था कि घटना के समय ही वादी ने बचाव में अपनी निजी लाइसेंसी पिस्तौल से फायर किया, जो मारूती वैन में लगी है, बदमाश गाड़ी छोड़कर भाग गये, उसी समय थाना चेतगंज की पुलिस ने भी मुल्जिमानों का पीछा किया, वादी अपने भाई को वहॉ मौजूद लोगों की मदद से उसी मारूती वैन से कबीर चौरा अस्पताल ले गये। वादी का यह कथन स्पष्ट करता है कि मुल्जिमान द्वारा उसी वैन से भागने व वैन का खम्भे से टकराने वाली कहानी बिल्कुल झूठी है। वादी द्वारा दिनॉक 12–10–2022 की जिरह के पेज –2 में यह भी बताया गया कि घटना के पहले वह मृतक व गवाहान के साथ कहीं गया था। वहॉ से लौट कर आया और उसकी चार पहिया गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। दिनॉक 12–10–2022 की जिरह के पेज –3 में वादी के कथनानुसार साक्षी सं० 2 भी वादी के साथ गया था और साथ ही साथ वापस आया था। इसके विपरीत साक्षी सं० 2 का दिनॉक 06–07–2022 की जिरह में यह कथन कि वह जब मौके पर गया तब मृतक व वादी उसे गेट के बाहर मिले थे, वहीं खडा होकर 10–15 मिनट पहले से वह मृतक से बात कर रहा था और उस बातचीत से वादी वगैरह को कोई मतलब नहीं था। इस बिन्दु पर दोनों गवाहों का कथन विरोधाभाषी है।

12. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अजय राय के कथनानुसार उसने अवधेश राय को दूसरों की मदद से गाड़ी पर लादा, लेकिन उसके किसी के कपड़े पर खून का दाग नहीं दिखाई पड़ा जबकि इसी साक्षी का यह कहना है कि लादते समय काफी खून बह रहा था और अवधेश राय के कपड़े खून से भीगे थे। उपरोक्त मुकदमें में विवेचक ने नक्शा नजरी में मौके में खून मिलने के स्थान का कोई जिक्र नहीं किया है, इससे साबित होता है कि जहॉ अभियोजन घटना होना कह रहा है, वहॉ घटना कारित नहीं हुयी है, बल्कि मारूति वैन के अन्दर घटना कारित हुयी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने

"बीर सिंह बनाम उ० प्र० 1977 S.C. Cr. R. Page 371" के पैरा 18 व 19 में कहा है कि "there is absolutely no evidence to show that there was any blood at the place where P. W. 2 fell down. P. W. -2 का स्वयं कथन है कि मैं यह नहीं बता सकता कि मौके पर खून गिरा या नहीं। विवेचक द्वारा तथाकथित घ टनास्थल से लिया हुआ खून जो expert के यहॉ भेजा गया था, उसमें भी मानव रक्त होने की बात नहीं कही गयी, जमीन वाले खून का मृतक के कपड़ों पर पाये गये खून से कोई मिलान भी नहीं हो पाया।

13. यह भी तर्क दिया गया कि सारे मुल्जिमान मारूति वैन के दरवाजे से निकल कर अपने–अपने हाथों में नंगी पिस्तौल व रिवाल्वर लिये आगे बढ़ते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इन लोगों के तीनों तरफ मुल्जिमान बहुत ही नजदीक में आकर गोलियां चलाते हैं, ऐसी दशा में क्या साक्षी सं० 1 व 2 यदि वह मौके पर होते किसी भी दशा में बच नहीं सकते थे।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने "**विद्या सिंह बनाम स्टेट आफ म० प्र०** 1971 C.A.R. पेज –296 में कहा है कि "Probabilities - courts have to relay on human probabilities than the assertion's of the witnesses.

गवाहान कहते हैं कि उनके कपड़ों पर मृतक को उठाकर अस्पताल ले जाने पर खून नहीं लगा। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **"स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम तरन सिंह"** 2003 (2) Supreme (Cr.) Page -748 के पैरा 9 से 10 में कहा है कि "P.W. 1 and P. W. 2 who claimed to have accompanied deceased were eye witnesses and trail court convicted appellant's – High Court set aside conviction holding presence of P.W. -1 and P.W. -2 was doubtful and that defence version in the case was more probaliti –state appeal – witnesses claimed to have lifted deceased after attackbut no blood stained clothes of witnesses were seized by police.

14. बचाव पक्ष का एक तर्क यह भी है कि वर्तमान मुकदमें में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आखिर मुख्तार अन्सारी की अवधेश राय से क्या दुश्मनी थी और हत्या के पीछे कौन सा Motive था। वादी का Conduct भी यह बता रहा है कि वह शुद्ध रूप से अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वादी का स्वयं में एक लम्बा अपराधिक इतिहास है। जिसमें गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट तथा N.S.A. तथा हत्या के मुकदमें दर्ज है।

राम आसरे पाण्डेय बनाम बिहार' Cr.L.R. (S.C.) 1976 Page 414" पर स्पष्ट कथन है कि "eye witnesses contradict each others strongly held discripenceies – held vital.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **"महेन्द्र सिंह आदि बनाम स्टेट ऑफ एम० पी०** 2021 में भी कहा है कि wholly unreliable के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से वर्णन किया है।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने **भगवत बनाम स्टेट** 2023 (122) ACC 124 के केस में कहा है कि– "Material contradiction in testimony of Prosecution witnesses – creates serious doubt in mind of Court about truthfulness of witness– Material contradiction in evidence of witnesses of fact – Renders theory of prosecution doubtful.

15. बचाव पक्ष की ओर से यह भी कथन किया गया कि उपरोक्त मुकदमें में अपने आपको तथाकथित चश्मदीद साक्षी कहने वाले साक्षी सं० 2 विजय कुमार पाण्डेय का बयान विवेचक द्वारा घटना के लगभग दो महीने (एक महीना 26 दिन बाद) बाद दर्ज किया जाता हे, जबकि सा़क्षी सं० 2 पंचायतनामा का भी गवाह है दिनॉक 17–09–1991 को भी विवेचक साक्षी सं० 2 का बयान लिखता है तब तक यह गवाह चश्मदीद नहीं बनता है तथा प्रदर्श –5 फर्द लेने सादी मिट्टी व प्रदर्श क–6 पर भी उसके हस्ताक्षर हैं।

स्टेट आफ राजस्थान बनाम तेजा सिंह आदि 2011 SCC (Cr.) पेज 439 – इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देर से बयान दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में कहा गया है कि "Evidence of another eye witness became suspect because of the fact that though he was available in her village, his evidence was recorded only after 5 days of the crime for which the explanation given by the investigating officer was not satisfactory."

जगदीश मुराव बनाम स्टेट आफ यू० पी० 2006 (II) C.A.R. (S.C.) पेज 842 – इस केस में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 11 में स्पष्ट रूप से कहा है कि गवाह का बयान देर से लिखने और गवाह के बयन का जिक्र जी० डी० में न करने से यह साबित होता है कि गवाह का बयान फर्जी तरीके से लिखा गया है।

सोहन सिंह बनाम उत्तरान्चल 2006 (I) J.I.C. 656 (S.C.) के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3 घायल गवाहों के बयानात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि विवेचक ने एक घायल गवाह जिसे एक सप्ताह बाद होश आया था उसका बयान 9 दिन बाद लिया था, दूसरे घायल गवाह जिसे 3 दिन बाद होश आया था, उसकी गवाही 20 दिन बाद ली गयी तथा तीसरा गवाह जिसका बयान होश आने के एक माह बाद लिया था और इस देरी का काई भी स्पष्टीकरण विवेचक द्वारा नहीं दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **''नत्थू सिंह बनाम उ० प्र०** 2023 (1) J.I.C. 679 (S.C.) के केस में कहा है कि– There remain only testimony of P.W. -3 whose statement recorded after two months.

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **"Manthuri Laxmi Noora Saiah Vs. State of A. P.** 2012 Cr.L.J. ist 2172 के केस में कहा है कि Improvement made during course of evidence –Evidence would not be of any value."

रोहतास बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2012 A.C.C. पेज 133 – इस केस में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि "Major improvement in prosecution case ……. Banefit of doubt given to the appellant – Impuned judgment and order of the High Court set aside.

माननीय उच्च न्यायालय ने **अजीत सिंह बनाम स्टेट** 2023 (122) A.C.C. 574 के केस के पैरा 40, 41ए 49 में कहा है कि "Statement of victim recorded U/s 164 Cr.P.C. and in the statement given before the Court below, there is improvement – such development or improvement in the statement of the victim amounts to major improvement, which renders the testimony of P.W. - /victim irreliable."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सतपाल बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनल रिपोर्टर** (SC) 1975 पेज 597 में यह कहा है कि यह सत्य है कि एक नियम यह नहीं बनाया जा सकता कि हितबद्ध गवाह अविश्वसनीय ही माना जाय, परन्तु जहॉ इस प्रकार के गवाहों जिनका नैतिक आचरण सही न हो और उनका कलंकित क्रियाकलाप रहा हो, तो ऐसे गवाहों पर विश्वस करना खतरनाक होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **''बद्री बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान** 1975 सी० एल० आर (SC) पेज 678 पर यह व्यवस्था दी है कि वह गवाह जो सबूत पक्ष की कहानी को बल देने के लिये अपने बयान में परिवर्तन करता हो तो ऐसे गवाहों को विश्वसनीय गवाह नहीं कहा जा सकता है और उसकी गवाही पर किसी को दण्डित भी नहीं किया जा सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय ने **विनोद कुमार बनाम उ० प्र० राज्य** 1985 A.C.R.J. page 40 में कहा है कि Criminal Trial –Evidence –witness taking samersault every now and than in the matter of his statement – such a witness is highly unreliable.

16. बचाव पक्ष का यह कथन है कि वास्तव में अवधेश राय की दुश्मनी वाराणसी के डिप्टी मेयर अनिल सिंह से थी। उसकी दस्तावेजी साक्ष्य एफ० आई० आर० के तौर पर दर्ज है। जो बचाव पक्ष द्वारा दाखिल की गई है।

17. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान मुकदमें में चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष की कहानी को पूरी तरह से झूठा साबित कर रही है। उपरोक्त

मुकदमें का वादी अजय राय अपने भाई अवधेश राय की हत्या कारित करने का समय 01:00 बजे दिन का बता रहा है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज कराया है। वह चिकित्सीय साक्ष्य तथा अभियोजन साक्षी सं० 3 विवेचक उदयभान सिंह की साक्ष्य से गलत साबित होता है। गवाह विवेचक ने दिनॉक 30–09–2022 को बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह के पेज–2 में कहा है कि घटना 10:00 बजे दिन की है, लगभग 10:00 बजे दिन में मुझे इस घटना की सूचना मिली। मैंने दस बजे दिन में सिपाही को नहीं भेजा, खुद दौड़ के गये, पहले सिपाही चले गये थे, फिर सिपाही ने सूचना दी, तब मोके पर गया। जब मैं मौके पर पहुॅचा तो मैंने वहॉ पर किसी को नहीं देखा।

अभियोजन पक्ष के साक्षी सं० 3 विवेचक उदयभान सिंह का घटना घटित होने के समय सुबह 10:00 होने का समर्थन चिकित्सकीय साक्ष्य से भी मेल खाता है, मृतक अवधेश राय का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर एस० के० त्रिपाठी ने साक्षी सं० 5 के रूप में पेश होकर माननीय न्यायालय में कहा है कि मृतक के आमाशय में 100 मिली० पचा हुआ भोजन था। छोटी आंत में पचा भोजन व गैस थी। बड़ी आंत में मल व गैस थी। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उ० प्र० राज्य बनाम अशोक कुमार** 1979 C.A.R. 139 (S.C.) page 139 में कहा है कि Medical evidence – Doctor's evidence that deceased stomach was empty falsifies P.W. 1 that the deceased took meal of an hour before murder.

जंगी आदि बनाम स्टेट उ० प्र० 1997 A.C.R. J. page 41 में कहा है कि "Be it noted during post-mortem examination doctor found stomach of both the deceased empty. Both the deceased's colons were filled up with faecal matters. This as pect suggests that the victims were possibly murdered during late hour's of the previous night or in the early hours of that day.

18. बचाव पक्ष ने एक अन्य तर्क यह प्रस्तुत किया कि चिकित्सीय साक्ष्य में मृतक के शरीर पर फायर आर्म्स की कुल तीन चोटें पायी गयी हैं, जबकि एफ० आई० आर० में फायरिंग करने वाले छः व्यक्ति दिखाये गये हैं। विवेचक द्वारा मौके से भी 9 एम० एम० के कुल 4 कारतूस बरामद होना दिखाया गया है। यह कैसे सम्भव है कि छः व्यक्ति विभिन्न दिशाओं से फायरिंग करें और मृतक अवधेश राय के शरीर पर केवल बांयी तरफ फायर आर्म्स की कुल तीन चोटें लगे और अगल–बगल खड़े तथाकथित चश्मदीद गवाहों को कोई चोट न पहुॅचे। यदि फायरिंग करने वाले छः व्यक्ति होते तो मौके से और भी खोखा कारतूस बरामद होता।

चिकित्सकीय साक्ष्य से यह भी साबित होता है कि हमलावर द्वारा की गयी फायरिंग नजदीक से नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर Blackening Charing व Tatueing मौजूद नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मोती बनाम उ० प्र०** 2003 (1) Supreme Court (cr) 620 के केस में कहा है कि where time of death being a material factor to verify the presence of eye witnesses if was obligatory for prosecution to have clarified the discrepancy between medical evidence and the oral evidence on that point.

माननीय उच्च न्यायालय ने **फिदा हुसैन बनाम उ० प्र० राज्य** 2023 (1) J.I.C. के पेज 17 में कहा है कि "Evidence Act 1872 Section oral and Medical evidence – conflict between –Generally ocular evidence shall Prevail over medical evidence– If medical evidence is true and correct and oral evidence not inspire confidence and corroborate medical evidence – Hence presence of witness to be deemed doubtful.

19. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि घटना के वक्त अभियुक्त घटना स्थल से बहुत दूर अपने घर पर अपने वृद्ध की तीमारदारी में व्यस्त था। इस तथ्य (plea of alibi) को बचाव साक्षीगण ने साबित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राम सिंह आदि** 2002 C.A.R. ist 105 में यह व्यवस्था दी है कि सफाई साक्ष्य व सबूत पक्ष के साक्ष्य को समान रूप से देखना चाहिये, यह नहीं कहा जाना चाहिये कि सफाई के गवाह कि वह कीमत नहीं होती जो सबूत पक्ष के गवाह की होती है। इसलिये बचाव पक्ष के सफाई में दिये गये बयानात को भी अविश्वसनीय बताने के लिये कोई ठोस आधार उसी प्रकार का होना चाहिये, जिस प्रकार सबूत पक्ष के साक्ष्य को अविश्वसनीय कहने के लिये होता है। माननीय उच्च न्यायालय ने **प्रेमपाल सिंह बनाम राज्य** 2017 (1) J.I.C. PAGE 104 के केस में कहा है कि Defence witness – Evidentiary value - witness of both sides, Prosecution and defence have to be appraised on the touchstone of credibility and truthfulness – testimony of defence witness has to be evaluated in the same manner as that of prosecution witness – same yardstick has to be applied.

20. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि घटना के सम्बन्ध में परीक्षित दोनों अभियोजन साक्षियों के बयानो में गम्भीर विरोधाभाष है। जहॉ एक तरफ वादी ने पॉच व एक अज्ञात कुल छः अभियुक्तगण का शामिल होना बताया है, वही पी0डब्लू0–2 विजय पाण्डेय ने चार व एक अज्ञात कुल पॉच अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करना बताया है। इसी प्रकार जहॉ पी0डब्लू0–2 ने पोल से टकराकर वैन रूकने का कथन किया है, तो वादी अजय राय ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है। वादी के कथनानुसार वह गली में नही छिपा था, जबकि पी0डब्लू0–2 के अनुसार घटना के दौरान उसने वादी को भी गली में छिपते देखा है। अतः दोनों गवाहों के बयानों में

दृष्टिगत गम्भीर विरोधाभाषों के कारण अभियोजन कथानक संदेहास्तपद हो जाता है। अतः उपरोक्त आधारों पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित नही किया जा सका है, एतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

41. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा वादी अधिवक्ता द्वारा बचाव पक्ष प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों का विरोध किया गया तथा निम्न तर्क प्रस्तुत किये गये।

अभियोजन/वादी पक्ष का तर्क–

1. बचाव पक्ष द्वारा अपनी मौखिक बहस में यह तर्क की मृतक को अपराधी के कार से अस्पताल ले जाना अपवाद है, के संबंध में अभियोजन का तर्क यह है कि चूँकि घटना उपरोक्त अप्रत्याशित ढ़ंग से घटित हुई थी तथा घटना में घायल अवधेष राय को उनकी प्राण रक्षा हेतु त्वरित रूप से चिकित्सा की आवश्यकता थी इसलिए आनन–फानन में अभियुक्तों द्वारा घटना में प्रयुक्त मारूती वैन जिसमें अभियुक्तगण चाभी लगी छोड़ गये थे, से वादी मुकदमा अजय राय जो खुद गाड़ी चलाना जानते थे, अस्पताल ले जाया गया, जो बिल्कुल स्वाभाविक व तत्समय की परिस्थितियों के बिल्कुल अनुकूल था।

2. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि मृतक मारूति कार में बैठे थे, उसी में ही उन्हें गोली मारी गयी, सरीही गलत है, वास्तविकता यह है कि अभियुक्तगण मारूति वैन में सवार होकर आये तथा घर के बाहर अन्य लोगों के साथ खड़े अवधेष राय पर फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया गया, इस बात की पुष्टि व समर्थन वादी द्वारा दर्ज प्रदर्श क–1 व पी.डब्ल्यू.–1 वादी व पी.डब्ल्यू.–2 विजय पाण्डेय के सशपथ साक्ष्य से बखूबी होती है।

3. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि पंचायतनामा होने तक एफ0आई0आर0 तैयार नहीं थी सरीही गलत व अभियोजन प्रपत्रों के सर्वथा विरूद्व है सत्यता यह है कि एफ0आई0आर0 दर्ज होने के उपरान्त पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी तथा पंचायतनामा के मुख्य पृष्ठ पर सबसे उपर मुकदमा अपराध संख्या व धारा व अन्य सभी विवरण सम्बन्धित कालम में अंकित है जो पंचायतनामा प्रदर्श क–2 के देखने से पूर्णतया स्पष्ट है।

4. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि पंचायतनामा के साथ सम्बन्धित संलग्नकों का विवरण अंकित नहीं है के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि तत्समय पंचायतनामा करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा सहबन उन संलग्नकों का अंकन करना छूट गया, संलग्नकों का अंकन न होने से अभियोजन के केस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

5. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि पंचो में अजय राय नही है के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि पंचायतनामा के समय अजय राय अन्य पंचो के साथ उपस्थित थे लेकिन पंचायतनामा करने वाले पुलिस अधिकरी द्वारा उपस्थित लोगों में पांच लोगों का पंच बनाया तथा उन्ही के दस्तखत

कराये गये चूँकि अजय राय को पंच नही बनाया गया था इसलिए अजय राय द्वारा बतौर पंच पंचायतनामें पर अपने दस्तखत नही किये गये, तथा पंचायतनामा में वादी मुकदमा को पंच बनाये जाने की कोई विधिक आवश्यकता भी नहीं है।

6. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क की मारूति बैन से 6 आदमी नही आ सकते, सरीही गलत है सत्यता यह कि तत्समय वर्श 1991 में मारूति कम्पनी द्वारा जो मारूति वैन बनायी गयी थी उसमें ड्राईवर के सीट के अलावा आगे ड्राईवर के पीछे एक लम्बी सीट जिस पर तीन आदमी तथा उस लम्बी सीट के सामने वैसी ही लम्बी सीट जिसपर भी तीन आदमी बैठ सकते थे का प्रयोग अभियुक्तों द्वारा किया गया जिसमें 6 नही बल्कि ड्राईवर सहित 7 लोग बैठ सकते थे।

7. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि प्रदर्श क–3 पर पक्षकारों के नाम नही है के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि फर्द प्रदर्श क–3 में आवश्यक तत्व मुकदमा अपराध संख्या व धाराओं का पूर्ण विवरण अंकित है, पक्षकारों के नाम न होने पर अभियोजन के केस पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ सकता है।

8. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि मारूती वैन को घटना स्थल से क्यों हटाया गया, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि तत्समय जो अप्रत्याशित परिस्थितियॉ घटना होने के उपरान्त बनी थी, उन परिस्थितियों में मारूति वैन को घटना स्थल से हटाये जाने का कोई दुराशय नहीं, बल्कि घायल की प्राण रक्षा हेतु तुरन्त चिकित्सालय में जाने के स्वाभाविक आशय से उक्त मारूति वैन का प्रयोग घायल को अस्पताल ले जाने में किया गया तत्पश्चात् उक्त मारूति वैन को अस्पताल से पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लेकर थाना चेतगंज ले जाया गया है।

9. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि ''तीनों प्रवेश घाव 3/4 से0मी0 के थे जो एक ही हथियार अथवा एक ही प्रकार के असलहे से आये थे के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि घटना में चूँकि आग्नेयास्त्र का प्रयोग हुआ है जिनके रिवाल्वर व पिस्टल शामिल है, और मृतक के शरीर पर जो आग्नेयास्त्र के प्रवेश घाव पाये गये हैं वह आग्नेयास्त्र से ही आये हैं, जैसा कि अभियोजन पक्ष का कथन है।

10. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि वादी के फायरशुदा असलहे की जॉच नहीं करायी न बरामद किया गया के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि किसी अपराध में अभियुक्तों द्वारा प्रयुक्त असलहो की जॉच आवश्यक है, जिससे उक्त अपराध में अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त असलहे का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित हो सके, चूँकि वादी अजय राय द्वारा अभियुक्त की गाड़ी पर फायर किया जाना कथित है, इसलिए यदि वादी के असलहे को बरामद न करने अथवा जॉच न किये जाने से अभियोजन के केस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। (क्योंकि वादी अजय राय द्वारा की गयी फायरिंग किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आयेगा), विवेचना

के दौरान विवेचक के द्वारा की गयी त्रुटि से विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षीयों का साक्ष्य समाप्त नहीं हो जायेगा व विवेचक की त्रुटि का कोई लाभ बचाव पक्ष को नहीं मिलेगा।

11. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि पी.डब्ल्यू.–3 ने घटना 10 बजे होना कहा है के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि पी.डब्ल्यू.–3 विवेचक का पदीय कर्तव्य व दायित्व उस समय प्रारम्भ होता है जब किसी संज्ञेय अपराध की लिखित सूचना थाने पर प्राप्त हो और घटना के समय का विनिश्चन तहरीर में अंकित समय के अनुसार दर्ज होता है, चूँकि प्रस्तुत मामले में वादी द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 में घटना के समय 1 बजे का स्पष्ट उल्लेख किया है तथा चिक एफ0आई0आर0 में भी घटना का समय 1 बजे होना अंकित है। चूँकि विवेचक साक्षी पी.डब्ल्यू.–3 का साक्ष्य घटना से करीब 30–31 वर्ष पश्चात् अंकित किया जा रहा था तथा बयान देते समय साक्षी पी.डब्ल्यू.–3 अतिबृद्ध तथा दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में गम्भीर चोट के कारण चलने–फिरने व बैठने में असमर्थ था जिस कारण उक्त साक्षी का बयान जरिये वीडीयो कान्फ्रेन्सींग अंकित कराया गया और वह काफी मुश्किल से बैठ पा रहा था इस तथ्य के साथ माननीय न्यायालय को यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन उसके द्वारा दिये गये सम्पूर्ण बयान के आधार पर किया जाना चाहिए बयान के किसी एक वाक्य अथवा एक लाईन में कहे गये कथन के आधार पर नहीं अर्थात किसी साक्षी का साक्ष्य सम्पूर्णता के आधार पर मुल्यांकित किया जाना जाहिए। 10 बजे कह देने मात्र से घटना का समय 10 बजे होना कत्तई नहीं माना जा सकता है क्योंकि विवेचक न तो घटना का चश्मदीद है और ना घटना के समय मौके पर उपस्थित था।

12. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि पी.डब्ल्यू.–5 डाक्टर एस.के. त्रिपाठी ने घटना को 10 बजे होना कहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि डाक्टर द्वारा यह कहा गया है कि यदि हास्पिटल के मृत्यु सर्टिफिकेट को कंसीडर न किया जाय तब मृतक की मृत्यु 10 बजे की होना कुछ हद तक संभव है, चूँकि प्रस्तुत मामले में हास्पिटल के मृत्यु प्रमाण–पत्र कंसीडर न किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है इसलिए डाक्टर द्वारा दिया गया बयान संभावना के आधार पर आधारित है और संभावना के आधार पर किसी भी चीज का निष्कर्श निकालना विधि एवं विद्यान की मंशा के सर्वथा विरूद्व व प्रतिकूल है। जहॉ प्रत्यक्षदर्शी व डाक्टर के कथन में विरोधाभाष हो वहां प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य को प्राथमिकता दिया जायेगा।

13. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि वादी व मृतक दोनों प्रभावशाली थे इसलिए घटना के समय को बदला गया तथा घटना स्थल बदल दिया गया है, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि वास्तव में घटना 1 बजे दिन की तथा वादी के घर के बाहर गेट की है जिसका स्पष्ट वर्णन वादी द्वारा दी गयी एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–1 में किया गया है।

14. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि छः व्यक्ति हो तो छः चोट छः एंगिल से आना चाहिए, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि अभियोजन द्वारा छः लोगों को आना तथा उन लोगों द्वारा असलहे से मृतक पर फायर करने का कथन किया गया है, जिसकी पुष्टि मौके से अभियुक्तों द्वारा फायर किये फायरशुदा खोखे के बरामदगी से होती है।

15. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस से यह तर्क कि वादी के असलहे का फोरन्सिक जॉच क्यों नहीं कराया गया, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि विवेचक द्वारा वादी के असलहे को विधि विज्ञान प्रयोगषाला के जॉच हेतु नहीं मांगा गया, क्योंकि तत्काल में वादी के बड़े भाई अवधेष राय की दिन दहाड़े हत्या की गयी थी इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उक्त लाइसेंसी असलहे का वादी के पास रहना आवष्यक था।

16. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि मारूति वैन का परीक्षण नहीं कराया गया के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि यह काम विवेचक का था और परीक्षण न होने से मुकदमें के गुण–दोष व उसके साक्ष्य पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

17. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि अभियोजन को अपना पक्ष संदेह से परे साबित करना चाहिए, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि अभियोजन द्वारा दो–दो चश्मदीद साक्षियों से अपने केस को पूर्ण रूपेण साबित किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा किये गये पूरी जिरह से यह कहीं भी साबित नहीं कर पाये कि पी.डब्ल्यू.–1 व पी.डब्ल्यू.–2 की उपस्थिति मौके पर नहीं रही और इस मुकदमें के चश्मदीद साक्षी नहीं रहे हैं। जिनके साक्ष्य को चिकित्सक साक्षी द्वारा भी सम्पुष्ट किया गया कि मृतक की मृत्यु फायरआर्म्स से आयी चोटो के कारण हुई।

18. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क की एफ0आई0आर0 को तुरन्त न भेजा जाना संदेहास्पद है तथा न्यायालय में भेजे जाने का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि एफ0आई0आर0 थाने से सी.ओ. पेशी में जाता है, सी.ओ. द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त उक्त एफ0आई0आर0 न्यायालय में आता है, जिस दिन सी.ओ. द्वारा एफ0आई0आर0 को अग्रसारित किया गया है उसी तिथि को न्यायालय में तत्कालीन सी.जे.एम. महोदय द्वारा ''सीन'' किया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में न्यायालय द्वारा सीन किये जाने का व तिथि का उल्लेख किया गया है। दिनांक 03.08.1991 समय 14:10 बजे एफ.आई.आर. पंजीकृत किया गया उसके अगले दिन दिनांक 04.08.1991 को रविवार का अवकाश था तथा दिनांक 05.08.1991 को एफ.आई.आर. न्यायालय पहुंच गया जिसपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय का पृष्ठांकन भी है।

19. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क है कि पंचायतनामे में चिक एफ0आई0आर0 के भेजे जाने का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि पंचायतनामा के मृख्य पृष्ठ के अग्रभाग पर मु0अ0सं0 व धारा का

स्पष्ट उल्लेख है, जो स्पष्ट करता है कि पंचायतनामा की कार्यवाही के पूर्व चिक किता किया जा चुका था।

20. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क है कि पी.डब्ल्यू.–2 विजय पाण्डेय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, लेकिन पंचायतनामे के समय पी.डब्ल्यू.–2 द्वारा किसी अभियुक्त का नाम नहीं बताया गया, के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा तर्क यह है कि पंचायतनामा में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि एफ0आई0आर0 में नामित अभियुक्तों द्वारा गोली मारकर मृतक की हत्या की गयी थी एफ0आई0आर0 नामजद था जिससे स्पष्ट है कि नामित अभियुक्तों द्वारा ही गोली मारकर हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया था ''नामित शब्द'' पंचायतनामें में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। पंचायतनामा के समय यह आवश्यक नहीं है कि पंचो का बयान अंकित किया जाय जैसा कि धारा–174 द0प्र0सं0 में प्राविधान भी दिया गया है।

21. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि पी.डब्ल्यू.–2 विजय पाण्डेय का पहला बयान अन्तर्गत धारा–161 सी0आर0पी0सी0 दिनांक 17.09.1991 को लिया गया तथा दुबारा बयान दिनांक 28.09.1991 को लिया गया जिसमें पी0डब्ल्यू0–2 द्वारा स्वयं को चश्मदीद होना कहा गया है, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि पी.डब्ल्यू.–2 विजय कुमार पाण्डेय का नाम बतौर चश्मदीद साक्षी प्रदर्श क–1 (तहरीर) में स्पष्ट रूप से अंकित है तथा साक्षी ने अपने बयान 161 सी0आर0पी0सी0 में व माननीय न्यायालय के समक्ष दिये गये सशपथ साक्ष्य में भी स्वयं द्वारा अपनी ऑखो से घटना देखे जाने का स्पष्ट कथन किया गया है।

22. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस से यह तर्क कि वादी द्वारा एफ0आई0आर0 में किस अभियुक्त के हाथ में कौन सा असलहा था इसका जिक्र नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि असलहा शब्द का प्रयोग प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से किया गया है जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी होती है कि मृतक की मृत्यु ''फायर आर्म्स इंजरी'' से आयी चोटो से हुयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का उद्देश्य मात्र घटना की सूचना देना है प्रथम सूचना रिपोर्ट इनसाईक्लोपिडीया नहीं है।

23. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि दो साक्षी एक ही बात को दो तरह से कह रहे हैं के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि दोनों साक्षियों पी0डब्ल्यू–1 व पी0डब्ल्यू0–2 द्वारा घटना का दिनांक, घटना का समय, घ ाटना का स्थल व घटना कारित किये जाने के प्रकार का उल्लेख अपने बयान खास में किया गया है, उनमें कोई भिन्नता नहीं है तथा यह बड़ा स्वाभाविक है कि कोई दो व्यक्ति किसी एक घटना को अलग–अलग तरीके से कहते हैं यह सम्भव नहीं है कि दो व्यक्ति किसी घटना को फोटो कापी मशीन की तरह हुबहु एक तरह से कहे।

24. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि चार खोखे वादी अजय राय के व चार खोखे अभियुक्तों द्वारा फायरशुदा, जबकि एफ.एस.एल. में तीन खोखे मिलने का जिक्र तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 प्रवेश घाव होने का उल्लेख

किया गया है, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क है कि ''डाकेट'' थाने से चार खोखे का बनकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है, अगर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पहुॅचने के दौरान तीन ही मिला तो इससे मुकदमें पर कोई दुश्प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि उक्त कार्यवाही पीड़ित अर्थात वादी मुकदमा के अख्तीयार अथवा कन्ट्रोल में नहीं थी इससे विश्वसनीय साक्षियों के साक्ष्य को फेक नहीं दिया जायेगा।

25. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि बैलेस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट क्या है, उसका पता नहीं है के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि सत्र वाद उपरोक्त अत्यन्त पुराना व प्राचीन होने के कारण उक्त परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है अथवा नहीं यह माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है लेकिन बचाव पक्ष के पास परीक्षण से सम्बन्धित ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो बचाव पक्ष को लाभ पहुंचा सके। साथ ही साथ यह भी कहना है कि बैलेस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट न होने से अभियोजन के केस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

26. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि पी0डब्ल्यू0–2 विजय पाण्डेय का बयान 161 सी0आर0पी0सी0 विलम्ब से अंकित किया गया तथा साक्षी का चरित्र संदेहास्पद होने पर उसका कथन विश्वसनीय नहीं होगा के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान जैसे वक्त मिला है अविलम्ब साक्षी का बयान दर्ज किया गया है, उसमें कोई विलम्ब नहीं है बचाव पक्ष द्वारा अपने जिरह में ऐसी कोई बात नहीं निकाली गयी है जिससे यह स्पष्ट हो कि साक्षी का चरित्र संदेहास्पद हो। विवेचक द्वारा मात्र धारा–161 द0प्र0सं0 का बयान विलम्ब से लेने के कारण अभियोजन के केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

27. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि मृतक के शरीर से निकली बुलेट को एक्सपर्ट के यहां क्यों नहीं भेजा गया के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि इससे मुकदमें पर कोई दुश्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

28. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि पी0डब्ल्यू0–1 का लाइसेंस जहॉ से लिया गया था वह फर्जी था तथा वादी पी0डब्ल्यू0–1 का अपराधिक इतिहास था के सम्बन्ध में अभियोजन के तर्क यह है कि बचाव पक्ष द्वारा पी0डब्ल्यू0–1 से इस बिन्दु पर कि पी0डब्ल्यू0–1 का लाइसेंस फर्जी था, कोई जिरह नहीं की गयी है, और ना ही इस तरह का कोई तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि पी0डब्ल्यू0–1 कभी फर्जी लाइसेंस धारक था। साथ ही जिस समय की उक्त घटना बतायी जाती है, उस समय पी0डब्ल्यू0–1 वादी मुकदमा के उपर केवल एक मुकदमा दर्ज था, बाद में जो भी मुकदमें लगे है वे सभी मुकदमें राजनैतिक विद्वेश के कारण लगाये गये है।

29. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि तहरीर लेखक राजेन्द्र कुमार को प्रस्तुत नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि पी0डब्ल्यू0–1 की जिरह में यह स्पष्ट हो चुका है कि तहरीर लेखक राजेन्द्र कुमार

की मौत हो चुकी हैं, सत्र परीक्षण के विचारण के दौरान वह साक्षी (तहरीर लेखक) जीवित न होने के कारण परीक्षित नहीं हो सका।

30. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि थाने जाने वाले कई लोग थे लेकिन जी.डी. में सिर्फ अकेले आना अंकित है के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि इस तथ्य के अभाव में अभियोजन के केस पर कोई प्रतिकूल असर पड़ने की कोई संभावना कत्तई नहीं है।

31. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस यह तर्क कि पी0डब्ल्यू0–1 के कपड़ो पर खून के निशान नहीं मिले के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि अभियोजन द्वारा यह कही नहीं कहा गया कि मृतक को उठाने के दौरान शरीर स्पर्श हुआ हो बल्कि यह कथन किया गया है कि लोगों के सहयोग से उठाकर गाड़ी में लादकर अस्पताल ले जाया गया था। तथा पी.डब्ल्यू.–1 वादी मुकदमा ने अपने बयान के पेज नं0–11 पर स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल उसके हाथ पर खून लगा था।

32. बचाव पक्ष द्वारा की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि यह नहीं बताया गया है कि मुख्तार अंसारी से क्या रंजिश थी, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में व वादी द्वारा दिये बयान 161 सी0आर0पी0सी0 व माननीय न्यायालय के समक्ष दिये गये सशपथ साक्ष्य में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, मुख्तार अंसारी से पूर्व की रंजिश थी।

33. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि मृतक का लम्बा आपराधिक इतिहास है, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि यदि किसी का आपराधिक इतिहास है तो क्या उसकी दिन दहाड़े निर्मम हत्या करना अपराध की श्रेणी में नहीं आयेगा, किसी आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति की हत्या करना भी अपराध की श्रेणी में आयेगा।

34. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि मृतक द्वारा अपने सगे भाई की हत्या की गयी थी, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि उक्त अपराध में मृतक को गलत ढ़ंग से अभियुक्त बनाया गया था तथा विवेचना के दौरान कोई साक्ष्य या प्रमाण न मिलने के कारण उक्त अपराध में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है।

35. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि अभियुक्त का कोई मोटिव नहीं था गलत है, सत्यता यह है कि मोटिव के सम्बन्ध में पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है। तथा जहॉ चश्मदीद साक्षी का साक्ष्य हो वहां मोटिव की कोई आवश्यकता नहीं है।

36. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि मृतक का डिप्टी मेयर अनिल सिंह से विवाद था इसलिए घटना अनिल सिंह द्वारा कारित की गयी, सरीही गलत है, चूॅकि मृतक की हत्या में अनिल सिंह की कोई भूमिका नहीं थी इसलिए उनको नामित नहीं किया गया, बल्कि जो इस घटना में वास्तव में शामिल थे उन्हीं को नामित किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि वादी ने सही व्यक्तियों को नामित किया है।

37. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि मृतक अपने दरवाजे पर खड़ा होकर वार्ता नहीं कर सकता है, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि किसी व्यक्ति का अपना घर व दरवाजा सबसे सुरक्षित स्थान होता है, इसलिए अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर वार्ता करना न तो आश्चर्यजनक है और ना अप्रात्यषित है।

38. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि पूर्व डिप्टी मेयर के उपर हुए हमले में पी.डब्ल्यू.–1 अजय राय नामित थे, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि यदि थोड़ी देर के लिए बचाव पक्ष के तर्क को माना जाय, जो अभियोजन को स्वीकार है उस दशा में उक्त मुकदमें का कोई दुष्प्रभाव वर्तमान मुकदमें में कत्तई नहीं पड़ेगा।

39. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि पी.डब्ल्यू.–1 अजय राय का लम्बा अपराधिक इतिहास है, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि उक्त घटना के समय पी.डब्ल्यू.–1 अजय राय पर मात्र एक मुकदमा दर्ज था जो बाद में सुलह समझौते के आधार पर समाप्त हो गया शेष मुकदमें पी.डब्ल्यू.–1 के विरोधियों व राजनैतिक ईर्ष्या द्वेषवश उक्त घटना के कई वर्षों बाद दर्ज हुए हैं।

40. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि राजनैतिक लोगों की बातों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि तत्समय पी.डब्ल्यू.–1 वादी अजय राय न तो किसी राजनैतिक दल में थे और ना किसी राजनैतिक पद पर थे।

41. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि 9 एम.एम. खोखा कहां से बरामद हुआ, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि अभियुक्तों द्वारा किये फायर के खोखे मौके पर मिले थे जिन्हें विवचेक द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर उस स्थान को नक्शा नजरी में दर्शाया गया है जहॉ खोखे बरामद हुए थे।

42. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि केवल मृतक की अभियुक्तों से रंजिश थी पी.डब्ल्यू.–1 से कोई रंजिश नहीं थी, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि मृतक की पूर्व रंजिश इस मुकदमें के अभियुक्तों से थी जिसका स्पष्ट उल्लेख एफ0आई0आर0 व वादी पी.डब्ल्यू.–1 के सशपथ साक्ष्य से होती है, पी.डब्ल्यू.–1 की कोई व्यक्तिगत रंजिश अभियुक्तों से नहीं थी और ना ऐसा अभियोजन का कथन है।

43. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि अभियुक्तों की संख्या व गोली की चोटे विश्वसनीय नहीं है, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि अभियुक्त संख्या व उनके द्वारा असलहों से फायर करने का स्पष्ट उल्लेख पी. डब्ल्यू.–1 व पी.डब्ल्यू.–2 के सशपथ साक्ष्य से होता है तथा मृतक की मौत फायर आर्म से होना चिकित्सक साक्षी द्वारा भी अपने साक्ष्य से स्पष्ट किया गया है तथा मौके से बरामद खोखे, घटना को पूर्ण रूपेण साबित करते हैं।

44. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि पी.डब्ल्यू.–1 के बयान विरोधाभाषी है, सरीही गलत है, सत्यता यह है कि पी.डब्ल्यू.–1 द्वारा दर्ज एफ0आई0आर0 व माननीय न्यायालय के समक्ष दिये गये सशपथ बयान में एक रूपता है किसी प्रकार का कोई विरोधाभाष कत्तई नहीं है।

45. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि पी.डब्ल्यू.–1 को कोई चोट न आना उसकी उपस्थिति को संदेहास्पद बनाता है, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि चूँकि अभियुक्तगणों की रंजिश केवल मृतक अवधेश राय से थी इसलिए अभियुक्तों द्वारा केवल अवधेश राय की हत्या की नियत से केवल उन्हें ही लक्ष्य कर गोली मारी गयी, पी.डब्ल्यू–1 द्वारा घटना के समय अपनी उपस्थिति का जिक्र एफ0आई0आर0 व अपने सशपथ साक्ष्य में स्पष्ट रूप से किया है वादी पी.डब्ल्यू.–1 को चोट न आने मात्र से अभियोजन के केस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कत्तई नहीं पड़ेगा।

46. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि पी.डब्ल्यू–1 ने पीछा करने वाले पुलिस वालों का नाम विवेचक को नहीं बताया के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि चूँकि विवेचक द्वारा पी.डब्ल्यू.–1 से उन पुलिस वालों का नाम नहीं पूछा गया इसलिए उनका नाम नहीं बताया गया। क्या यह स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति जिसके भाई की हत्या हुई हो घटना के तुरन्त बाद जो पुलिस कर्मी पीछा करें उनका नाम पूछे।

47. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि पी.डब्ल्यू.–3 विवेचक के बयान से पूरा अभियोजन केस खत्म हो जाता है, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि विवेचक न तो घटना का चश्मदीद है, और ना घटना की सूचना के पूर्व उनका कार्य व दायित्व प्रारम्भ होता है, इसलिए यदि विवेचक द्वारा अपने बयान में सहबन व त्रुटिवश घटना के घटित होने के समय में अन्तर होना कहा गया है, तो भी इससे अभियोजन के केस पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ माननीय न्यायालय को किसी साक्षी के साक्ष्य का विष्लेशण करते समय उसके सम्पूर्ण बयान को पढ़ना होगा मात्र बयान के किसी खास भाग व वाक्य को पढ़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त साक्षी घटना के करीब 31–32 वर्ष बाद बयान दे रहा था व अत्यधिक अवस्था व काफी पीड़ा में था इन बातों को भी माननीय न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए।

48. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि एफ.आई.आर. साबित नहीं है, सरीही गलत है सत्यता यह है कि मूल तहरीर वादी मुकदमा पी. डब्ल्यू–1 अजय राय द्वारा तथा चिक एफ.आई.आर. पी.डब्ल्यू.–4 द्वितीय विवेचक कृपाशंकर शुक्ल द्वारा द्वितीयक साक्ष्य के रूप में साबित किया गया है जो प्रदर्श क–9 है।

49. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि कि पी.डब्ल्यू–1 घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं थे, पी.डब्ल्यू.–1 मृतक को लाद कर नहीं ले

गये, पी.डब्ल्यू.–1 ने प्रथम सूचना दर्ज नहीं करायी, सरीही गलत है, सत्यता यह है कि पी.डब्ल्यू.–1 वादी अजय राय घटना के पूर्व से मृतक व अन्य लोगों के साथ अपने घर के दरवाजे पर मौजूद था तथा पी.डब्ल्यू.–1 व पी.डब्ल्यू.–2 व अन्य के सामने घटना घटित हुई घटना के बाद पी.डब्ल्यू.–1 द्वारा अन्य के सहयोग से मृतक को अस्पताल ले जाया गया तथा घटना के बाद पी0डब्ल्यू.–1 द्वारा ही एक अन्य व्यक्ति से घटना की रिपोर्ट लिखवाकर थाने पर दी गयी, इसका स्पष्ट उल्लेख पी. डब्ल्यू.–1 के सशपथ साक्ष्य में आया है।

50. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि चालान नाश में मृत्यु का समय 01 बजे लिखा है, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि पंचायतनामे के समय जो भी प्रपत्र तैयार किये जाते हैं वे सब पुलिस द्वारा तैयार किये जाते हैं, यदि उस वक्त प्रपत्र तैयार करने वाले पुलिस कर्मी द्वारा मृत्यु का समय सहबन, त्रुटिवश 01 बजे लिख दिया गया तो इसका कोई प्रतिकूल असर अभियोजन के केस पर नहीं पड़ेगा।

51. बचाव पक्ष की ओर से की गयी मौखिक बहस में यह तर्क कि पी0डब्ल्यू0–2 द्वारा चार अभियुक्तों को घटना में शामिल होने का कथन किया गया है, के सम्बन्ध में अभियोजन का तर्क यह है कि जिस समय पी.डब्ल्यू.–2 का साक्ष्य अंकित हो रहा था उस समय एक अभियुक्त अब्दुल कलाम जीवित नहीं थे, इसलिए पी0डब्लू0–2 द्वारा उनके नाम का जिक्र अपने बयान में नहीं किया गया। अतः अभियुक्त मुख्तार अंसारी को दोष सिद्ध किये जाने की याचना की।

42. बचाव पक्ष के तर्को के विरोध में तथा अपने तर्को के समर्थन में अभियोजन की ओर से भी प्रस्तुत निम्न विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गयी।

(1) **हुकम सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य,** 2001 क्रिमिनल लॉ जनरल 511 (सु.को.)

"लोक अभियोजक बाध्य नहीं है कि एक ही तथ्य के सभी साक्षियों को परीक्षित कराये।"

(2) **राकेश व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य** (2021)7 एस.सी.सी. आनलाईन (सु.को.) 451

"जहाँ तथ्य के प्रत्यक्षदर्शी विश्वसनीय साक्षी हो वहाँ बैलेस्टीक रिपोर्ट न होने अथवा नाकारात्मक रिपोर्ट होने से विश्वसनीय साक्ष्य को निरस्त नहीं कर दिया जायेगा।"

"केवल एक वाक्य अथवा एक प्रश्न के उत्तर के आधार पर साक्ष्य का विश्लेषण नहीं किया जायेगा बल्कि सम्पूर्ण बयान व अन्य साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य का मूल्यांकन होगा।"

(3) **गुलाब बनाम उ0प्र0 राज्य** 2021 एस.सी.सी. आनलाईन एस.सी. 1211

"जहाँ विश्वसनीय साक्ष्य है वहाँ बेलेस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट न होने से अभियोजन के केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

(4) **नन्कौनू बनाम उ0प्र0 राज्य** (2016)3 एस.सी.सी. 317

"हत्या में प्रयुक्त असलहा बरामद न होने व बैलेस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट न होने से अभियोजन के केस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

(5) **जनरैल सिंह बनाम पंजाब राज्य** (2009)9 एस.सी.सी. 719

"एफ.आई.आर. इनसाईकलोपिडीया नहीं ह"

(6) **स्टेट जरिये इंस्पेक्टर आफ पुलिस बनाम लाली उर्फ मानिकनन्दन** ए.आई.आर. 2022 एस.सी. 5034

"परिवादी का साक्ष्य न कराने व चश्मदीद साक्षी के बयान में समय के सम्बन्ध में विरोधाभाष होने से अभियोजन के केस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

(7) **अनिल कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य** (2003)3 एस.सी.सी. 569

"प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, को प्रस्तुत न करने पर अभियोजन के केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

(8) **साधु सरन सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य** (2016)4 एस.सी.सी. 357

"घटना के दिनांक व साक्ष्य के दिन में काफी लम्बा अन्तराल होने पर साक्ष्य में थोड़ी बहुत विसंगति होने पर अभियोजन के केस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

(9) **ब्रहम स्वरूप बनाम उ0प्र0 राज्य** ए.आई.आर. 2011 सु.को. 280

"पंचायतनामा का उद्देश्य मात्र किसी व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थिति में होने व प्रत्यक्षतः मृत्यु का कारण का उल्लेख होता है न कि मरने का पूरा विवरण की कैसे हमला हुआ, किसने मारा, किस परिस्थिति में मारा इत्यादि।"

(10) **कर्नाटका राज्य बनाम सुवरनम्मा व अन्य** (2015)1 एस.सी.सी. 323

"केवल दोषपूर्ण या गैरकानूनी विवेचना, जाँच एजेन्सी के अनुचित व तथ्य के छिपाने के आधार पर अभियोजन का केस फेक नहीं दिया जायेगा।"

(11) **लीला राम बनाम हरियाणा** (1999)9 एस.सी.सी. 525

"थोड़ी बहुत विरोधाभाष से विश्वसनीय साक्षी का साक्ष्य समाप्त नहीं हो जायेगा।

विवेचक द्वारा किये गये इर्रेगुलरटी व इनलोगलटी से अभियोजन का केस निरस्त नहीं कर दिया जायेगा।

कोई निश्चित तरीका अथवा नियम नहीं है कोई व्यक्ति किसी घटना के तत्काल बाद क्या प्रतिक्रिया करेगा व कैसे प्रतिक्रिया करेगा।"

(12) **केशव लाल बनाम म0प्र0 राज्य** (2002)3 एस.सी.सी. 254

"केवल सीरोलाजिस्ट की रिपोर्ट में रक्त समूह की गैर निश्चितता के आधार पर विश्वसनीय गवाहों के साक्ष्य समाप्त नहीं किये जा सकते।"

(13) **गौतम जोरदार बनाम पश्चिम बंगाल** 2021 (228) ए.आई.सी. 209 (एस. सी.)

"मात्र विलम्ब से बयान अंकित होने पर साक्षी के साक्ष्य को निरस्त नहीं कर दिया जायेगा।"

(14) **उ0प्र0 राज्य बनाम फरीद खान** ए.आई.आर. 2004 (एस.सी.) 5050

"आपराधिक पृष्ठभूमि का साक्षी भी सक्षम साक्षी है जबकि उसके साक्ष्य को अन्य साक्ष्य सम्पुष्ट कर रहे हैं। उसके साक्ष्य इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।"

(15) **सिद्धार्थ शर्मा बनाम स्टेट** (NCT of DELHI) 2010(69) ए.सी.सी. 833

"घटना के बाद अभियुक्त की फरारी भी एक सुसंगत तथ्य है।"

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

43. आरोपित अपराधों के सन्दर्भ में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नवत हैं।

1. क्या अभियुक्त मुख्तार अंसारी द्वारा कथित दिनाँक समय व स्थान पर विधि विरुद्व जमाव के सदस्य के रूप मे अग्नेयाश्त्रों के साथ सामान्य उद्देश्य के अनुक्रम में हिंसा कारित की गयी ?

2. क्या अभियुक्त मुख्तार अंसारी द्वारा कथित दिनाँक समय व स्थान पर विधि विरुद्व जमाव के सदस्य होते हुए मृतक अवधेश राय पर अग्नेयाश्त्रों से सामान्य उद्देश्य के अनुक्रम में फायर कर प्राणघातक चोटे पहुँचाई गई जिसके परिणामस्वरूप उनकी कुछ देर बाद मृत्यु हो गयी ?

उपरोक्त दोनो विचारणीय बिन्दु चूँकि एक ही संव्यवहार के भाग हैं अतः सुविधा के दृष्टि से दोनो का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

44. उक्त आरोप के सन्दर्भ मे अभियुक्त के विरुद्व धारा 148 आई०पी०सी० का आरोप विरचित किया गया है। अतः भा०द०सं०के उक्त प्राविधान का अवलोकन आवश्यक है। धारा 148 भा०द०सं० के अनुसार–

> **148- Rioting armed with deadly weapon-** whoever is guilty of rioting, being armed with deadly weapon or with anything which, used as weapon of offence, is likely to cause death, shall be

punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

संहिता की धारा 146 को Rioting को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार

Section 146- Rioting- whenever fource or violence is used by an unlawful assembly, or by any member thereof, in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of rioting.

संहिता की धारा 141 में unlawful assembly (विधि विरूद्ध जमाव) को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार–

141. Unlawful assembly-

An assembly of five or more persons is designated an "unlawful assembly", if the common object of the persons composing that assembly is-

First- To overawe by criminal force, or show of criminal force, [87][the Central or any State Government or Parliament or the Legislature of any State], or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant; or

Second- To resist the execution of any law, or of any legal process; or

Third- To commit any mischief or criminal trespass, or other offence; or

Fourth- By means of criminal force, or show of criminal force, to any person, to take or obtain possession of any property, or to deprive any person of the enjoyment of a right of way, or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment, or to enforce any right or supposed right; or

Fifth- By means of criminal force, or show of criminal force, to compel any person to do what he is not legally bound to do, or to omit to do what lie is legally entitled to do.

Explanation- An assembly which was not unlawful when it assembled, may subsequently become an unlawful assembly.

धारा 149 भा०द०सं० के अनुसार–

If an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who, at the time of the committing of that offence, is a member of the same assembly, is guilty of that offence.

इस प्रकार धारा 149 एक संयुक्त दायित्व का सृजन करती है जो विधि विरुद्ध समूह के प्रत्येक सदस्य के आपराधिक भूमिका को उनके सामान्य उद्देश्य के आधार पर संयुक्त रूप से निर्धारित करता है।

भा0दं0सं0 के अन्तर्गत हत्या को धारा 300 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार–

Section 300 IPC -Murder

Except in the cases hereinafter excepted, culpable homicide is murder, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, or

2ndly.—If it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused, or

3rdly.—If it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, or

4thly.—If the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must, in all probability, cause death, or such bodily injury as is likely to cause death, and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid.

भारतीय दण्ड संहिता की उपरोक्त सम्बन्धित प्रविधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपित अपराध अं० धारा 148 आई०पी०सी० तथा धारा 302 सपठित धारा 149 के गठन हेतु पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप मे उनके सामान्य उद्देश्य के अनुशरण मे प्राणघातक आयुधों के साथ कथित अपराध या साशय हत्या कारित किये जाने का तथ्य साबित करना अवश्यक है। उपरोक्त परिभाषाओ के सन्दर्भ मे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

45. अभियोजन कथानक के अनुसार वतमान प्रकरण मे घटना दि० 03.08.1991 को समय दिन मे लगभग 1.00 बजे की बतायी गयी है तथा प्रकरण की

एफ०आई०आर० लगभग 02.10 बजे उसी दिन लिखायी गयी। अर्थात एफ०आई०आर० लगभग 1 घण्टे 10 मिनट बाद लिखायी गयी। वादी के अनुसार घटना के बाद वह मृतक को पहले इलाज हेतु अस्पताल लेकर गया तथा वहाँ डाक्टर द्वारा मृत घोषित करने के उपरान्त तहरीर लिखवाकर वह थाने गया। प्रति परीक्षा में पी0डब्लू0–1 चक्षुदर्शी साक्षी वादी अजय राय ने कथन किया है कि उक्त राजेन्द्र कुमार (एफ0आई0आर0 लेखक) से घटना वाले दिन मेरी मुलाकात अस्पताल में लगभग सवा, डेढ़ बजे (दोपहर) के आस–पास हुयी थी।.... उक्त राजेन्द्र कुमार से अस्पताल में मुलाकात होने के बाद वह मेरे साथ लगभग आधा घण्टा रहा होगा। वह मेरे साथ थाना चेतगंज नही गया था।.....जब मै मारूति वैन से मृतक को लेकर अस्पताल गया था तो वहॉ पर मै 30–40 मिनट तक रूका था उसके बाद फिर मै थाने गया था।... जब मेरे भाई को मृत्यु घोषित किया उसके बाद लगभग आधे घंटे बाद मै थाना चेतगंज गया।.... मैं थाना चेतगंज पर लगभग आधा घंटा या बीस मिनट रहा। वहां से फिर मै अस्पताल आ गया।

अतः इस साक्षी ने घटना के बाद थाने पर जाकर लिखित तहरीर देने तक के समयावधि का भी युक्तियुक्त तथा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों मे एफ०आई०आर० विलम्बित नही कही जा सकती। वादी मुकदमा ने बतौर पी0डब्लू0–1 लिखित तहरीर की औपचारिक सत्यता तथा अंतर्वस्तु को भी प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है।

वर्तमान प्रकरण में साक्षी पी0डब्लू0–4 कृपाशंकर शुक्ल ने द्वितीयक साक्षी के रूप में चिक लेखक राजकुमार यादव के हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान करते हुए चिक एफ0आई0आर0 को बतौर प्रदर्श क–9 साबित किया है।

प्रकरण में पंचायतनामा को बतौर प्रदर्श क–2 अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 विजय कुमार पाण्डेय ने साबित किया है।

46. आरोपित अपराध के आवश्यक अवयवों का विश्लेषण करने के क्रम मे सर्वप्रथम प्रकरण मे अभियोजन कथानक के अनुसार कथित घटना के दिनाँक, समय व स्थान तथा मृत्यु का कारण व मृत्यु का समय व अन्य आवश्यक अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता एवं तथ्य के चक्षुदर्शी अभियोजन साक्षियों की विश्वसनियता का परीक्षण करना आवश्यक है जिसके लिए अभियोजन साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवलोकन अपरिहार्य है अतः उनके द्वारा प्रति परीक्षा मे प्रस्तुत साक्ष्य के सुसंगत भाग का विश्लेषण समीचीन है।

प्रति परीक्षा में पी0डब्लू0–1 चक्षुदर्शी साक्षी वादी अजय राय ने कथन किया है कि मै अपने भाई के लाश के पास उक्त राजेन्द्र कुमार को छोड़कर थाना चेतगंज चला गया था।..... जब मै वैन में मृतक को घर से ले गया तो अस्पताल जाते समय मै सीधा अस्पताल गया।....घटना के समय घटनास्थल पर क्योंकि मै मौजूद था,

इसलिए घटना की जानकारी मुझे होने के कारण घटना की रिपोर्ट मेरे द्वारा दर्ज करायी गयी थी।.....घटना होने पर मेरे मृतक भाई के शरीर पर जो कपड़े थे, वे खून से बायी तरफ के, जिस तरफ गोली लगी थी खून से भीग गये थे। मेरे मृतक भाई को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाने के क्रम में हमारे हाथ पर खून लग गया था लेकिन हमारे कपड़ो पर खून नही लगा था।....यह घटना 3 अगस्त सन 1991 की है।

घटनास्थल तथा घटना के सम्बन्ध में इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मेरे मकान का मुख्य गेट जो बाउण्ड्री से लगा है वह घटना के जमाने में दक्षिण पश्चिम कोने पर स्थित था।.....घटनास्थल पर मैं अपने भाई के बायी तरफ पांच–छः फीट की दूरी पर खड़ा था।..... फायर करने वालों ने मारुति वैन घ टनास्थल से लगभग 50–60 मीटर के आगे मारुति वैन छोड़ी।

47. चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–2 विजय पाण्डेय ने घटनास्थल के सम्बन्ध में कथन किया है कि जब मै घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पहले से अवधेश राय खड़े थे। कतवारू व अजय राय भी पहले से खड़े थे। अवधेश राय अपने दरवाजे से सटे खड़े थे और मैं उनसे एक–दो फीट दाहिने खड़ा था। अजय राय अवधेश राय के बायें एक–दो फीट की दूरी पर खड़े थे।.... मेरा मुंह अवधेश राय से बातचीत करते समय सामने नहीं था बगल में था। सड़क की चौड़ाई 10–15 फीट होगी।... मुल्जिमान की मारूति वैन अवधेश राय के घर के ठीक सामने हथुआ मार्केट की बाउंड्री से दो–तीन फीट की दूरी पर सड़क के उस पार खड़ी हुयी।

इस प्रकार इन दोनो साक्षियों ने नक्शा नजरी प्रदर्श क 4 को प्रति परीक्षा मे भी वस्तुतः पुष्ट किया है।

बचाव पक्ष के साक्षी डी0डब्लू0–1 सिबगतुल्ला अंसारी ने भी अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में कथन किया है यह जानकारी हुई थी कि अवधेश राय अपने घर के सामने थे जहां उनकी हत्या हुई थी।

48. साक्षी वादी पी०डब्लू०–1 अजय राय ने घटना के सम्बन्ध मे प्रति परीक्षा मे कथन किया है कि मैंने जो फायर किया वो सारे फायर मारुति वैन में जाकर लगे। जो मैंने मारुति वैन पर फायर किया वो फायर मारूति वैन के पीछे लगे। मैंने फायर करने वाले पर फायर किया वह फायर मारुति वैन में लगा। अवधेश राय पर फायर करने वालों ने मारुति वैन से उतरकर फायर किया था। .... जब फायर करने वालों ने मारुति वैन में बैठने का प्रयास किया तब मैंने फायर किया।. .....जहाँ से मारुति वैन छोड़ी वहां से मुल्जिमान पैदल उतरकर भाग गये। जिस समय अवधेश राय पर गोली चली उस समय मै थोड़ा आगे बढ़कर मुल्जिमानों पर गोली चलायी। उस समय कितना आगे बढ़ा था यह मुझे ध्यान नहीं है। मुल्जिमान मुझे क्रास करके गये थे। जब मुल्जिमान मुझे क्रास कर रहे थे तो मैंने फायर किया था। मुल्जिमानों ने मृतक पर गोली चलाने के बाद मुझे पैदल क्रास किया था।..... जब मुल्जिमान आये तो

मुझसे या मृतक से वाद–विवाद नहीं हुआ, ललकारते हुये गोली चला दी। मुल्जिमान साइड से कितनी गोलियां चली मुझे ध्यान नहीं है। सभी मुल्जिमानो के हाथ में पिस्टल थी, मैं यह नहीं बता सकता कि सभी मुल्जिमान गोली चला रहे थे मैंने मुख्तार को गोली चलाते देखा और अन्य मुल्जिमानों को भी गोली चलाते देखा.... सभी गोलियां मेरे भाई पर चलाई जा रही थी मेरे ऊपर नहीं चलायी जा रही थी। मुल्जिमानों के हाथों में रिवाल्वर व पिस्टल थे। मेरे पास पिस्टल का लाइसेंस था इसलिये मुझे रिवाल्वर व पिस्टल में अंतर पता है। यह सही है कि अवधेश राय को खड़े रहने के अवस्था में गोली मारी गयी।

इस प्रकार इस साक्षी ने प्रति परीक्षा मे भी घटना क्रम को पुष्ट किया है। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा मे अभियुक्त मुख्तार अंसारी द्वारा मृतक अवधेश राय पर सह अभियुक्तों के साथ गोलियाँ चलाते देखने का स्पष्ट कथन किया है तथा कोई गम्भीर विरोधाभाषी बयान नही दिया है। अतः यह साक्षी विश्वसनीय साक्षी प्रतीत होता है।

49. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 विजय पाण्डेय ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मारुति वैन के दोनों दरवाजे स्लाइडिंग से खुले थे। मारुति वैन कौन चला रहा था मै नहीं बता सकता। मारुति वैन से चार–पांच लोग उत्तरे थे।.... मारुति वैन जहां रूकी थी वहीं घटना के दौरान रुकी रह गयी, घटना के दौरान मारुति वैन जरा सा भी आगे पीछे नहीं चली। घटना के बाद मुल्जिमान मारुति वैन में बैठकर भागे थे और आगे जाकर मारूति वैन टेलीफोन के लोहे के पीलर से टकरा गयी। घ ाटना अवधेश राय के लोहे के गेट के ठीक सामने हुयी थी। मुल्जिमान की मारुति वैन अवधेश राय के लोहे के गेट के ठीक सामने आकर खड़ी हुयी थी। जहां मै व अवधेश राय खड़े हुये थे, उसके पांच–सात फीट की दूरी पर मारुति वैन आकर खड़ी हुयी। जहां मारुति वैन खड़ी हुयी थी घटना के बाद जब मारुति वैन से मुल्जिमान भाग रहे थे तो 100–150 मीटर की दूरी पर मारुति वैन टेलीफोन के लोहे के पीलर से टकरायी थी। मारुति वैन सड़क के दाहिने तरफ टकरायी थी।.... जब मुल्जिमानों द्वारा फायरिंग की जाने लगी तो मै गली में भाग गया। गली घटनास्थल से दाहिने तरफ है मै उसी गली में एक–दो कदम भाग गया।

इस प्रकार इस साक्षी ने भी घटनास्थल नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 व घटना को पुष्ट किया है।

50. बचाव पक्ष का तर्क है कि नक्शा नजरी मे वैन व पोल को अलग अलग दर्शाया गया है। वैन बरामदगी स्थल साक्ष्य के अनुरूप नही दर्शाया गया है। अतः नक्शा नजरी मे विसंगतियाँ हैं।

नक्शा नजरी मे दर्शाये गये तथ्य की ग्राह्यता के सम्बन्ध मे मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निम्न विधि व्यवस्था उल्लेखनीय है जिसके अनुसार–

Only those things in site plan are admissible in evidence which are based on personal knowledge of I.O. as to what he saw and observed.

See : **State of UP Vs. Lakhan Singh, 2014 (86) ACC 82 (All)(DB).**

उपरोक्त न्याय निर्णयन के प्रकाश मे यह स्पष्ट है कि नक्शा नजरी मे मात्र वह चीजे सुसंगत है जिन्हे विवेचक द्वारा स्वयं देखी गयी हैं। फर्द बरामदगी वैन प्रदर्श क 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण मे वैन की बरामदगी घ ाटनास्थल से नही बल्कि अस्पताल से दर्शायी गयी है। अतः आँशिक विभिन्नता स्वाभाविक है।

साक्षी पी0डब्लू0–2 विजय पाण्डेय ने प्रति परीक्षा में घटना के सम्बन्ध में बयान दिया है कि अभियुक्तगण के आने तथा गोली चलने के बीच में चार–पांच मिनट लगा होगा। अभियुक्तगण के गोली चलाने के बाद अजय राय ने गोली चलायी। अजय राय ने मुल्जिमान पर गोली चलायी थी परंतु वह गोली गाड़ी पर लगी। .... जब मुल्जिमान भागने लगे तब अजय राय ने फायर किया था। जब अजय राय ने मुल्जिमान का पीछा किया तो मैं पीछे–पीछे नहीं गया मै खड़ा रहा। जब अजय राय मुल्जिमान के पीछे–पीछे गये तो मै अवधेश राय को उठाने की कोशिश किया तथा अवधेश राय इतने भारी थे कि मुझसे नहीं उठे।.... अजय राय जब तक मुल्जिमानों का पीछा करके नहीं लौटे तब तक अवधेश राय घटनास्थल पर ही पड़े रहे। अवधेश राय पूरी तरह लेट गये थे।.... गोली चलने के दस मिनट के बाद घ ाटनास्थल पर पुलिस आ गयी थी।.... पुलिस वालों ने भी अवधेश राय को हास्पिटल ले जाने की कोशिश नहीं की। पुलिस वालों के आने के पांच–सात मिनट बाद मुल्जिमानों का पीछा कर अजय राय वापस आये। मुल्जिमान की मारुति वैन थाने के सामने के रास्ते से आयी थी।... मुल्जिमान जब मारुति वैन में बैठ गये तब अजय राय ने फायर किया। फायर मुल्जिमान को लगा या गाड़ी में लगा मुझे नहीं पता। अजय राय ने मुल्जिमान पर घटनास्थल से फायर किया था। मुल्जिमान ने अजय राय पर, कतवारू पर और मेरे ऊपर कोई फायर नहीं किया था। जब अजय राय ने फायर किया तो वे अपने गेट पर थे और मै गली में छिपा था।.... मारुति वैन में आये मुल्जिमान के अलावा अन्य कोई घटना में शामिल नहीं था। ....यह कहना सही है कि अवधेश राय को सभी गोली की चोट शरीर के बायें तरफ पहुंचायी गयी है और इसीलिये पंचायतनामा के चोट के कालम में बाये सीने पर, बायें कमर के ऊपर, बायें कान के ऊपर, बायें तरफ गर्दन व कंधे के जोड़ पर गोली की चोट पहुंचाने का उल्लेख है। सभी मुल्जिमान को मै घटना के पहले से जानता पहचानता था।.... जब मुल्जिमान ने गोली चलायी तो अवधेश राय के घर का बड़ा गेट बंद था और छोटा गेट खुला था। मै व अजय राय व कतवारू अवधेश राय के घर के छोटे गेट से घर

के अंदर भागने की कोशिश नहीं की। छोटे वाले गेट के सटे ही हम लोग खड़े थे।.... मुल्जिमान की गाड़ी अजय राय चलाकर लाये। मारुति वैन को देखने से लगा कि मारुति वैन का एक्सीडेंट हो गया है, फिर भी वह चालू हालत में थी। अजय राय गाड़ी मोड़कर खम्भे से लेकर आये। जब अजय राय मुल्जिमान की गाड़ी लेकर आये तो मै व अजय राय तथा अन्य चार–पांच जनता के लोग जिनका नाम मै नहीं जानता, अवधेश राय को गाड़ी की पिछली लम्बी सीट पर उठाकर लादे।.... में अंदाज से बता सकता हूँ कि मुल्जिमानों ने पांच से छः गोलियां चलायी थी।... सभी मुल्जिमानों ने गाड़ी से उतरकर गोली चलायी थी।.... गोली लगने के बाद अवधेश राय का शरीर घटनास्थल पर पांच से दस मिनट तक पड़ा रहा। घटना के बाद घ टनास्थल पर मै उसी दिन दो–तीन घंटे बाद गया था। जब मै दो–तीन घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचा था तो वहां ज्यादा संख्या में पुलिस थी। जब मैं दो तीन घंटे बाद घटनास्थल पर गया था वहां अजय राय मुझे नहीं मिले, थाना चेतगंज में मिले। घटना के दो–तीन घंटे बाद जब मै घटनास्थल से होते हुये थाना चेतगंज गया तो वहां अजय राय से मिला और थाने पर मै दस–पंद्रह मिनट रहा, फिर मै थाना चेतगंज से कबीरचौरा अस्पताल गया तब मै वहां कबीरचौरा अस्पताल में तीन से चार घंटे रहा, फिर वहां से मै रात में बी.एच.यू. चीरघर गया।

इस महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी विश्वसनीय साक्षी ने भी प्रति परीक्षा मे कोई तात्विक विरोधाभाषी बयान नही दिया है तथा घटनास्थल व घटना क्रम को पूर्णतया साबित करते हुए सम्पुष्टीकारक साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

51. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण मे कोई भी मूल दस्तावेज उपलब्ध नही है। अभियोजन द्वारा मूल प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतियों पर प्रदर्श डाला गया है जो ग्राह्य नही है।

इस सम्बन्ध मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था उल्लेखनीय है जिसके अनुसार–

> If secondary evidence (Photostat copies etc.) are filed, objection as to admissibility thereof can be raised even after the document has been marked as an exhibit or even in appeal or revision. But when the objection is not directed against the admissibility of the secondary document but only against the mode of proof thereof on the ground of irregularity or insufficiency, it can be raised when the evidence is tendered but not after the document has been admitted in evidence and marked as an exhibit.
>
> **R.V.E. Venkatachala Gounder Vs. Arulmigu Viswesaraswami,** (2003) 8 SCC 752.

इसके अतिरिक्त **Smt. Sudha Agarwal Vs. VII ADJ, Ghaziabad,** 2006 (63) ALR 659 (Allahabad) के प्रकरण में मा0 न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि–

> Once the document has been admitted in evidence and marked as exhibit, objection that it should not have been admitted in evidence or that the mode adopted for proving the document is irregular, cannot be allowed to be raised at any stage subsequent to the marking of the document as an exhibit.

प्रस्तुत प्रकरण मे पत्रावली मा० इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। दौरान साक्ष्य मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **CRLMP NO (s) 2904/2015, Ajay Rai Vs. State of U.P.** मे पारित आदेश दिनाँक 23.05.2015 के अनुपालन मे मूल पत्रावली से वाँछित अभियोजन प्रपत्रों व बयान की प्रमाणित प्रतियाँ इस पत्रावली मे संलग्न की गयी। तदोपरान्त पत्रावली पर साक्ष्याँकन पूर्ण किया गया। बचाव पक्ष द्वारा दौरान साक्ष्य कभी अभियोजन प्रपत्रों की प्रामाणिकता पर प्रश्न नही किया गया तथा बचाव पक्ष द्वारा प्रपत्रों की सत्यापित प्रति की प्रासंगिकता स्वीकार की गयी है जिसका उल्लेख इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2021 में किया गया है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश मे निर्णय के स्तर पर अभियोजन प्रपत्रों पर पड़े प्रदर्श को चुनौती नही दी जा सकती।

52. बचाव पक्ष का यह तर्क कि अभियोजन प्रपत्रों पंचनामा प्रदर्श क–2 जिसकी कार्यवाही समय 14.30 से शाम 16.30 तक चली, एफ०आई०आर० दर्ज होने के बाद भी उसमे अभियुक्तगण का विवरण उपलब्ध नही है। जिससे एफ०आई०आर० के एन्टी टाइम होने की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त फोटो नाश, चालान नाश, फर्द सफेद मारुति वैन प्रदर्श क–3, नक्शा नजरी प्रदर्श क–4, फर्द बरामदगी खून आलूदा मिट्टी प्रदर्श क–5, फर्द बरामदगी खोखा कारतूस 32 बोर प्रदर्श क–6 पर भी अभियुक्तगण के नामों का कोई उल्लेख नही है। इसके अतिरिक्त आँशिक ओवर राइटिंग तथा शब्दों के आकार की भिन्नता के आधार पर भी पंचनामा का सत्यता को संदिग्ध होने का तर्क बचाव पक्ष द्वारा दिया गया।

इस सम्बन्ध मे उपरोक्त अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन सभी अभियोजन प्रपत्रों मे सबसे ऊपर सम्बन्धित मु०अ०सं० तथा धारा का विवरण अंकित है जिससे इस प्रपत्र का सन्दर्भ स्वमेव स्पष्ट हो जाता है। पंचनामे मे भी पंचो की राय मे ''मृतक की मृत्यु मु0 उपरोक्त के नामित बदमाशों के गोली मारने से हुई है।'' का अंकन है। अतः मात्र कुछ स्वाभाविक लिपिकीय त्रुटियों तथा सम्बन्धित

मुकदमे के सम्पूर्ण विवरण के अभाव मे अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता संदिग्ध नही हो जाती विशेषकर जब उनकी औपचारिक सत्यता तथा अन्तर्वस्तु को विश्वसनीय अभियोजन साक्षियों द्वारा साबित किया गया हो। बचाव पक्ष द्वारा अभिकथित समस्त अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन सब पर मु०अ०सं०, सम्बन्धित धारा तथा थाना का उल्लेख है जो सन्दर्भ हेतु पर्याप्त है। अतः मात्र अभियुक्तगण का विवरण अंकित न होने या लिखावट के दौरान हुई साधारण लिपिकीय त्रुटियों के आधार पर एफ०आई०आर० एन्टी टाइम नही कही जा सकती।

53. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया कि धारा 157 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत एफ०आई०आर० सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को अविलम्ब प्रेषित किये जाने का निर्देश देता है परन्तु वर्तमान प्रकरण मे दिनाँक 03.08.1991 को दर्ज एफ०आई०आर० सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को घटना के दो दिन बाद दि० 05.08.1991 को विलम्ब से भेजी गयी जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाती है। बचाव पक्ष द्वारा इस सम्बन्ध मे **वीर सिंह बनाम उ०प्र० सरकार** 1977 एस०सी०सी० क्रिमिनल पेज 371 पैरा 11, **ईश्वर सिंह बनाम स्टेट आफ उ०प्र०** ए०आई०आर० 1976 एस०सी० पेज 2423, **मेहराज सिंह बनाम स्टेट आफ उ०प्र०** 1995 जे०आई०सी० 757 तथा **स्टेट आफ राजस्थान बनाम तेजा सिंह** 2001(1) जे०आई०सी० 756 की विधि व्यवस्थाए प्रस्तुत की गयी जिनका उल्लेख बचाव तर्क के साथ पुर्व मे किया जा चुका है। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं मे 157 दं०प्र०सं० के अनुपालन के महत्व को मा० न्यायालय द्वारा रेखाँकित किया गया है तथा अभिनिर्धारित किया गया कि विलम्ब की दशा मे व स्पष्टीकरण के अभाव मे यह विलम्ब अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है विशेषकर जब सम्पुष्टीकारक साक्ष्य का अभाव हो, परन्तु वर्तमान प्रकरण मे अभियोजन द्वारा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध मे यह तर्क दिया गया कि घटना की तिथि को शनिवार था तथा अगले दिन रविवार अवकाश का दिन था। अतः उसके अगले दिन न्यायालय मे एफ०आई०आर० प्रस्तुत की गयी जिसकी पुष्टि आनलाइन कैलेण्डर से भी होती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रकरण मे विश्वसनीय चक्षुदर्शी व सम्पुष्टीकारक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः विधि व्यवस्था के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्य से भिन्न हैं। इसी प्रकार बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तेजा सिंह के विधि व्यवस्था के अनुसार स्वतंत्र सम्पुष्टीकारक साक्ष्य के अभाव मे एफ०आई०आर० मजिस्ट्रेट को भेजने मे हुआ विलम्ब अभियोजन कथानक की सत्यता को प्रभावित करता है। वर्तमान प्रकरण मे अभियोजन कथानक को सम्पुष्टीकारक चक्षुदर्शी स्वतंत्र साक्षियों तथा मेडिकल प्रपत्रों से बल मिलता है अतः विधि व्यवस्था के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न हैं।

एफ०आई०आर० मजिस्ट्रेट को देर से भेजे जाने के सम्बन्ध मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न विधि व्यवस्था उल्लेखनीय है जिसके अनुसार–

Delay in sending copy of FIR to the area Magistrate is not material where the FIR is shown to have been lodged promptly and investigation had started on that basis. Delay is not material in the event when the prosecution has given cogent and reasonable explanation for it. See : **Anil Rai Vs. State of Bihar,** (2001) 7 SCC 318

वर्तमान प्रकरण मे भी एफ०आई०आर० घटना के मात्र 1 घण्टे 10 मिनट बाद बिना विलम्ब के दर्ज करायी गयी तथा उसी दिन विवेचना प्रारम्भ हो गयी। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को एफ०आई०आर० कथित दो दिन के विलम्ब से भेजने के कारण को भी अभियोजन द्वारा स्पष्ट किया गया है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था प्रस्तुत प्रकरण मे पूर्णतया लागू होती है।

54. धारा 157 दं0प्र0सं0 के तहत एफ0आई0आर मजिस्ट्रेट को भेजने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा **Jagdish Murav Vs.State of U.P. & others**, 2006[2]CAR [SC] 842 की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार धारा 157 दं०प्र०सं० के तहत एफ०आई०आर० 24 घण्टे के अन्दर नजदीकी मजिस्ट्रेट को भेज देनी चाहिए और जहाँ 8 दिन के विलम्ब से भेजी गयी हो, कोई बरामदगी न हो तथा दो कथानक की सम्भावना बनती हो वहाँ दोषमुक्ति उचित है। वर्तमान प्रकरण मे यद्यपि दो दिन के विलम्ब से एफ०आई०आर० प्रेषित की गयी तथापि उसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि अगले दिन रविवार अर्थात अवकाश का दिन था। साथ ही मौके से बरामद खोखे, मारूति वैन आदि की फर्द से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण मे बरामदगी भी की गयी। अतः प्रस्तुत विधि व्यवस्था तथा वर्तमान प्रकरण के तथ्य भिन्न भिन्न हैं।

55. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन साक्ष्य के अनुसार मृतक के अत्यन्त निकट खडे चक्षुदर्शी साक्षीगण मृतक के भाई वादी अजय राय तथा विजय पाण्डेय व कतवारू को पाँच छः अभियुक्तगण द्वारा निकट से चलायी गयी गोलियों के बावजूद कोई गोली न लगना तथा खून से लथपथ भारीभरकम मृतक को वैन मे साक्षीगण द्वारा उठाकर रखने के बाद भी उनके कपडों पर खून न लगना सम्भावनाओं के परे है जो अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है क्योकि यह अत्यन्त अस्वाभाविक है। अभियुक्तगण जो वादी को मृतक के भाई के रूप मे पुर्व से जानते थे तथा वादी के पास रिवाल्वर होते हुए भी उसे मारने का प्रयास न करना अस्वाभाविक तथा अविश्वसनीय है।

इस सन्दर्भ मे प्रस्तुत प्रकरण मे अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण पुर्व योजना के अनुसार टारगेट बनाकर सिर्फ मृतक को मारने के उद्देश्य से आये थे तथा अन्य किसी को मारने मे उनकी रूची नही थी तथा यह अस्वाभाविक भी नही है। इस प्रकार के टारगेट किलिंग के केस मे अभियुक्तगण सामान्य उद्देश्य के अनुक्रम मे लक्ष्य केन्द्रित होते हैं। ऐसी दशा मे सिर्फ मृतक को लक्ष्य बनाकर फायर करना अविश्वसनीय नही कहा जा सकता। जहाँ तक साक्षियों के कपडों मे खून न लगने का प्रश्न है, अभियोजन साक्ष्य के अनुसार सभी गोलियाँ मृतक के शरीर के बायी ओर ही लगी थी जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–11 व पंचायतनामा प्रदर्श क–2 से भी होती है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी अजय राय के अनुसार भी मृतक के बायी तरफ के कपड़े पर ही खून लगा था। साक्षी के कथनानुसार मृतक को उठाकर वैन मे लादने के दौरान उनके हाथों पर भी खून लगा था। साक्षियों ने उनके कपडों पर भी खून लगने का कोई कथन नही किया है। अतः साक्षीगण द्वारा मृतक के घायल शरीर को उठाने मे रक्त साक्षियों के कपडों पर भी लगने की सम्भावना इतनी प्रबल नही है कि मात्र सम्भावना के आधार पर विश्वसनीय साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को निरस्त कर दिया जाय।

56. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि अभियोजन साक्ष्य के अनुसार मारुति वैन मे दो सीट आगे तथा एक लम्बी सीट पीछे होने का साक्ष्य अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 विजय पाण्डेय ने दिया है जबकि वादी के कथनानुसार कुल छः अभियुक्तगण बताये गये हैं जिनमे से अभियुक्त मुख्तार अंसारी स्वयं वादी के अनुसार लगभग 6 फिट 3–4 इंच की लम्बाई का है तथा अन्य अभियुक्तगण भी सामान्य कद काठी के थे। ऐसी दशा मे अधिकतम पाँच सीटों की क्षमता वाली मारूती वैन मे छः लोगों का बैठना लगभग असम्भव है।

बचाव पक्ष का यह तर्क भी पूर्णतया ग्राहय नही है। मारूती वैन मे यद्यपि आगे की जगह मात्र दो व्यक्तियों के लिए निर्धारित होती है परन्तु थोडी असुविधा के साथ तीन लोग भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा पीछे की सीट पर भी चार व्यक्तियों के बैठने की सम्भावना से साफ इन्कार नही किया जा सकता। विशेषकर जब वह किसी विशेष उद्देश्य से जा रहे हों। अतः पाँच सीटों वाली मारूती वैन मे छः लोगों का बैठना असम्भव नही है।

57. बचाव पक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत **विद्या सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य** C.A.R. page 296 की विधि व्यवस्था में मानवीय सम्भावनाओं को वरीयता देने पर बल दिया। वही **State of Rajasthan Vs. Taran singh** 2003(2)supreme (Cr.) page- 748 के प्रकरण मे साक्षियों द्वारा मृतक के शरीर को हमले के बाद उठाने के

बावजूद उनके कपडों पर खून न लगने, 12 घण्टे विलम्ब से दर्ज एफ०आई०आर० तथा साक्षियों के साक्ष्य मे गम्भीर विरोधाभाष के कारण बचाव पक्ष के कथानक को विश्वसनीय माना, परन्तु वर्तमान प्रकरण मे एफ०आई०आर० विलम्बित नही है तथा अभियोजन साक्षियों तथा मेडिकल प्रपत्रों से अभियोजन कथानक को पर्याप्त बल मिलता है। अतः विधि व्यवस्था के तथ्य प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न हैं।

बचाव पक्ष द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया कि कथित घटना का समय दोपहर 1.00 बजे न होकर सुबह 10.00 बजे का है जिसे अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 विवेचक उदयभान सिंह ने अपनी प्रति परीक्षा के पेज 4 पर स्वीकार करते हुए कथन किया है कि लगभग 10.00 बजे दिन मे मुझे घटना की सूचना मिली।––– जब मै मौके पर पहुँचा तो वहाँ किसी को नही देखा। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० एस० के त्रिपाठी ने भी मृतक के पेट मे फीकल मेटेरियल तथा पचे भोजन की स्थिति के आधार पर मृत्यु के समय को 10.00 बजे सुबह होने की सम्भावना भी व्यक्त की है।

58. इस सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नही है अतः यदि घटना के समय के विषय मे दिये गये इसके साक्ष्य को बचाव पक्ष के कथन के आलोक मे विचारित किया जाय तो भी इस साक्षी ने स्वयं यह भी कथन किया है कि जब मै मौके पर पहुँचा तो वहाँ किसी को नही देखा। अतः स्वयं इस साक्षी के समय 10.00 बजे के बाबत दिया गया बयान विरोधाभाषी है। अभियोजन कथानक के अनुसार मृतक की मृत्यु का समय मेडिकल व चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा साबित किया गया है। जहाँ तक चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० एस० के त्रिपाठी द्वारा मृतक अवधेश राय के मृत्यु के समय को 10.00 बजे सुबह होने की सम्भावना व्यक्त करने का प्रश्न है उक्त संभावना प्रति परीक्षा मे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसे इस साक्षी ने स्वयं साबित किया है, को कंसीडर न किये जाने की स्थिति मे व्यक्त की है।

59. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क 11 के रूप मे साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० एस० के० त्रिपाठी द्वारा साबित किया गया है। इस महत्वपूर्ण साक्षी ने अपनी जिरह मे यह बयान दिया है कि "आमाशय में सिर्फ पचा भोजन था अतः मात्रा कम होने की वजह से यह निष्कर्ष बनता है कि मृत्यु से लगभग 4 घंटे पहले तक उसने कुछ भी नहीं लिया होगा, ठोस पदार्थ को छोड़कर। फिकल मैटल व गैसेस सामान्य तौर पर छोटी व बड़ी आंतो में 12 घंटे के अंतराल के बाद से मिलने शुरू हो जाते हैं। मृतक की मृत्यु लगभग समय 10 बजे दिन की कुछ हद तक बनती है यदि हास्पिटल का मृत्यु सर्टिफिकेट को कंसीडर न किया जाये तब " अतः मृतक अवधेश राय की सम्भावित मृत्यु का समय सुबह 10.00 बजे

होने की प्रबल सम्भावना है क्योंकि दोपहर 1.00 बजे तक सामान्यतया व्यक्ति खाली पेट नही रहता है।

मृतक के पेट की स्थिति के सम्बन्ध मे मोदी मेडिकल ज्यूरिसप्रुडेन्स के अनुसार–

The rate of emptying of stomach varies in healthy person. The emptying of stomach depends on various factor-

1-consistency of food
2-motility of stomach
3-osmotic pressure of the stomach contants
4-quantity of food in the duodenum
5-surrounding in which food is taken
6-emotional factors and
7-residual variations

It varies in men from 2.5 to 6 hours. A meal containing carbohydrates generally leaves the stomach early and the one containing protein, later. The fatty food delays the emptying time, while liquids leave the stomach immediately after ingestion.

Modi's Medical Jurisprudence and toxicology, chapter 14, p.450

अतः स्पष्ट है कि हर व्यक्ति की दिनचर्या तथा उसके पाचन क्षमता व लिये गये भोजन के कन्टेनट्स पर उसके पेट की खाली होने की स्थिति निर्भर करती है। डाक्टर के साक्ष्य के सम्बन्ध मे मा० सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित अभिमत महत्वपूर्ण है जिसके अनुसार–

Evidence of the Doctor being the opinion, it cannot nullify the evidence of eyewitnesses if the evidence of eye-witnesses is unimpeachable.

Prem Vs. daula AIR 1997 SC 715

इसी सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित एक अन्य विधि व्यवस्था के अनुसार

The state of the contents of the stomach found at the time of medical examination is not a safe guide for determining the time of the occurance because that would be a matter of speculation, in the absence of reliable evidence on the question as to when the deceased had his last meal and what that meal consisted of.

Masjit Tato Rawool Vs. State of Maharashtra, AIR 1971Sc 2119

मृतक के पेट मे मौजूद मल के आधार पर मृत्यु के समय का अनुमान लगाने के सम्बन्ध मे मा० न्यायालय द्वारा निम्न विधि व्यवस्था पारित की गयी–

The presence of feacal matter in the intestines is not conclusive,as the deceased might be suffering from constipation. Where there is positive direct evidence about the time of occurance, it is not open to the court to speculate about the time of occurance by the presence of feacal matter in the intestine.

Sheo Darshan Vs. State of Uttar Pradesh, AIR 1971 SC 1794

अतः मृत्यु के समय के सम्बन्ध मे चक्षुदर्शी साक्षी के बयान को डाक्टर के बयान पर वरीयता देना मा० सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त मंशा के अनुकूल है तथा मृतक के पेट मे मौजूद अन्य कारकों के आधार मात्र पर मृत्यु के समय का अनुमान लगाने को सुरक्षित नही माना गया। वर्तमान प्रकरण मे चक्षुदर्शी साक्षियों ने भी मृत्यु का समय दोपहर घटना के बाद अस्पताल मे समय 1.00 बजकर 35 मिनट बताया है जिसे चिकित्सक साक्षी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा मे पुष्ट किया है। अतः मात्र सम्भावनाओं के आधार पर चिकित्सक द्वारा दी गयी राय पर विश्वास नही किया जा सकता है विशेषकर जब चक्षुदर्शी साक्ष्य उपलब्ध हो।

60. मृत्यु के समय के निर्धारण के सम्बन्ध मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न विधि व्यवस्थाए उल्लेखनीय है जो वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों मे मार्गदर्शन करती हैं।

In **P Venkaiah Vs. State of Andhra Pradesh**, (AIR 1985 SC 1715, (1985) 2 Crimes 746) it was held by the Supreme Court that the medical science is not yet so perfect as to determine the exact time of death nor can the same be determined in a computerised or mathematical fashion so as to be accurate to the last second.

उपरोक्त विधि व्यवस्था मे मा० सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल साइन्स की क्षमताओं व सीमाओं की व्याख्या करते हुए कहा है कि मेडिकल विज्ञान से मृत्यु का सही सही समय बताने की अपेक्षा नही की जा सकती। अतः बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत **मोती बनाम उ0प्र0 राज्य** 2003 (1) supreme court (cr) 620 तथा **फिदा हुसैन बनाम उ0प्र0 राज्य** 2023 (1) J.I.C. के प्रकरण मे मेडिकल तथा मौखिक साक्ष्य के बीच विसंगति की दशा मौके पर साक्षियों की उपस्थिति को संदिग्ध माना गया परन्तु वर्तमान प्रकरण मे मृतक की मेडिकल रिपोर्ट, मौखिक साक्ष्य के अनुरूप है तथा बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षा के दौरान सम्भावनाओं के आधार पर पूछे गये प्रश्न के उत्तर को दृष्टिगत रखकर यह नही कहा जा सकता कि मेडिकल तथा मौखिक

साक्ष्य मे विसंगति है। अतः विधि व्यवस्था तथा वर्तमान प्रकरण के तथ्य भिन्न भिन्न हैं।

61. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रकरण मे घटनास्थल पर वादी की चार पहिया वाहन मय ड्राइवर उपलब्ध होने के बाद भी अभियुक्तगण द्वारा छोडी गयी वैन से घायल भाई को ले जाना, अनावश्यक रूप से गेट से बाहर खडे होकर बातचीत करना, आदि तथ्य भी अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाते हैं। इस सम्बन्ध मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न विधि व्यवस्थाए उल्लेखनीय है।

> Doubts would be called reasonable if they are free from a zest for abstract speculation. Law cannot afford any favorite other than truth. To constitute reasonable doubt, it must be free from an over-emotional response. Doubts must be actual and substantial doubts as to the guilt of the accused persons arising from the evidence, or from the lack of it, as opposed to mere vague apprehensions. A reasonable doubt is not an imaginary, trivial or a merely possible doubt; but a fair doubt based upon reason and common sense. It must grow out of the evidence in the case. The concepts of probability, and the degrees of it, cannot obviously be expressed in terms of units to be mathematically enumerated as to how many of such units constitute proof beyond reasonable doubt. There is an unmistakable subjective element in the evaluation of the degrees of probability and the quantum of proof. Forensic probability must, in the last analysis, rest on a robust common sense and, ultimately, on the trained intuitions of the judge. While the protection given by the criminal process to the accused persons is not to be eroded, at the same time, uninformed legitimization of trivialities would make a mockery of administration of criminal justice. Exaggeration of the rule of benefit of doubt can result in miscarriage of justice. Letting the guilty escape is not doing justice. A Judge presides over the trial not only to ensure that no innocent is punished but also to see that guilty does not escape.
>
> See : **Bhagwan Jagannath Markad Vs. State of Maharashtra,** (2016) 10 SCC 537

अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश मे यह स्पष्ट हो जाता है कि साक्ष्य के अभाव मे मात्र सम्भावनाओं के आधार पर उत्पन्न संदेह का लाभ पाने का अभियुक्त अधिकारी नही है। जहाँ तक वादी द्वारा स्वयं के वाहन की जगह अभियुक्तगण द्वारा

प्रयुक्त वाहन से मृतक को अस्पताल ले जाने का प्रश्न है स्वाभाविक रूप से अचानक घटी ऐसी घटना व परिस्थितियों मे हर व्यक्ति की प्रतिक्रीया तथा कार्य तत्तकालीन परिस्थितयों मे अलग अलग होता है। अतः वर्तमान प्रकरण मे भी बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क मात्र सम्भावनाओं के आधार पर प्रस्तुत किये हैं जिनके समर्थन मे कोई साक्ष्य नही है।

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित एक अन्य विधि व्यवस्था के अनुसार संदेह युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक या मात्र सम्भावनाओं पर आधारित होना चाहिए।

> A reasonable doubt is not an imaginary, trivial or merely possible doubt, but a fair doubt based upon reason and common sense. It must grow out of the evidence in the case. If a case is proved perfectly, it is argued that it is artificial, if a case has some inevitable flaws because human beings are prone to err; it is argued that it is too imperfect. Vague hunches cannot take the place of judicial evaluation.
>
> See : **Ramesh Harijan Vs. State of UP,** (2012) 5 SCC 777

इसी क्रम मे एक अन्य विधि व्यवस्था मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदेह के लाभ के नियम को पुनः परिभाषित करते हुए अभिमत व्यक्त किया कि

> Exaggerated devotion to the rule of benefit of doubt must not nurture fanciful doubts or lingering suspicious and thereby destroy social defence. Justice cannot be made sterile on the plea that it is better to let a hundred guilty escape than punish an innocent. Letting the guilty escape is not doing justice according to law.
>
> See : **Bhagwan Jagannath Markad Vs. State of Maharashtra,** (2016) 10 SCC 537

अतः उपरोक्त न्याय निर्णयन के प्रकाश मे यह स्थापित हो जाता है संदेह का लाभ मात्र परिकल्पनाओं या सम्भावनाओं के आधार पर नही बल्कि साक्ष्य से समर्थित तथा तर्कसंगत होना चाहिए। अतः बचाव पक्ष द्वारा मात्र सम्भावनाओं के आधार पर उत्पन्न संदेह तर्कसंगत तथा युक्तियुक्त नही कहे जा सकते हैं।

62. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का घटना के पीछे का हेतुक अभियोजन द्वारा साबित नही किया गया है तथा तथ्य के अभाव मे रंजिश पर्याप्त रूप से साबित नही है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष द्वारा दिया गया यह तर्क कि अभियुक्त मुख्तार अंसारी का इस हत्या के पीछे कोई हेतुक नहीं दर्शाया गया है, तर्क संगत नहीं है क्योंकि यदि अभियुक्त तथा वादी व मृतक के बीच कोई मोटिव अथवा रंजिश नही थी तो वादी द्वारा अभियुक्त मुख्तार अंसारी के विरूद्ध झूंठी एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का कोई कारण प्रकट नही होता है। अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण आपस में साथी व एक गोल के थे। अतः उनके सामान्य उद्देश्य से इंकार नही किया जा सकता। इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न विधि व्यवस्था उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार–

"question of motive is not material where there is direct evidence of the acts of accused."

(State of U.P. vs Akhlaq; 2010(71) ACC 764 (All HC, LB)

उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि जहॉ पर प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हो वहॉ मोटिव साबित करना आवश्यक नही होता है। अतः मोटिव का न होने का तर्क बलहीन प्रतीत होता है क्योकि प्रस्तुत प्रकरण मे भी चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा समस्त अभियोजन कथानक को साबित किया गया है।

63. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि कथित बरामद सफेद मारूति वैन को चोरी का बताया गया है जिसकी सूचना घटना के कई दिन बाद थाने पर दी गयी। अभियोजन द्वारा वाहन स्वामी को परिक्षित नही कराया गया। अतः प्रकरण संदेहास्पद है। इस सम्बन्ध मे पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि बरामद मारुति वैन के चोरी की एफ०आई०आर० घटना के कई दिन बाद दर्ज करायी गयी तथा वाहन स्वामी को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत भी नही किया गया परन्तु अभियोजन द्वारा कारित इस त्रुटि मात्र के आधार पर समस्त अभियोजन कथानक असत्य नही माना जा सकता विशेषकर जब तथ्य के चक्षुदर्शी साक्षियों तथा मेडिकल व अन्य औपचारिक साक्षियों द्वारा विवाद्यक तथ्य को संदेह से परे साबित किया गया हो।

64. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि प्रकरण मे विवेचना त्रुटिपूर्ण है। कथित रूप से बरामद कोई भी वस्तु को न्यायालय मे वस्तु प्रदर्श के रूप मे साबित नही किया गया है। किसी भी हथियार की बरामदगी नही की गयी। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शरीर से बरामद गोलियॉ जिन्हे डक्टर द्वारा सुपुर्द किया गया था वह भी प्रस्तुत नही की गयी। यहॉ तक कि वादी द्वारा कथित रूप से बचाव मे प्रयुक्त रिवाल्वर तथा घटनास्थल से बरामद खोखा कारतूस व गोलियॉ तथा खून आलूदा मिट्टी या एफ०एस०एल० की रिपोर्ट या बैलिस्टिक रिपोर्ट को भी न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया गया। मौके से बरामद चार कारतूस एफ०एल०एल० रिपोर्ट हेतु भेजे गये थे परन्तु तीन ही प्राप्त बताये गये है और वह भी प्रस्तुत नही किये गये। अतः अभियोजन कथानक पूर्णतया संदेहास्पद प्रतीत होता है।

वर्तमान प्रकरण मे बरामदशुदा वस्तुओं को न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया गया। इसके अतिरिक्त विवेचना सम्बन्धी विभिन्न त्रुटियाँ साक्ष्य संकलन के स्तर पर विवेचक द्वारा कारित की गयी। यह प्रकरण लगभग 31 वर्ष पुराना है जिसमे साक्ष्य के दौरान विवेचक द्वारा संकलित वस्तुओं को न्यायालय मे प्रस्तुत किया जाना आपेक्षित था। पत्रावली पर उपलब्ध का०सं० 190ख जो प्रभारी निरीक्षक चेतगंज द्वारा माल मुकदमाती की अनुपलब्धता के सम्बन्ध मे प्रस्तुत रिपोर्ट है, के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दौरान साक्ष्य लगभग 31 वर्षों बाद यह आख्या प्रस्तुत की गयी कि मालखाना भवन बरसात मे ध्वस्त हो चुका है। तत्कालीन मालखाना इन्चार्ज की मृत्यु हो चुकी है। सम्बन्धित माल दाखिल होना नही पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकरण मे विवेचक द्वारा विवेचना सम्बन्धी कई त्रुटियाँ कारित की गयी। यद्यपि प्रकरण मे औपचारिक साक्ष्य का साक्ष्याँकन घटना के लगभग 31 वर्षों बाद प्रारम्भ किया गया तथापि माल मुलदमाती व एफ०एस०एल० रिपोर्ट व बैलिस्टिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आपेक्षित था, परन्तु साथ ही न्यायालय इस तथ्य की उपेक्षा नही कर सकती कि प्रकरण मे कुछ अभियुक्तगण की गिरफ्तारी घटना के कई वर्षों बाद हुई तथा प्रयुक्त हथियार की बरामदगी नही की जा सकी। अतः बैलिस्टिक रिपोर्ट अधिकतम मात्र बरामद कारतूस व खोखे के सम्बन्ध मे प्राप्त किया जा सकता था परन्तु प्रयुक्त हथियार की बैलिस्टिक रिपोर्ट के अभाव मे कारतूस व खोखे की रिपोर्ट का सीमित महत्व होता है।

65. विवेचक द्वारा हथियार व कारतूस खोखे की बैलिस्टिक रिपोर्ट प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध मे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था मे मा० सर्वोच्च न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया है कि–

> Non sending of weapons of assault, cartridges and pellets to ballistic experts for examination would not be fatal to the case of the prosecution if the ocular testimony is found credible and cogent.
>
> See :**Maqbool Vs. State of A.P.,** AIR 2011 SC 184

वर्तमान प्रकरण मे भी यद्यपि घटना मे प्रयुक्त कोई भी हथियार या खोखा कारतूस आदि के सम्बन्ध मे कोई विशेषज्ञ आख्या पत्रावली पर उपलब्ध नही है तथा साक्ष्य संकलन मे भी विवेचक द्वारा विभिन्न स्तर पर लापरवाही व त्रुटियाँ कारित की गयी तथापि मात्र इस आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को निरस्त नही किया जा सकता क्योंकि विश्वसनीय चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा इसे साबित किया गया है जिसे औपचारिक साक्षियों ने भी पर्याप्त रूप से पुष्ट किया है।

विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान कारित त्रुटियों के सम्बन्ध मे एक अन्य विधि व्यवस्था के अनुसार–

The investigating officer is not obliged to anticipate all possible defences and investigate in that angle. In any event, any omission on the part of the investigating officer cannot go against the prosecution. Interest of justice demands that such acts or omission of the investigating officer should not be taken in favour of the accused or otherwise it would amount to placing a premium upon such ommissions.

See : Rahul Mishra Vs. State of Uttarakhand, AIR 2015 SC 3043

वर्तमान प्रकरण मे जैसा की साक्षी अजय राय वादी का कथन है कि उसने विवेचक को अपना असलहा दिया था लेकिन विवेचक ने सुरक्षा कारणों से उसे लौटा दिया था। अतः विवेचक द्वारा वादी द्वारा कथित रूप से प्रयुक्त हथियार को उपलब्ध होने के बाद भी विशेषज्ञ आख्या हेतु न भेजना इस बात की पुष्टि करता है कि उसके द्वारा दौरान परीक्षण बचाव पक्ष के सम्भावित तर्कों की प्रत्याशा नही की थी।

पुनः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था मे मा० सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि

When there is ample unimpeachable ocular evidence corroborated by medical evidence, mere non-recovery of weapon from the accused does not affect the prosecution case relating to murder. See : **Nankaunoo Vs. State of UP,** (2016) 3 SCC 317 (Three-Judge Bench)

यह विधि व्यवस्था भी वर्तमान प्रकरण पर पूर्णतया लागू होती है जहाँ अभियोजन कथानक को न केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया गया है बल्कि मेडिकल साक्ष्य से भी पर्याप्त रूप से सम्पुष्ट किया गया है।

66. इसी प्रकार खून आलूदा मिट्टी आदि के सम्बन्ध मे आख्या अनुपलब्ध होने के सम्बन्ध मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न विधि व्यवस्था उल्लेखनीय है जिसके अनुसार

If the evidence of eye witnesses is otherwise trust worthy, non-availability or non-ascertainability of Blood Group/ Blood Marks /Blood Stains report cannot be made a basis to discard the witnesses who otherwise inspire confidence of the court and are believed by it.

See : Keshavlal Vs. State of M.P., (2002) 3 SCC 254.

वर्तमान प्रकरण मे भी अभियोजन कथानक को चक्षुदर्शी साक्षियों ने साबित किया है तथा जिसकी मेडिकल आख्या व चिकित्सक के साक्ष्य से भी पर्याप्त सम्पुष्टि होती है।

67. बचाव पक्ष का एक तर्क यह भी है कि वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क 1 मे अभियुक्तगण के हाथों मे असलहा होने का उल्लेख है परन्तु उसका कोई विवरण नही दिया गया है जबकि वादी स्वयं लाइसेन्सधारी तथा असलहों का जानकार था। तहरीर एफ०आई०आर० मे यह लोप उसकी सत्यता पर गम्भीर संदेह उत्पन्न करता है।

आपराधिक परीक्षण मे एफ०आई०आर० के महत्व को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न विधि व्यवस्थाओं मे रेखाँकित किया गया है।

> It is settled law that an FIR registered under Section 154 CrPC is not substantive piece of evidence.
>
> See **: Bable Vs. State of Chhattisgarh,** AIR 2012 SC 2621

इसके अतिरिक्त तहरीर एफ०आई०आर० के आवश्यक अवयवों को मा० सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न विधि व्यवस्था मे अभिव्यक्त किया है–

> The FIR is not the encyclopedia of all the facts relating to crime. The only requirement is that at the time of lodging FIR, the informant should state all those facts which normally strike to mind and help in assessing the gravity of the crime or identity of the culprit briefly.
>
> See : **Bhagwan Jagannath Markad Vs. State of Maharashtra, (2016) 10 SCC 537**

वर्तमान प्रकरण मे भी वादी ने लिखित तहरीर प्रदर्श क 1 मे घटना का संक्षिप्त तथा सटीक विवरण दिया है जिसमे सामान्य व्यक्ति के दिमाग मे तत्समय प्रतीत सभी आवश्यक अवयवों जैसे घटना कि तिथि समय व स्थान परिस्थितियाँ व घटना क्रम का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश मे मात्र अभियुक्तगण के द्वारा प्रयुक्त हथियारों का विवरण न देने के कारण तहरीर एफ०आई०आर० को अविश्वसनीय नही माना जा सकता है।

68. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था **थानेदार सिंह बनाम स्टेट आफ एम0पी0** 2002 (1) J.I.C. 68 (S.C.) के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्य से भिन्न हैं क्योकि उक्त प्रकरण मे इनक्वेस्ट रिपोर्ट व साइट प्लान मे एफ०आई०आर० का उल्लेख नही था जबकि प्रस्तुत प्रकरण मे सम्बन्धित अभियोजन प्रपत्रों मे मु०अ०सं० तथा धारा का विवरण दिया गया है। इसी प्रकार बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत

रामदौर पाठक बनाम राज्य 1983 L.Cr.R. 15 के प्रकरण मे मा० न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि जहाँ एफ०आई०आर० की सत्यता संदिग्ध हो जाती है वहाँ अभियोजन कथानक विश्वसनीय नही रह जाता है। प्रस्तुत प्रकरण मे तहरीर व एफ०आई०आर० की विश्वसनियता को अभियोजन साक्षियों ने साबित किया है। अतः प्रकरण के तथ्य भिन्न भिन्न हैं। इसी क्रम मे बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था **बिजेन्द्र व रामबाबू बनाम स्अेट** 1993 U.P. Cr. R. Page 209 मे मृतक का शव भेजने तथा प्राप्त करने मे लगे अनावश्यक विलम्ब के कारण एफ०आई०आर० को एन्टी टाइम माना गया तथा ऐसी दशा मे अभियोजन कथानक को भी विश्वसनीय नही पाया गया। वर्तमान प्रकरण मे घटना के दिन शाम तक चले पंचायतनामा की कार्यवाही के बाद उसी रात शव को पोस्टमार्टम हेतु चीरघर मे प्राप्त कराया गया। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षियों ने भी अभियोजन कथानक को वर्तमान प्रकरण मे साबित किया है। अतः प्रकरण के तथ्य विधि व्यवस्था से भिन्न हैं।

69. बचाव पक्ष का तर्क है कि वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क–1 तथा उसके बयान बतौर पी०डब्लू० 1 मे कुल छः अभियुक्तगण का उल्लेख है जिनमे से एक अज्ञात को छोड़कर शेष का नाम स्पष्ट बताया है जबकि विजय पाण्डेय ने बतौर पी०डब्लू० 2 एक अज्ञात सहित कुल पाँच अभियुक्तगण को घटना कारित करते देखने का साक्ष्य दिया है जो गम्भीर विरोधाभाष है। इस सम्बन्ध मे अभियोजन साक्ष्य के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा प्रयुक्त वैन के शीशे पर काली फिल्म चढी थी। स्वाभाविक है कि काली फिल्म लगी शीशे की वैन के अन्दर देखना तथा उसके पार देखना भी स्वयं मे दुरूह होता है विशेषकर गोलीबारी के बीच। यह भी साक्ष्य है कि समस्त घटना कुछ ही मिनटों मे सम्पन्न हुई। गोलीबारी के दौरान स्वाभाविक रूप से घटना स्थल पर मृतक के निकट खडे दोनो चक्षुदर्शी साक्षियों ने सुरक्षित स्थान पर शरण लेना या भागना उचित समझा। साक्षी पी०डब्लू० 2 विजय पाण्डे ने प्रति परीक्षा मे कथन किया है कि "मारुति वैन के दोनों दरवाजे स्लाइडिंग से खुले थे। मारुति वैन कौन चला रहा था मै नहीं बता सकता। मारुति वैन से चार–पांच लोग उत्तरे थे। मारुति वैन से चार–पांच लोग उतरने के बाद उस मारुति वैन में अन्य कोई बैठा था अथवा नहीं मुझे ध्यान नहीं है। मैं चार–पांच मुल्जिमानों को मारूति वैन से उतरने के बाद दोबारा किसी अन्य को मारूति वैन से उतरते नहीं देखा।" इस साक्षी ने पास की गली मे भागने का कथन किया है। अतः दोनो चक्षुदर्शी साक्षियों की मौजूदगी तत्समय भिन्न भिन्न स्थान पर होने का साक्ष्य है। स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा उस स्थान विशेष से जितने भी अभियुक्तगण दिखायी दिये, उनका स्पष्ट उल्लेख उनके द्वारा अपने बयानों मे किया गया। अतः यद्यपि साक्षी पी०डब्लू 1 वादी द्वारा एक अज्ञात सहित कुल छः अभियुक्तगण बताये गये जबकि पी०डब्लू 2 विजय पाण्डेय द्वारा एक अज्ञात सहित कुल पाँच अभियुक्तगण बताये गये हैं तथापि इस

मतभेद या विरोधाभाष के बावजूद प्रकरण मे मृतक की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण मे एकत्रित विधिविरुद्व जमाव हेतु आवश्यक न्यूनतम पाँच अभियुक्तगण की उपस्थिति को दोनो साक्षियों ने साबित किया है।

70. बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षियों के बयानो मे आयी अन्य विसंगतियों की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया और तर्क दिया गया कि पी०डब्लू० 1 वादी तथा पी0डब्लू0 2 विजय पाण्डेय के बयानों मे आये विरोधाभाष जैसे अभियुक्तगण की संख्या, वादी के गली मे भागने तथा मृतक को अस्पताल लेकर जाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध मे विरोधाभाषी बयानों का उल्लेख किया। इस सम्बन्ध मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न विधि व्यवस्था का उल्लेख आवश्यक है जिसके अनुसार

> One statement by one of witnesses may not be taken out of context to abjure guilt on the part of all accused persons. When the case of the prosecution is based on evidence of eye witnesses, some embellishments in prosecution case caused by evidence of any prosecution witness although not declared hostile, cannot by itself be ground to discard entire prosecution case. On the basis of mere statement of one P.W. on a particular fact, the other P.W. cannot be disbelieved.
>
> See : **Bhanwar Singh Vs. State of M.P.,** AIR 2009 SC 768

अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश मे यह स्पष्ट है कि दो साक्षियों के बयानो मे एक तथ्य के बारे मे आये आँशिक विरोधाभाषों के परिप्रेक्ष्य मे उनकी विश्वसनियता का निर्धारण नही किया जा सकता है।

इसी सम्बन्ध मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो साक्षियों के बयानो मे आये विरोधाभाष को धारा 145 साक्ष्य अधिनियम के परिप्रेक्ष्य मे साक्ष्यिक महत्व को रेखाँकित करते हुए अभिनिधारित किया कि

> Sec. 145 of the Evidence Act applies when the same person makes two contradictory statements it is not permissible in law to draw adverse inference because of alleged contradictions between one prosecution witness vis-à-vis statement of other witnesses. It is not open to court to completely demolish evidence of one witness by referring to the evidence of other witnesses. Witness can only be contradicted in terms of Section 145 of the Evidence Act by his own previous statement and not with the statement of any other witness. Sec. 145 has no application where a witness is sought to be

contradicted not by his own statement but by the statement of another witness.

See : **Chaudhary Ramjibhai Narasangbhai Vs. State of Gujarat,** AIR 2004 SC 313

अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश मे एक साक्षी के बयानो के आधार पर दूसरे साक्षी की विश्वसनियता निर्धारित नही की जा सकती तथा साक्ष्य अधिनियम के प्राविधान के अन्तगत ऐसे साक्षी को परिक्षित किये जाना आपेक्षित है।

71. इसके अतिरिक्त जहाँ तक साक्षी पी०डब्लू० 2 विजय पाण्डेय द्वारा वैन के पोल से टकराने के सम्बन्ध मे दिये बयान का प्रश्न है इस साक्षी ने यद्यपि अभियुक्तगण की मारूति वैन के घटना स्थल पर टेलीफोन के खम्भे से टकराकर रूकने का कथन किया है परन्तु स्वयं यह भी स्वीकार किया है कि वह गोलीयाँ चलने के दौरान गली मे छिप गया था तथा आगे कथन किया है कि मारूति वैन को देखने से लगा कि इसका ऐक्सीडेंट हो गया है। अर्थात इस साक्षी ने वैन के पोल से टकराने वाली घटना स्वयं नही देखी तथा वैन की स्थिति देखकर अनुमान से बताया कि उसकी टक्कर टेलीफोन पोल से हुई। अभियुक्तगण द्वारा वैन छोड़कर भागने से भी उसके अनुमान को बल मिला।

साक्षियों के बयानो मे आयी विसंगतियों, विरोधाभाषों व बढोत्तरी के समबन्ध मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न विधि व्यवस्थाए उल्लेखनीय हैं जिसके अनुसार–

If there are no material discrepancies or contradictions in the testimony of a witness, his evidence cannot be disbelieved merely on the basis of some normal, natural or minor contradictions, inconsistencies, exaggerations, embellishments etc. The distinction between material discrepancies and normal discrepancies are that minor discrepancies do not corrode the credibility of a party's case but material discrepancies do so.

See : **Mukesh Vs. State for NCT of Delhi & Others,** AIR 2017 SC 2161 (Three-Judge Bench)

पुनः मा0 न्यायालय ने एक अन्य विधि व्यवस्था में अभिमत व्यक्त किया कि

Minor contradictions in the testimonies of the Prosecution Witness are bound to be there and infact they go to support the truthfulness of the witnesses.

See: **Bhagwan Jagannath Markad Vs. State of Maharashtra,** (2016) 10 SCC 537

वर्तमान प्रकरण मे घटना सन 1991 की है तथा पी०डब्लू० 1 वादी का आँशिक बयान घटना के लगभग 16 वर्ष बाद सन 2007 मे दर्ज किया गया जो जारी रहा। फिर लगभग 15 वर्षों बाद शेष बयान पूर्ण हो सका। तथा पी०डब्लू० 2 विजय पाण्डेय का बयान भी घटना के लगभग 31 वर्ष बाद दर्ज किया जा सका। स्वाभाविक रूप से घटना के लगभग 31 वर्ष बाद तथ्य के चक्षुदर्शी साक्षियों के दर्ज बयान मे आँशिक विसंगतियाँ उनकी वास्तविकता तथा सत्यता की पुष्टि करती है। इस उपधारणा को मा० सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निम्न न्याय निर्णयन द्वारा सम्पुष्ट किया है, जिसके अनुसार–

> When witnesses are examined in the court after a considerable lapse of time, it is neither unnatural nor unexpected that there can be some minor variations in the statements of the prosecution witnesses.
>
> See: **Dharnidhar Vs. State of U.P., 2010 (6) SCJ 662.**

72. अभियोजन साक्षियों के बयानो मे आयी आँशिक विसंगतियों के सम्बन्ध मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न विधि व्यवस्था भी उल्लेखनीय है जिसके अनुसार–

> There are minor inconsistencies in the statements of witnesses and FIR in regard to number of blows inflicted and failure to state who injured whom, would by itself not make the testimony of the witnesses unreliable. This, on the contrary, shows that the witnesses were not tutored and they gave no parrot like stereotyped evidence.
>
> See : **Maqsoodan Vs. State of U.P.,** (1983) 1 SCC 218 (Three-Judge Bench)

वर्तमान प्रकरण मे भी साक्षियों ने किस अभियुक्त द्वारा कितनी गोली चलायी गयी अथवा किसके हाथ मे क्या हथियार थे इस सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य देने मे असमर्थता व्यक्त की है जो प्रकरण की परिस्थितियों मे स्वाभाविक है क्योंकि चंद मिनटों के अन्दर अचानक घटी ऐसी घटना मे ऐसे सूक्ष्म तथ्यों का अवलोकन कर पाना स्वमेव दुरूह होता है। इसके अतिरिक्त साक्षियों द्वारा विभिन्न सूक्ष्म तथ्यों के सम्बन्ध मे पूछे गये प्रश्नों के उत्तर ध्यान नही है या जानकारी नही है के रूप मे दिया है जो उनकी स्वाभाविकता को प्रमाणित करता है। अतः अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्वाभाविक तथा वास्तविकत प्रतीत होता है।

जहाँ अभियोजन साक्षियों द्वारा घटना का सिलसिलेवार विवरण दिया गया हो वहाँ उनकी विश्वसनियता प्रमाणित है। इस सम्बन्ध मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न विधि व्यवस्था उल्लेखनीय है जिसके अनुसार–

Where the witnesses give consistent version of the incident, it has been held by the Supreme Court that the consistent testimony of the witnesses should be held credible.

See **: Nankaunoo Vs. State of UP,** (2016) 3 SCC 317 (Three-Judge Bench).

73. वर्तमान प्रकरण मे पी०डब्लू० 2 विजय पाण्डे द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि मृतक अपने आवास के गेट पर खडा था और मारूती वैन 10–15 फिट की सड़क के दूसरी तरफ हथुआ मार्केट की दीवार से के पास 5 से 7 फिट की दूरी पर रुकी और अभियुक्तगण द्वारा वैन से निकलकर फायर किया गया। मृतक के शरीर पर आयी समस्त चोटे बायी तरफ हैं अर्थात सभी हमलावर मृतक के एक साइड से फायर किये। इस प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साक्षियों के बयान की पुष्टी होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक के शरीर पर कोई Blackening, charing या tatuing नही पायी गयी। फोरेन्सिक मेडिसिन के अनुसार–

"At range beyond 2 to 3 feet little or no trace of the powder can be observed"

– Glaister's "Recent advances in forensic Medicine" 2nd Edn. P.11

पुनः इस सम्बन्ध मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न विधि व्यवस्था का उल्लेख समीचीन है–

Having regard to the aforesaid impressive array of authorities on Medical Jurisprudence, the supreme court observed that, carboneous tattooing would not be found beyond range of 14 inches from the mouth of the muzzle of the weapon. It was also observed that by the apex court that charring around the wound occour when it is caused by a revolver like weapon within or about 2 or 3 inches from the muzzle of the revolver.

-K.M. Nanawati Vs. state of Maharashtra ,AIR 1962 SC 605

मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य प्रकरण में भी ऐसा ही मत व्यक्त किया है जिसके अनुसार

Where the wound was caused from gun fire, blackening could be found only when the shot was fired from a distance of about 3 to 4 feet and not beyond the same.

See : Budh Singh Vs. State of MP, AIR 2007 SC (Suppl) 267

वर्तमान प्रकरण मे अभियोजन साक्ष्य के अनुसार 10 से 15 फिट चौड़ी सड़क के एक तरफ मृतक खडा था तथा सडक के दुसरी तरफ अभियुक्तगण की वैन

आकर रुकी। ऐसी दशा मे मृतक तथा पिस्टल के बीच की दूरी न्यूनतम 4 से 5 फिट की होना स्वाभाविक है। अतः मृतक अवधेश राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चक्षुदर्शी साक्षीगण के साक्ष्य को पर्याप्त रूप से सम्पुष्ट करते हैं।

74. बचाव पक्ष द्वारा गन शाट इन्जरी के प्रकृति को संदेहास्पद बताया गया। पी०एम०रिपोर्ट प्रदर्श क–11 के अनुसार पहली व दूसरी चोट जिसको इन्ट्री व एक्जिट प्वाइंट बताया गया है, की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ तथा चोट सं० 4 की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है। यह भी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि सभी गोलियाँ स्टैडिंग अवस्था मे मारी गयी। इस सम्बन्ध मे अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण जिनमे विचारित अभियुक्त मुख्तार अंसारी की लम्बाई औसत से ज्यादा थी के द्वारा अस्थिर स्थिति मे फायर किये जाने की दशा मे स्वाभाविक रुप से चोट या गोली की दिशा एक सी होना सम्भव नही है। अतः इस सम्बन्ध मे भी अभियोजन कथानक पुष्ट होता है। जहॉ तक बचाव पक्ष के इस कथानक का सम्बन्ध है कि मृतक को वैन से निकलने के दौरान किसी अंजान व्यक्ति ने गोली मारी गयी, यह कथानक मृतक के पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार स्वतः खण्डित हो जाता है क्योंकि उक्त पोस्ट मार्टम रिपोर्ट लगभग स्थिर व्यक्ति को एक व्यक्ति द्वारा शरीर के तीन भिन्न स्थानों पर विभिन्न मुद्राओं में गोली मारने की सम्भावना को क्षीण करता है।

75. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर आयी चोट नं0 3 जिसे एब्रेडेड कन्ट्रूजन बताया गया है, उसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है क्योकि अभियोजन कथानक के अनुसार मृतक के शरीर पर गन शाट इन्जरी के अलावा किसी अन्य चोट का कोई विवरण नही दिया गया है। इस सम्बन्ध मे यह स्वाभाविक है कि मृतक गोली लगने के बाद खडा नही रहा होगा तथा जमीन पर गिरने के दौरान यह चोट आने की प्रबल सम्भावना है।

76. बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक के विपरीत यह कथानक प्रस्तुत किया गया कि मृतक कही बाहर से उक्त वैन से आया और जैसे ही गेट खोला वैसे ही एक दो अज्ञात व्यक्तियों ने मृतक को वैन के अन्दर ही गोली मारकर भाग गये तथा मृतक का सिर वैन के बाहर की तरफ लुढ़क गया। वादी से प्रति परीक्षा के दौरान सूचक प्रश्न के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध मे जैसा कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका है कि मृतक की चोटे बचाव पक्ष के कथानक की सम्भावना को निरस्त करते हैं। Blackening, charing या tatuing की अनुपस्थिति मे 2 या 3 फिट की दूरी से गोली मारने की सम्भावना नगण्य है। अतः बचाव कथानक मात्र कल्पना पर आधारित तथा निराधार प्रतीत होता है।

77. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि साक्षी पी०डब्लू० 1 वादी के अनुसार उसने बचाव मे अपनी रिवाल्वर से वैन पर फायर किया जो वैन के पीछे लगी थी जबकि फर्द बरामदगी वैन प्रदर्श क–3 के अनुसार वैन मे दाये तीन गोली व सामने एक गोली लगी दर्शायी गयी है। यह एक महत्वपूर्ण विरोधाभाष है। बचाव पक्ष द्वारा **सतपाल बनाम दिल्ली प्रशासन क्रिमिनल रिपोर्टर** (SC) 1975 page 597, **बद्री बनाम स्टेट आफ राजस्थान** 1975 C.L.R. (SC) page 678 तथा **विनोद कुमार बनाम उ०प्र०राज्य** 1985 A.C.R.J. page 40 मे पारित विधि व्यवस्थाए प्रस्तुत की जिनमे साक्षियों के बयानो मे आये गम्भीर विरोधाभाषों के कारण साक्षी को विश्वसनीय नही माना गया व अभियुक्त को दण्डित किया जाना सही नही माना गया।

इस सम्बन्ध मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अद्यतन विधि व्यवस्था उल्लेखनीय है जिसके अनुसार–

> Maxim "falsus in uno, falsus in omnibus" is not applicable in India. Principle of "false in one, false in all" cannot be applied in relation to the depositions of a witness who has been found lying on a particular fact and whose remaining part of testimony is otherwise truthful. Even if major portion of evidence of a witness is found deficient but residue is sufficient to prove the guilt of the accused, notwithstanding the acquittal of number of co-accused-conviction can be recorded.
>
> **2011 CrLJ 283 (SC), Mani Vs. State,** 2009 (67) ACC 526 (SC)

अतः उपरोक्त विधिक व्यवस्था के प्रकाश मे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी साक्षी के बयान का यदि एक अंश गलत भी पाया जाय तो भी उसके समस्त साक्ष्य को निरस्त नही किया जा सकता। वर्तमान प्रकरण मे बचाव मे वादी द्वारा चलायी गयी गोलियाँ का तथ्य सुसंगत है परन्तु विवाद्यक तथ्य नही है। मारूति वैन पर पायी गयी गोलियों के निशान यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि साक्षी विश्वसनीय है तथा गोलियाँ वैन मे कहाँ लगी, इस सम्बन्ध मे कारित त्रुटि को मा० सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था के प्रकाश मे साक्षी के सम्पूर्ण बयान को अविश्वसनीय मानने का आधार नही बनाया जा सकता। इसके अतिरिक्त जैसा की पुर्व मे भी उल्लेख किया जा चुका है कि प्रकरण मे साक्षी का उक्त बयान घटना के 31 वर्ष बाद अंकित किया गया। मानवीय स्मृति की क्षमता असिमित नही हो सकती है। इतने वर्षों बाद तक हर एक परिस्थिति के बारे मे सटीक विवरण देना एक सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नही है। अतः उक्त विरोधाभाष के आधार मात्र पर सम्पूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय नही कहा जा सकता।

78. बचाव पक्ष द्वारा प्रकरण मे बचाव साक्षी के रूप मे दो साक्षी डी०डब्लू० 1 सिगबतुल्ला अंसारी तथा डी०डब्लू० 2 राम जी राय को प्रस्तुत कर यह साबित करने का प्रयास किया गया कि घटना के दिन अभियुक्त मुख्तार अंसारी अपने बिमार पिता की तीमारदारी मे घटनास्थल से 100 किमी० दूर गाजीपुर स्थित अपने घर पर था। इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा अन्यत्र होने (Plea of alibi) का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

79. बचाव पक्ष द्वारा अन्यत्र उपस्थिति के तथ्य को कठोर साक्ष्य के साथ साबित किया जाना चाहिए। अभियुक्त को यह दर्शाना होगा कि इस बात की कोई सम्भावना नहीं थी कि वह घटनास्थल पर मौजूद हो सकता हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **शेख सत्तार बनाम महाराष्ट्र राज्य** (2010) 8 एससीसी 430 में यह प्रतिपादित किया गया है कि अन्यत्र उपस्थिति के साक्ष्य को पूर्ण निश्चितता के साथ इस सीमा तक साबित किया जाना चाहिए कि घटनास्थल पर घटना के समय पर अभियुक्त की उपस्थिति को पूर्ण रूप से नकारती हो।

इसी सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पप्पू तिवारी बनाम झारखण्ड राज्य** 2022 लिवलॉ (सुप्रीम कोर्ट) 107 में प्रतिपादत किया गया है कि अन्यंत्र उपस्थिति को साबित करने का भार पूर्ण रूप से अभियुक्त पर होता है। अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि वह शारीरिक रूप से घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।

वर्तमान प्रकरण मे बचाव साक्षी डी०डब्लू० 1 सिगबतुल्ला अंसारी ने पिता की कथित बिमारी या इलाज के सम्बन्ध मे मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया यहाँ तक कि कथित बिमारी अथवा अस्वस्थता के कारण का मौखिक विवरण भी नही दिया है। साक्षी डी०डब्लू० 2 राम जी राय ने इस आशय का साक्ष्य दिया कि घटना की तिथि को जब वह मोहम्दाबाद बाजार मे था तभी उसे अभियुक्त मुख्तार अंसारी के पिता के अचानक बिमार होने की सूचना मिली और वह विधायक जी के आवास पहुँचा जहाँ उसे अभियुक्त मुख्तार अंसारी भी दिखायी दिया। कथित बिमारी का किसी बचाव साक्षी ने कोई विवरण नही दिया है कि ऐसी कौन सी विशेष बिमारी या अस्वस्थता की सूचना पर उसे बजार से वापस लौटना पड़ा।

80. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राम सिंह आदि** 2002 C.A.R. पेज 105 में यह व्यवस्था दी है कि सफाई साक्ष्य व सबूत पक्ष के साक्ष्य को समान रूप से देखना चाहिये, यह नहीं कहा जाना चाहिये कि सफाई के गवाह कि वह कीमत नहीं होती जो सबूत पक्ष के गवाह की होती है। इसलिये बचाव पक्ष के सफाई में दिये गये बयानात को भी

अविश्वसनीय बताने के लिये कोई ठोस आधार उसी प्रकार का होना चाहिये, जिस प्रकार सबूत पक्ष के साक्ष्य को अविश्वसनीय कहने के लिये होता है।

वर्तमान प्रकरण मे बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्यत्र होने का तथ्य मात्र मौखिक साक्ष्य पर आधारित है जो स्वयं विरोधाभाषों से भरा है। बचाव पक्ष के साक्षियों द्वारा एक सामान्य कथन करते हुए यह साबित करने का प्रयास किया गया कि अभियुक्त मुख्तार अंसारी घटनास्थल से दूर अन्यत्र उपस्थित था। गम्भीर प्रकृति के प्रकरण में अन्यत्र उपस्थिति के तथ्य को विशिष्ट रूप से साबित करने की अपेक्षा होती है, जिसके आधार पर प्रति परीक्षा में साक्षी कि विश्वसनीयता का परीक्षण किया जा सके। बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर प्रश्नगत समय पर उसकी अन्यत्र उपस्थिति के सम्बन्ध में निश्चयात्मक उपधारणा की जा सके। बचाव साक्षी डी0डब्यू0–1 सिबगतुल्ला अंसारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 03.08.1991 को सुबह अभियुक्त के जनपद गाजीपुर स्थित आवास पर उपस्थिति होने का साक्ष्य दिया है तथा यह भी कथन किया है कि दिन में लगभग 11.00 बजे बनारस में अवधेश राय की हत्या की खबर मिली। इसी आशय का साक्ष्य डी0डब्लू0–2 राम जी राय ने भी साक्ष्य दिया है, जिसके अनुसार कि उसे सुबह 11.00 बजे दिन में अवधेश राय की बनारस में हत्या की जानकारी हुयी। अर्थात दोनों साक्षियों ने सुबह अभियुक्त मुख्तार अंसारी की जनपद गाजीपुर स्थित आवास पर मात्र उपस्थित होने का सामान्य कथन किया है। जबकि वर्तमान प्रकरण में घटना का समय जनपद वाराणसी में 1.00 बजे दिन में होना अभियोजन द्वारा साबित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में जनपद गाजीपुर से लगभग 100 किमी0 दूर वाराणसी स्थित घटनास्थल पर पहुॅचने की सम्भावना स्वयं बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से असम्भव नहीं साबित होती है। अतः बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था के आलोक में यदि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाये तो भी सुबह गाजीपुर में उपस्थित व्यक्ति के दोपहर लगभग 1.00 बजे वाराणसी स्थित घटनास्थल पर गैर मौजूदगी का साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

इसी क्रम में एक अन्य प्रकरण मे मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार–

> Burden of proving the plea of alibi lies upon the accused. If the accused has not adequately discharged that burden, the prosecution version which was otherwise plausible has, therefore, to be believed. See : **Mukesh Vs. State for NCT of Delhi & Others,** AIR 2017 SC 2161 (Three-Judge Bench)

Plea of alibi को साबित करने के लिए बचाव पक्ष द्वारा विश्वसनीय तथा अकाट्य सबूत की अपेक्षा की गयी है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार–

Plea of alibi has to be raised at first instance and subjected to strict proof of evidence and cannot be allowed lightly, in spite of lack of evidence merely with the aid of salutary principal that an innocent man may not suffer injustice by recording conviction in spite of his plea of alibi.

See : Om Prakash Vs. State of Rajasthan & another, (2012) 5 SCC 201

बचाव पक्ष की ओर से इसके अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **Pulen phukan and Others Vs The State of Assam**, 2023 0 AIR (SC) 1639; 2023 0 Supreme (SC) 281, Criminal Appeal No. 906 of 2016 decided on 28.03.2023 में पारित विधि व्यवस्था भी पस्तुत की जिसके अनुसार–

The job of the prosecution is not to accept the complainant's version as Gospel Truth…..Further the duty of the trial court is to carefully scrutinize the evidence, try to find out the truth on the basis of evidence led.

The police personnel were present at the time of commission of the offence they should have immediately acted upon to set the criminal machinery in motion by first apprehending the accused from the spot itself rather than allowing them to get way by accompanying the police to the police station while continuing to assert the injured on the way. (para 15)

The prosecution has not established the place of occurrence by any material exhibit of having collected the blood-stained earth from the place of occurrence. Even the material exhibit, the axe, which is said to have been taken into custody by the police whether on the date of the incident or two days thereafter has also not been produced nor any evidence led to that effect. It is still a mystery as to how the Investigating Officer in his statement has stated that he had filed a charge-sheet against eight accused as fie were absconding and there is no further statement regarding three more accused being arrested and put to trial, how the Trial Court proceeded to convict 11 accused and only two were set to be absconding. Even the scribe of the FIR has not been examined. It was extremely relevant when PW-1 has stated that she had no knowledge of the contents of the FIR.-Appeal allowed.

वर्तमान प्रकरण में अभियोजन कथानक तथा उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार घ ाटनास्थल पर पुलिसकर्मी अभियुक्तगण के साथ नही थे बल्कि घटना के बाद आये तथा अभियुक्तगण का पीछा किये। इसके अतिरिक्त कुल 5 नामित अभियुक्तगण में से दो अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया तथा शेष के विरूद्ध मफरूरी में प्रस्तुत किया गया। वर्तमान प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वादी ने तहरीर को पूर्णतः साबित किया है, जिसे स्वतंत्र साक्षी तथा मेडिकल प्रपत्रों से पर्याप्त रूप से सम्पुष्ट किया गया है। अतः बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त विधि व्यवस्था के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्य से भिन्न है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होती।

81. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत एक अन्य विधि व्यवस्था में माननीय उच्च न्यायालय ने **प्रेमपाल सिंह बनाम राज्य** 2017 (1) J.I.C. PAGE 104 के केस में कहा है कि Defence witness – Evidentiary value - witness of both sides, Prosecution and defence have to be appraised on the touchstone of credibility and truthfulness – testimony of defence witness has to be evaluated in the same manner as that of prosecution witness – same yardstick has to be applied.

उपरोक्त दोनो विधि व्यवस्थाओं से यह न्यायालय सादर सहमत है। इसके अनुसार बचाव साक्ष्य को भी अभियोजन साक्ष्य की तरह महत्व दिया जाना चाहिए, परन्तु जहाँ वर्तमान प्रकरण मे अभियोजन द्वारा कथानक को साबित करने के लिए पर्याप्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं वही बचाव पक्ष द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है तथा मौखिक साक्ष्य भी युक्तयुक्त रूप से विश्वसनीय नही है। अतः बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था तथा वर्तमान प्रकरण के तथ्य भिन्न भिन्न हैं।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अन्यत्र होने के बचाव पक्ष के तर्क को बचाव साक्षीगण द्वारा साबित नही किया गया है।

82. वर्तमान प्रकरण मे यह भी अभियोजन द्वारा साबित किया गया है कि घटना के बाद अभियुक्त मुख्तार अंसारी फरार हो गया था तथा उसके विरुद्व कार्यवाही अं० धारा 82 व 83 दं०प्र०सं० भी अमल में लायी गयी थी। अभियुक्त का पश्चातवर्ती यह व्यवहार धारा 8 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत तथ्य है।

Section 8 – Motive, preparation and previous or subsequent conduct.

Any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact.

The conduct of any party, or of any agent to any party, to any suit or proceeding, in reference to such suit or proceeding, or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person an

offence against whom is the subject of any proceeding, is relevant, if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact, and whether it was previous or subsequent thereto.

Explanation 1. -- The word conduct in this section does not include statements, unless those statements accompany and explain acts other than statements; but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this Act.

Explanation 2. -- When the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing, which affects such conduct, is relevant.

उक्त धारा के दृष्टान्त (i) के अनुसार

A is accused of a crime.

The facts that, after the commission of the alleged crime, he absconded, or was in possession of property or the proceeds of property acquired by the crime, or attempted to conceal things which were or might have been used in committing it, are relevant.

इस सम्बन्ध मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था के अनुसार–

where the accused had absconded after committing the murder, it has been held that the conduct of the accused in such cases is very relevant u/s 8 of the Evidence Act.

See **: Sidhartha Vashisht alias Manu Sharma Vs. State of NCT of Delhi,** 2010 (69) ACC 833 (SC).

बचाव पक्ष के साक्षी डी0डब्लू0–1 सिबगतुल्ला अंसारी ने अभियोजन द्वारा की गयी जिरह मे स्वीकार किया है कि मुझे यह याद है कि दिनांक 07.08.1991 को पुलिस कुर्की की कार्यवाही हेतु आयी थी। अतः प्रकरण मे घटना के बाद अभियुक्त की फरारी उसके पश्चातवर्ती व्यवहार के रूप मे उसके विरुद्ध एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है।

83. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण मे एफ०आई०आर० लेखक को परीक्षित नही कराया गया है। इस सम्बन्ध मे निम्न विधि व्यवस्था उल्लेखनीय है जिसके अनुसार–

Non-examination of scribe of FIR is not fatal to prosecution and no adverse inference can be drawn against prosecution if the scribe was not an eye-witness to the incident and the complainant/informant had proved the execution of the FIR by examining himself as PW : **Moti Lal Vs. State of U.P.,** 2009 (7) Supreme 632

वर्तमान प्रकरण मे भी वादी अजय राय ने एफ०आई०आर० के निष्पादन व उसकी अन्तर्वस्तु को साबित कर दिया है। वादी ने अपने साक्ष्य मे तहरीर लेखक राजेन्द्र

कुमार की मृत्यु होने का कथन किया है। अतः लेखक को परिक्षित न किये जाने मात्र के आधार पर अभियोजन कथानक को अविश्वसनीय नही कहा जा सकता।

84. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि वादी तथा मृतक के विरुद्ध कई मुकदमे लंबित थे जिनसे सम्बन्धित मुकदमो की औपचारिक सत्यता को बचाव साक्षी के रूप मे डी०डब्लू० 3 एच० सी० विक्रान्त सिंह, डी०डब्लू० 4 एच० सी० ननकू सिंह, डी०डब्लू० 5 एच० सी० राजेश्वर पाण्डेय तथा डी०डब्लू० 6 एच०सी० रणजीत यादव ने प्रदर्श ख 1 लगायत प्रदर्श ख 13 साबित किया है। अतः स्पष्ट होता है कि वादी स्वयं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा उसका आपराधिक इतिहास भी है। अतः उसका साक्ष्य विश्वसनीय नही माना जा सकता।

इस सम्बन्ध मे अभियोजन की ओर से प्रस्तुत **उ०प्र० राज्य बनाम फरीद खान** A.I.R. 2004 (S.C.) 5050 के प्रकरण मे मा० सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिधारित किया कि आपराधिक पृष्ठभूमि का साक्षी भी सक्षम साक्षी है जबकि उसके साक्ष्य को अन्य साक्षी सम्पुष्ट कर रहे हों। उसके साक्ष्य पर इस आधार मात्र पर अविश्वास नही किया जा सकता है।

वर्तमान प्रकरण मे भी वादी अजय राय के साक्ष्य को मेडिकल साक्षी तथा अन्य स्वतंत्र साक्षी विजय पाण्डेय ने पर्याप्त रूप से सम्पुष्ट किया है। अतः आपराधिक पृष्ठभूमि होने मात्र के आधार पर वादी के सम्पूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय नही कहा जा सकता है।

बचाव पक्ष द्वारा तथ्य के दोनो साक्षियों के विवेचक को दिये बयान अं० धारा 161 दं०प्र०सं० तथा न्यायालय मे दिये बयान की विभिन्नता व विरोधाभाष की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया। इस सम्बन्ध मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्व ारा पारित निम्न विधि व्यवस्था का उल्लेख समीचीन है जिसके अनुसार–

> If a relevant fact is not mentioned in the statement of the witness recorded u/s 161 CrPC but the same has been stated by the witness before the court as P.W., then that would not be a ground for rejecting the evidence of the P.W. if his evidence is otherwise credit worthy and acceptable. Omission on the part of the police officer would not take away nature and character of the evidence.
>
> See **: Alamgir Vs. State of NCT, Delhi,** (2003) 1 SCC 21.

वर्तमान प्रकरण मे भी दोनो चक्षुदर्शी साक्षियों का बयान तथा सम्पुष्टीकारक मेडिकल साक्ष्य के होते हुए मात्र विवेचक को व न्यायालय मे दिये साक्षी के बयान मे विभिन्नता के आधार पर उनके सम्पूर्ण साक्ष्य को निरस्त नही किया जा सकता हे।

85. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि साक्षी विजय पान्डेय का बयान विवेचक द्व ारा देरी से लिया गया जो संदेह उत्पन्न करता है।

इस सम्बन्ध मे **गौतम जोरदार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** 2021 (228)A.I.C. 209 (SC) के प्रकरण मे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि मात्र विलम्ब से बयान दर्ज होने के कारण साक्षी का बयान निरस्त नही किया जा सकता है।

86. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रकरण मे तीसरे चक्षुदर्शी साक्षी कतवारू चौहान को जानबूझकर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नही किया गया जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अनुसार–

No particular number of witnesses shall in any case be required for the proof of any fact.

इस सम्बन्ध मे **हुकुम सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य** 2001 Cr.LJ. 511 (SC) मे मा० सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि लोक अभियोजक एक ही तथ्य के समस्त साक्षियों को परिक्षित कराने के लिए बाध्य नही है।

अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था तथा साक्ष्य अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत किसी तथ्य को साबित करने के लिए किसी संख्या विशेष मे साक्षियों की आवश्यकता नही होती है। वर्तमान प्रकरण मे भी अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए कुल छः साक्षी प्रस्तुत किये गये हैं जिन्होने अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित किया है अतः मात्र एक साक्षी को परीक्षित न कराने से समस्त कथानक को अविश्वसनीय नही कहा जा सकता।

87. जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि मृतक की दुश्मनी महापौर अनिल सिंह से रही। अतः अनिल सिंह ने हत्या कारित की या करायी तो इस सम्बन्ध मे बचाव द्वारा कोई ठोस तर्क या साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। अतः साक्ष्य के अभाव मे यह तर्क आधारहीन प्रतीत होता है।

88. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश मे विश्लेषण करने के उपरान्त न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त मुख्तार अंसारी द्वारा घटना, दिनाँक, समय व स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप मे उनके समान्य उद्देश्य के अनुक्रम मे वादी के भाई अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कारित की गयी। इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अं० धारा 148 व 302 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 संदेह से परे साबित करने मे सफल रहा है। अतः अभियुक्त मुख्तार अंसारी उपरोक्त अपराध मे दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **मुख्तार अंसारी** को सत्र परीक्षण संख्या–265/2007, मु0अ0सं0–229/1991, थाना–चेतगंज, जिला–वाराणसी के प्रकरण में आरोप अंतर्गत धारा–148 व 302 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त मुख्तार अंसारी जिला जेल, बांदा से जरिये वी0सी0 उपस्थित है। अभियुक्त वर्तमान प्रकरण में जमानत पर है। अतः जेल अधीक्षक, जिला कारागार, बांदा को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त मुख्तार अंसारी को तत्काल न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य वर्मा, एड0 न्यायालय में उपस्थित हैं तथा अभियुक्त जरिये वी0सी0 उपस्थित है।

पत्रावली लंच बाद दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हो।

दिनांकः–05.06.2023

(अवनीश गौतम)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एम0पी0/एम0एल0ए0,
वाराणसी।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 1682

<u>लंच बाद</u>

पत्रावली पेश हुयी।

दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को व्यक्तिगत रूप से एवं अभियुक्त मुख्तार अंसारी को जरिये वी0सी0 सुना गया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री आदित्य वर्मा, एड0 द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त बुजुर्ग व बीमार है। अतः न्यूनतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, श्री विनय कुमार सिंह ने बचाव पक्ष के तर्को का विरोध किया तथा कथन किया कि अभियुक्त का लम्बा आपराधिक इतिहास है तथा दिन दहाड़े मृतक अवधेश राय की हत्या किया जाना साबित है जो rarest of the rare case में आता है। अतः अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त मुख्तार अंसारी के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **Ram Lal Vs. State of Haryana** 1993, Cr.L.J. 1564 में अभिमत व्यक्त किया गया है कि Death sentence is to be awarded in rarest of the rare case only. अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में वर्तमान प्रकरण rarest of the rare case की श्रेणी में नहीं आता है। अतः न्यायालय के मतानुसार अभियुक्त मुख्तार अंसारी को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>दण्डादेश</u>

अभियुक्त मुख्तार अंसारी को अंतर्गत धारा–**148 भा0दं0सं0 3 वर्ष** के साधारण कारावास तथा **20,000/–रूपये** (बीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त मुख्तार अंसारी को अंतर्गत धारा–**302 सपठित धारा 149 भा0दं0सं0 <u>आजीवन कारावास</u>** तथा **1,00,000/–रूपये** (एक लाख रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी। जेल में बितायी गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांकः–05.06.2023

(अवनीश गौतम)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एम0पी0/एम0एल0ए0,
वाराणसी।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 1682

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः–05.06.2023

(अवनीश गौतम)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एम0पी0/एम0एल0ए0,
वाराणसी।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 1682

स्टेनो–गौरव मौर्या

Digitally signed by Awanish Gautam
Date: 2023.06.05 16:25:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court